खण्ड-279, अंक-6
मंगलवार, 4 भाद्रपद, शक संवत् 1891
(26 अगस्त, 1969 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 279 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६९

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ -संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ५७७–५८१ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | ५८२–६०२ |
| २५ अगस्त, १९६९ को विभाजन की मांग से उत्पन्न परिस्थिति तथा अव्यवस्था के कारण सदन के स्थगन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. | ६०२–६०९ |
| २६ सदस्यों के विरुद्ध सदन का अवमान करने के कारण निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. .. .. .. | ६०९–६१८ |
| श्री उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के सम्बन्ध में संकल्प की सूचना .. | ६१८ |
| मुख्य मन्त्री द्वारा बहुमत में होने के सम्बन्ध में वक्तव्य .. | ६१८–६१९ |
| श्री उपाध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. .. .. | ६१९ |
| विशेषाधिकार की अवहेलना की अन्य सूचनायें .. .. | १९९–६२० |
| नेता विरोधी दल, श्री चरण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना .. .. .. .. | ६२०–६२२ |
| श्री अध्यक्ष तथा वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाएं (अनुज्ञा नहीं दी गई) .. .. .. | ६२२ |
| प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य .. .. | ६२३–६२९ |
| उत्तरप्रदेश कर-विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ (पुरःस्थापित किया गया) | ६२९ |
| १९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान ––अनुदान संख्या १४––कारागार तथा अनुदान संख्या ४५––नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) .. .. .. | ६२९–६३० |
| अनुदान संख्या २४––सहकारिता (स्वीकृत) .. .. | ६३० |
| अनुदान संख्या २९––अनुसूचित और पिछड़ी जातियां (स्वीकृत) .. | ६३० |
| अनुदान संख्या ३०––समाज कल्याण (स्वीकृत) .. .. | ६३०–६३१ |
| पिथौरागढ़ के गुरना नामक स्थान पर राजकीय बस के खड्ड में गिरने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. | ६३१–६३३ |
| पुलिस द्वारा शाहजहांपुर के श्री अब्दुल जलील के मकान को जबरदस्ती खाली कराने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य .. | ६३३–६३५ |
| अल्मोड़ा जिले में सत्याग्रही महिलाओं को पुलिस द्वारा पीटे जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. .. | ६३५–६३८ |
| श्री सतीश चन्द्र, सदस्य विधान सभा पर गुण्डों द्वारा गोली चलाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | ६३९ |
| निलम्बित सदस्यों के नामों में संशोधन .. .. .. | ६३९ |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | ६४०–६७१ |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

**मंगलवार, २६ अगस्त, १९६९**

---

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में १०.३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्य--३९८

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० फ्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त , श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री ((जिला बरेली)
कोरी सुख लाल, श्री
खचेडू सिंह मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
बल सिंगार, श्री
दीपनरायण बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
पाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण, श्री

प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पा क, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भामी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली वी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री

महादेवप्रसाद, श्री
महाबीर प्रसाद सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल, किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती वी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)

रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पान्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अबदुर रफी खां, श्री

रियासत हुसैन, श्री
रघुनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
ललन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरुप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवबास, श्री
शिव पाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री

शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शोनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीरामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुधामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त, श्री
हरीसिंह कांडपाल, श्री
हलीमुद्दीन राहत मोलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:—श्री मंगला प्रसाद, खाद्य तथा रसद मंत्री भी उपस्थित थे।

## प्रश्नोत्तर

मंगलवार २६ अगस्त, १९६९

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### हाटा के भूतपूर्व तहसीलदार के खिलाफ घूसखोरी की जांच

**१—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी), श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ) तथा श्री हरिवंश (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले के एक विधायक द्वारा दिनांक ६ जून, १९६९ को मुख्य मन्त्री को इस आशय का पत्र दिया गया है कि हाटा के भूतपूर्व तहसीलदार ने ८७,००० पया घूस से कमाया है? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, और यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

जी हां। यह पत्र मिला था तहसीलदार के विरुद्ध जांच कराई जा रही है।

**२—श्री शिव कैलाश, श्री प्यारेलाल, तथा श्री हरिवंश—

क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त मामले के सम्बन्ध में कोई बोर्ड आफ रेवेन्यू से जांच करने के लिये आदेश जिलाधीश, देवरिया को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो जांच हुई या नहीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आयुक्त, गोरखपुर द्वारा जांच कराई जा रही है। आयुक्त से कहा गया है कि जांच शीघ्र करें।

### रामगंगा में बाढ़

**३—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को पता है कि रामगंगा नदी में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है और नदी बराबर बढ़ाव पर है जिसमें जिला शाहजहांपुर तथा फर्रुखाबाद के अनेक गांवों को खतरा पैदा हो गया है? यदि हां, तो सरकार बाढ़ निरोध हेतु क्या-क्या कार्य कर रही है?

उपमुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

शाहजहांपुर तथा फर्रुखाबाद जिलों में रामगंगा नदी से अभी तक कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। इन जिलों में इस समय रामगंगा नदी पर कोई बाढ़ निरोधक कार्य नहीं कि जा रहे हैं।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

### देवरिया जिले में कृषि यंत्रों की सप्लाई

*१—श्री हरिवंश—

क्या सरकार कृपया बता ेगी कि देवरिया जिले में कृषि विभाग द्वारा जिले के समस्त

---

†उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ४१ के अन्तर्गत छापे गये।

विकास क्षेत्रों को कृषि यन्त्र की सप्लाई करने हेतु वर्ष १९६५ से १९६८ के बीच कितने रुपये की खरीद की गई थी और वह सप्लाई किस फर्म द्वारा की गई थी ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

वर्ष १९६५ से १९६८ के बीच कुल रु० ४९,५२९.८० से के मूल्य के कृषि यंत्र निम्नलिखित फर्मों से खरीदे गये :—

(१) अरुण लौह उद्योग समिति, पडरौना, देवरिया ।
(२) कोआपरेटिव यूनियन लि०, तरकुलवा, देवरिया ।
(३) कोआपरेटिव यूनियन, तमकुही रोड, देवरिया ।
(४) भारतीय इन्डस्ट्रीज, गोरखपुर ।
(५) कृषि यंत्र क्रय-विक्रय केन्द्र, सलेमपुर, देवरिया ।
(६) सहकारी यूनियन लिमिटेड, रामपुर, देवरिया ।
(७) सहकारी संघ लिमिटेड, रामपुर कारखाना ।
(८) ए० डी० एस०, नैनी, इलाहाबाद ।
(९) राजकीय कृषि वर्कशाप, लखनऊ ।
(१०) सहकारी संघ लिमिटेड, फाजिलनगर, देवरिया ।
(११) कोआपरेटिव यूनियन लि०, भैंसही बाजार, देवरिया ।
(१२) कोआपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लि०, कसया, देवरिया ।

*२—श्री हरिवंश—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त फर्म ने ऐसे कृषि यन्त्र का भुगतान लिया जिसका उत्पादन उक्त फर्म ने न तो किया था और न सप्लाई किया ? यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

निम्नलिखित ८ फर्मों ने ऐसे कृषि यन्त्र सप्लाई किये जिनका उत्पादन उन्होंने स्वयं नहीं किया था:—

(१) कोआपरेटिव यूनियन लि०, तरकुलवा, देवरिया ।
(२) कोआपरेटिव यूनियन लि०, तमकुही रोड, देवरिया ।
(३) कृषि यंत्र क्रय-विक्रय केन्द्र, सलेमपुर, देवरिया ।
(४) सहकारी संघ लि०, रामपुर कारखाना, देवरिया ।
(५) सहकारी संघ लि० ,फाजिल नगर, देवरिया ।
(६) सहकारी यूनियन लि०, रामपुर, देवरिया ।
(७) कोआपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लि०, कसया, देवरिया ।
(८) कोआपरेटिव यूनियन लि०, भैंसही बाजार, देवरिया ।

मेसर्स अरुण लौह उद्योग समिति, पडरौना, देवरिया तथा भारतीय इन्डस्ट्रीज, गोरखपुर के अपने कारखाने हैं किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कितने अपने बनाये हुये यंत्र तथा कितने किसी अन्य द्वारा बनाये यंत्र सप्लाई किये ।

उपरोक्त फर्मों के ऊपर कोई ऐसा अनुबन्ध नहीं था कि वे केवल अपने द्वारा ही निर्मित यंत्रों की पूर्ति करें इसलिये उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

## रबी की पैदावार

*३--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंग कि सन् १९६७-६८ में तथा १९६८-६९ में कितनी-कितनी पैदावार प्रदेश में रबी के अनाजों की हुई ?

डाक्टर सीताराम--

वर्ष १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में रबी के मुख्य खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमानित आंकड़े क्रमशः १,०८,३६,४२९ मैट्रिक टन तथा १,०४,५४,१०० मैट्रिक टन हैं।

## ओबरा डैम परियोजनान्तर्गत प्रभावित लोगों को मुआवजा

*४--श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

क्या उप मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा डैम परियोजनान्तर्गत कितने गांव प्रभावित हुए हैं और कितनी जनता विस्थापित हुई है ? क्या विस्थापित होने वाली समस्त जनता को मुआवजे का भुगतान हो चुका है ? यदि हां, तो किस दर से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

ओबरा डैम परियोजना से ९ गांव प्रभावित हुये थे जिनके नाम हैं:--बिल्ली-मारकुंडी, टोलाकेरिया, थारपाथर, स्योर, मरझवा, बलहाथी, पट्टी, असनाहर तथा पनारी। इससे ६९६ लोग विस्थापित हुए। स्योर गांव के लोगों को छोड़ कर जिन लोगों ने भूमि के बदले भूमि मांगी थी बाकी लोगों को भूमि पर कुवें आदि के मुआवजे का भुगतान किया गया है। स्योर गांव के लोगों को घर, पेड़ों और कुओं आदि के मुआवजे का रुपया दे दिया गया पर भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया। भूमि के मुआवजा की दर ३ गांवों में १०० रुपया प्रति एकड़ और बाकी ६ गांवों में १९२ रु० प्रति एकड़ तय की गई।

*५--श्री रामप्यारे--

क्या यह सही है कि अभी तक विस्थापित होने वाली जनता की पुनर्वास व्यवस्था नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार विस्थापितों की पुनर्वास व्यवस्था कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं। सब विस्थापितजनों का पुनर्वास हो चुका है।

## बिजली कर्मचारियों का फंड कटौती का धन

*६--श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य विद्युत् परिषद् ने इम्प्लाईज़ प्रावीडेंट फण्ड स्कीम तथा गवर्नमेंट प्रावीडेंट फण्ड स्कीम के मातहत कर्मचारियों की कटौती का कितना पैसा जमा नहीं किया और यह पैसा कब से जमा नहीं किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

[२६ अगस्त, १९६९ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## गढ़वाल तथा चमोली जिले में सरकारी गल्ले की ढुलाई

*१--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल एवं चमोली जिले में सरकारी गल्ले का जो ढुलान होता है उसका एरिया प्रति क्विंटल क्या दिया जाता है ?

खाद्य मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—

कोई निश्चित दर प्रति क्विंटल नहीं होती बल्कि विभिन्न गोदाम मार्गों के लिये सरकारी गल्ले की ढुलान का ठेका प्रत्येक वर्ष टेण्डर के आधार पर दिया जाता है।

## गढ़वाल जिले में चीनी, मिट्टी का तेल तथा गल्ला वितरण व्यवस्था

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले में नगर तथा गांवों में चीनी, मिट्टी का तेल तथा गल्ले के वितरण की व्यवस्था क्या है?

श्री मंगला प्रसाद—

इस समय नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः ७५० ग्राम व २५० ग्राम चीनी प्रति यूनिट प्रति मास वितरण की जा रही है। मिट्टी का तेल शहरी क्षेत्र में बिना बिजली वाले घरों के लिए प्रति कार्ड चार लीटर प्रति मास तथा बिजली वाले घरों के लिये प्रति कार्ड २ लीटर प्रति मास दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में २ लीटर मिट्टी का तेल प्रति मास प्रति परिवार दिया जाता है।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न समान रूप से ३ किलो गेहूं/आटा, २ किलो चावल और २ किलो मोटा अनाज प्रति यूनिट प्रति माह की दर से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा राशन कार्डों पर उपभोक्ताओं को वितरित किये जा रहे हैं।

## एस० ई० तथा एम० ई० एस० का चुनाव

*३—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, सन् १९६७ में एस० ई० और एम० ई० एस० के पद पर पदोन्नत किये जाने निमित्त विभागीय चुनाव हुआ था, उसमें काफ़ी गड़बड़ियां पाई जाने के कारण उसको रद्द करने की और दोबारा चुनाव होने के आदेश दिये गये? यदि हां, तो रद्द करने के आदेश कब दिये गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

## पीलीभीत, खीरी-लखीमपुर उपनिवेशन योजनान्तर्गत भूमि वितरण

*४—श्री हरिवंश—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत, खीरी-लखीमपुर उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कितने वास्तविक भूमिहीनों को अब तक भूमि दी गई है? क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को भी जमीन दे दी गई है जिनके पास बहुत जमीनें थीं? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—

पीलीभीत, खीरी-लखीमपुर उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के २,५५३ भूमिहीनों को भूमि दी गई है। केवल भूमिहीन व्यक्तियों को ही यह जमीन दी गई है।

*५—श्री हरिवंश—

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त करने वाले उन समस्त व्यक्तियों की वास्तविक जांच हेतु आदेश देगी और गलत होने पर उन्हें बेदखल कर उनकी भूमि भूमिहीनों में वितरित करने का आदेश देगी?

डाक्टर सीताराम—

ऐसी जांच की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई शिकायत सामने आयेगी तो उस पर उचित कार्यवही की जायेगी।

*६–७—श्री रामनिहोर राय—

[६वें सोमवार के तारांकित प्रश्न सं० ३–४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

## कृषि रक्षा के लिये मशीनों की खरीद

*८—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६४ में सरकार ने कोई आदेश कृषि रक्षा के लिये स्थानिक प्रबन्ध (मंडल तथा जिला स्तर पर) सामान खरीदने के लिये दिया था? यदि हां, तो उसका पालन, उपनिदेशक, कृषि रक्षा ने किया या नहीं? यदि नहीं, तो सरकार ने उनके खिलाफ़ क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सीताराम—

जी हां निदेश दिये गये थे और उनका यथासंभव पालन किया गया।

*९—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायगे कि सन् १९६६–६७ में तीन हजार के लगभग लो वाल्यूम पावर मशीनों की खरीद श्री अमेरिकन स्प्रिंग, बंबई से करने का करार किया गया और उसमें से ९७० मशीनें इंजन सहित खरीदी गईं बाकी, १,९६० मशीनें बगैर इंजन के खरीदी गई? इसमें से कितनी मशीनें उक्त वर्ष काम में लाई गईं और कितनी बेकार पड़ी रही?

डाक्टर सीताराम—

सन् १९६६–६७ में कुल २,९३० लो वाल्यूम पावर स्पेयर एवं डस्टर मशीनें उद्योग निदेशक कानपुर के माध्यम से उनके द्वारा किये गये अनुबन्ध के अनुसार दो फर्मों से खरीदी गई। इसमें ९७० मशीनें इंजन सहित थी तथा १,९६० मशीनें बिना इंजन के थी। चूंकि इन मशीनों के क्रय का अनुबन्ध २७ फरवरी, १९६७ को हुआ तथा खरीद मार्च, १९६७ में हुई, अतएव उन मशीनों का १९६६–६७ में उपयोग नहीं किया जा सका।

## गन्ना अन्वेषण संस्था, लखनऊ के अधिकारियों की ट्रेनिंग

*१०—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

कृषि मंत्री क्या कृपया बतायेंगे कि भारत सरकार की गन्ना अन्वेषण संस्था, लखनऊ (इन्स्टीट्यूट आफ सूगरकेन रिसर्च, लखनऊ गवर्नमेंट आफ इंडिया) ने गन्ना विभाग के उच्च अफसरों के प्रशिक्षण हेतु गत वर्ष कितने अधिकारियों को भेजने के लिये प्रदेश सरकार को लिखा था और प्रदेश की सरकार ने कितने और कौन-कौन अफसर उक्त ट्रेनिंग में भेजे?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष (१९६८–६९) में उक्त संस्था ने दो अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने को लिखा था और सरकार ने निम्न दो अधिकारियों को प्रशिक्षण पर जाने की अनुमति भी दे दी थी—

(१) श्री बी० एस० कुशवाहा, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी।

(२) श्री चन्द्रभान सिंह यादव, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी।

किन्तु श्री चन्द्रभान सिंह यादव, अवकाश पर चले जाने के कारण प्रशिक्षण के लिये नहीं जा सके और केवल श्री कुशवाहा ही गये थे।

*११—श्री बीरेन्द्र वर्मा—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि उक्त ट्रेनिंग १९६५ से उक्त इन्स्टीट्यूट में दी जा रही है ? यदि हां, तो उस समय से अब तक प्रदेश के कितने और कौन अधिकारियों को यह ट्रेनिंग दी जा चुकी है ?

डाक्टर सीताराम—

यह प्रशिक्षण योजना वर्ष १९६३–६४ से प्रारंभ की गई थी। बीच में वर्ष १९६५–६६ में यह योजना स्थगित रही। प्रारंभ से अब तक जो अधिकारी इस प्रशिक्षण में भेजे गये ह उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६४० पर)

## तुमरिया प्रसार जलाशयों से निकलने वाली नहरों में पानी की कमी

*१२—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री को यह मालूम है कि तुमरिया डाम से चलने वाली नहरों में तहसील ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद में अभी तक पानी नहीं आया है ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पिछले वर्ष १९६८ में वर्षा बहुत कम और थोड़े-थोड़े अन्तर पर होने के कारण तुमरिया व तुमरिया प्रसार जलाशयों में पानी बहुत कम मात्रा में भरा था। पानी की मात्रा पूर्ण स्तर क्षमता की कुल मात्रा का २१.६ प्रतिशत थी जिसके कारण इस वर्ष नहरें केवल रबी की सिंचाई के लिये चलाई जा सकीं। नहरें २५ नवम्बर, १९६८ से चलाई गई थीं और जलाशय में पानी समाप्त हो जाने के कारण तुमरिया की नहरें १० जनवरी, १९६९ को और तुमरिया प्रसार की नहरें २८ फरवरी, १९६९ को बन्द कर देनी पड़ीं। इसी कारण से नहरें खरीफ के लिये भी नहीं चलाई जा सकीं और रबी के लिये भी दूसरा या तीसरा पानी उपलब्ध न हो सका।

तुमरिया व तुमरिया प्रसार जलाशयों में पानी का भरना वर्षा पर निर्भर करता है और जलाशय में पानी भरने पर ही नहरें अपनी पूर्ण क्षमता से चलाई जा सकेंगी।

## रामगंगा परियोजना कालागढ़

*१३—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालागढ़ परियोजना कब तक मुकम्मिल होकर फीडर कैनाल में पानी छोड़ने की स्थिति में होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

रामगंगा परियोजना कालागढ़ में पूर्ण रूप से मुकम्मिल होने की आशा जून, १९७३ में की जाती है परन्तु सिंचाई के लिये फीडर कैनाल में अनुमानतः पानी अक्तूबर, १९७२ में छोड़ा जा सकेगा।

## विकास खंड परीक्षितगढ़ के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

*१४—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या कृषि एवं सामुदायिक विकास मंत्री बतायेंगे कि विकास खण्ड परीक्षितगढ़, जिला मेरठ के विकास खण्ड अधिकारी व कुछ अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ गबन की शिकायतों पर सरकार सी० आई० डी० द्वारा जांच करा रही थी ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला और किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

सी० आई० डी० द्वारा अभी जांच जारी है। अतः प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता।

## पिंडरा ब्लाक में पंपिंग सेट के लिए लिया गया धन

*१५—श्री सजीवन लाल—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव अजईपुर के रामाज्ञा पांडेय व पिंडराई के रमाशंकर सिंह ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी ने पंपिंग सेट लगाने के नाम पर लैंड मार्गेज बैंक से हजारों रुपया ले लिया है और पंपिंग सेट २० जुलाई, १९६९ तक नहीं लगे हैं ? क्या इस संबंध में ए० डी० एम० ई० वाराणसी को जिला किसान सभा, वाराणसी के मंत्री ने शिकायती-पत्र मई, जून, १९६९ में दिया है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

ग्राम अजईपुर के रामाज्ञा पांडे को ५,००० रु० तथा पिंडराई के रमाशंकर सिंह को १ ००० रु० क्रमशः २५ अप्रल, १९६९ व ७ सितम्बर, १९६७ को लैंड मार्गेज बैंक द्वारा पंपिंग सेट लगाने के लिये दिया गया। रामाज्ञा पांडे को पिछली अप्रैल में ही धन दिया गया है अतः नियमानुसार वें ६ महीने के अन्दर पंपिंग सेट लगा सकते हैं। रामशंकर सिंह के २२ जुलाई, १९६९ तक पंपिंग सेट लगाने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

ए० डी० एम० (ई०) वाराणसी के यहां इस संबंध में जिला किसान सभा वाराणसी का कोई शिकायती-पत्र मई, जून, १९६९ में पंजीकृत नहीं है। अतः उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*१६—श्री सजीवनलाल—

क्या विकास मंत्री इस बात की जांच करायेंगे कि बिला बोरिंग के ही फर्जी रिपोर्ट ब्लाक पिंडरा ने दे दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

श्री रामाज्ञा पांडे के कूप की बोरिंग का प्रमाण-पत्र क्षेत्र विकास अधिकारी पिंडारा ने ग्राम सेवक तथा सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) के जांच के पश्चात् दिया है। श्री रामशंकर सिंह के कूप की बोरिंग के संबंध में कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है।

## बलिया जिले में घाघरा का कटाव

*१७—श्री जगरनाथ (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि बलिया जिला अन्तर्गत ग्राम कठौड़ा—कुतुबगंज—बेरौचा-लिलकार इत्यादि गांवों को नदी घाघरा के कटान से खतरा उत्पन्न हो गया है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी—

जी हां।

*१८—श्री जगरनाथ—

क्या सिंचाई मन्त्री को इस आशय का तार और प्रार्थना-पत्र दिनांक ७ जुलाई, १९६९ का जगन्नाथ चौधरी, एम० एल० ए०, बलिया का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त तार और प्रार्थना–पत्र पर अब तक कौन-सी कायवाही सरकार द्वारा हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रथम भाग—

जी हां ।

दूसरा भाग—

सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्थलों का निरीक्षण ११ जुलाई, १९६९ को कराया गया जिससे यह ज्ञात हुआ है कि इन ग्रामों की सुरक्षा का प्रबन्ध इस समय कराना सम्भव नहीं है तथा उनकी आबादी का स्थानान्तरण ही इस समय एक उपाय है ।

## फर्रुखाबाद नलकूप डिवीजन में ट्रांसफार्मर की चोरी

*१९—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद नलकूप डिवीजन के अन्तर्गत राजकीय तथा निजी नलकूपों के ट्रांसफार्मर में से तांबे तथा पीतल के कीमती सामान की काफी संख्या में पिछले ६ माह के अन्दर चोरी की गई है जिनके कारण निजी तथा राजकीय अनेक नलकूप बन्द होने की स्थिति में हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय पर तुरन्त कार्यवाही करने संबंधी आदेश देगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

फर्रुखाबाद नलकूप डिवीजन के अन्तर्गत पिछले ६ माह में ९ राजकीय एवं ५ निजी नलकूपों के ट्रांसफार्मर चोरी गये हैं । इनमें से ८ राजकीय तथा १ निजी नलकूपों के ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं । एक राजकीय नलकूप का ट्रांसफार्मर लगातार वर्षा तथा नलकूप की मरम्मत न होने के कारण नहीं बदला जा सका और ४ निजी नलकूपों के ट्रांसफार्मर संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा कीमत जमा करने पर लगाये जायेंगे ।

चोरियों को रोकने तथा चोरों को पकड़ने के लिये भी प्रयास हो रहा है ।

*२०—श्री शिव कैलास—

[६वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## नलकूप कनेक्शन लेने वाले किसानों से प्राथमिकता शुल्क

*२१—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पम्पिंग सेटों तथा स्माल ट्यूबवेल लगाने वाले किसानों से ५०० रु० फी कनेक्शन चार्जेज सरकार जमा करा रही है और यह आदेश तरीख १८ जुलाई, १९६९ से लागू हो गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सर्विस कनेक्शन चार्जेज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । परन्तु राज्य विद्युत् परिषद् एक "कामर्शियल योजना" बना रही है जिसके अन्तर्गत कनेक्शन लेने वाले किसानों को ५०० रु० प्राथमिकता शुल्क देना होगा । यह योजना बिलकुल किसान की इच्छा पर निर्भर है और जो किसान प्राथमिकता लेना चाहें पर जमा योजना के अन्तर्गत अधिक पैसा न जमा कर सकें वे इससे लाभ उठा सकते हैं ।

*२२—श्री दुर्जन—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई सुविधाओं हेतु कनेक्शन की लाइन तीन फर्लांग कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। २४ अप्रैल, १९६९ से १० हा०पा० तक के निजी नलकूपों के लिए आनुपातिक ढंग स ४ फर्लांग तक निःशुल्क लाइन की सुविधा दी जा रही है।

## राज्य विद्युत् परिषद् की ओर से ट्रेनिंग के लिए विज्ञापन

*२३—श्री रामप्यारे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य विद्युत परिषद् की ओर से दिनांक १९ अगस्त, १९६८ को २५० लाइन इंस्पेक्टरों की भर्ती हेतु पदों के लिये इस शर्त के साथ विज्ञापित हुआ था कि इन पदों में परिगणित जाति के अभ्यर्थियों के लिये १८ प्रतिशत जगहें सुरक्षित हैं? यदि हां, तो क्या विज्ञापन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

१९ अगस्त, १९६८ को जो विज्ञापन किया गया था वह केवल ट्रेनीज के लिये था न कि लाइन इंसपेक्टरों के लिये। विज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६४१ पर)

*२४—श्री रामप्यारे—

क्या यह बात सत्य है कि उक्त पदों की भर्ती हेतु दिनांक १६ सितम्बर, १९६८ स २ जनवरी, १९६९ तक संबंधित अधिकारी के कार्यालय में साक्षात्कार हुआ था? यदि हां, तो उस साक्षात्कार में कितने परिगणित जातीय अभ्यर्थियों ने भाग लिया और उनमें से कितनों की नियुक्तियां हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। इस साक्षात्कार में ३० परिगणित जाति के अभ्यर्थियों ने भाग लिया उसमें से केवल एक व्यक्ति का चुनाव हुआ और शेष न्यूनतम निर्धारित मापक के आधार पर चयन के योग्य नहीं पाये गये।

## पशुओं के प्रथम श्रेणी के अस्पताल

*२५—श्री मंजूर अहमद—

क्या कृषि व सामुदायिक विकास मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश में पशुओं के प्रथम श्रणी के अस्पताल कहां-कहां हैं? और उनमें डाक्टरों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है?

डाक्टर सीताराम—

प्रदेश में पशुओं के प्रथम श्रेणी के ४५ अस्पताल हैं जिनका विवरण संलग्न सूची में दिया है। उनमें डाक्टरों की नियुक्ति ज्येष्ठता, कार्यक्षमता एवं उपयुक्तता के आधार पर की जाती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६४२ पर)

## मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की दरें

*२६—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर मिर्जापुर में बिजली उपभोक्ताओं को किस दर पर मिर्जापुर विद्युत् सप्लाई, कम्पनी बिजली देती है और कम्पनी को किस दर पर राज्य विद्युत् परिषद बिजली देती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मिर्जापुर नगर के बिजली उपभोक्ताओं को मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा संलग्न तालिका में दी हुई दरों पर बिजली दी जाती है। राज्य विद्युत परिषद् लाइसेंसधारी को अपने रेट शेड्यूल जी० टी० /एच० वी०–४ (परिषद् से प्राप्त प्रतिलिपि संलग्न है) में उल्लिखित दरों पर थोक बिजली देती है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६४३–६४५ पर)

## ग्रामों का विद्युतीकरण

*२७—श्री महीलाल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या शासन पुनः ग्रामों की विद्युतीकरण योजना को चालू करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने-कितने ग्राम लेने का विचार है? क्या मन्त्री जो वर्तमान विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या बताने का कष्ट करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, राज्य में २ अक्तूबर, १९७० तक ५,००० ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में २,१०० और ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा। सर्वे किया जा रहा है और जिलवार ग्रामों की संख्या शीघ्र ही निर्धारित की जायेगी। राज्य में ३१–३–६९ तक १२,८१० ग्रामों में बिजली पहुंच चुकी है।

## बलिया जिले में आर० एम० पी० स्कीम में सड़कें

*२८—श्री जगरनाथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिलान्तर्गत आर० एम० पी० स्कीम में कौन-कौन सी सड़कें कितनी मील की, कब-कब ली गईं?

डाक्टर सीताराम—

वांछित सूचना परिशिष्ट 'ख' में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६४६ पर)

*२९—श्री जगरनाथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़कों का काम ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है या कोई अन्य व्यवस्था है?

डाक्टर सीताराम—

उक्त सड़कों का कार्य ठेकेदारों द्वारा नहीं टोली नायकों द्वारा कराया जा रहा है।

## जौनपुर जिले से सिंचाई अधिकारियों के संबंध में कथित पत्र

*३०—श्री जंगबहादुर (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों के संबंध में जौनपुर जिले के कुछ विधायकों द्वारा मन्त्री महोदय को मार्च, १९६९ में कोई कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस प्रकार का कोई पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

## कानपुर तहसील के ईश्वरीगंज गांव में बरसाती पानी रुकना

*३१—श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्राम ईश्वरीगंज मजरा, ग्राम बिजनौर तहसील व जिला कानपुर के निचाई में बसे होने के कारण प्रति वर्ष बरसात में पानी से भर जाता है जिस कारण कृषकों की फसलों और घरों को भारी क्षति पहुंचाती है ? क्या सरकार बरसाती पानी निकालने के लिये नाला खुदवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अतिवृष्टि के समय तो पानी अवश्य भर जाता है जिससे कृषकों को हानि पहुंचती है परन्तु साधारण वर्षा में बरसाती पानी गांव के एक तलाब में एकत्र होकर जनता द्वारा बनाये गये एक छोटे नाले द्वारा रिन्द नदी में चला जाता है। ऐसी अवस्था में वहां जल निकासी का कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## हरदोई ब्रांच शारदा नहर के सीपेज की योजना

*३२—श्री हरनारायन (जिला पीलीभीत)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरदोई ब्रांच शारदा नहर के सीपेज से १३ मील से २३ मील तक किसानों के खेतों में आने वाले पानी को समाप्त करने के लिये सरकार की ओरसे क्या उपाय हुआ है जिससे किसान अपनी फसल में नहर के पानी से होने वाली क्षति से बच सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मील १९ से मील २७ के सीपेज के संबंध में ४.६६ लाख रुपये की एक योजना बनाई गई है जिसे धन उपलब्ध होने पर कार्यान्वित किया जायेगा।

## कृषि औद्योगिक निगम का व्यय तथा फल उद्योगशाला, रामगढ़ का उत्पादन

*३३—श्री डूंगर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि औद्योगिक निगम पर वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में उत्तर प्रदेश सरकार का कितना खर्चा या ? क्या नैनीताल जिले के रामगढ़ फल उद्योगशाला को चलाने में कृषि औद्योगिक निगम ने कौन से कार्य किये तथा इस उद्योगशाला में वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में कितने रुपये का माल बना और कितने रुपये का बिका ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९६८-६९ में कृषि औद्योगिक निगम ने लगभग ८ लाख रुपया व्यय किया, जिसका आधा उत्तर प्रदेश सरकार के अंश में पड़ा।

फल उद्योगशाला, रामगढ़ जिला, नैनीताल में निगम ने फलों के जैम, सेब का रस तथा डिब्बे बंद फल का उत्पादन किया। वर्ष १९६८-६९ में उद्योगशाला में २.५८ लाख रुपये का माल बना और ४६,००० रुपये का माल बिका।

## बेलसड़ी गांव में नलकूप की नाली में खराबी

*३४—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया इस बात की जानकारी सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी कि ग्राम बेलसड़ी में बने राजकीय नलकूप जो जिला गोरखपुर के बांसगांव ग्रुप में है उसकी नाली ठीक

से न बनाने की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा एवं वहां के नागरिकों द्वारा अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर से अप्रैल, मई १९६९, में की गई है ? यदि हां, तो कब-कब और अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्रश्नकर्ता द्वारा एवं वहां के नागरिकों द्वारा ग्राम बेलसड़ी में बने नलकूप की नाली ठीक से न बनाने के संबंध में अधिसासी अभियन्ता, नलकूप खन्ड, गोरखपुर को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है बल्कि श्री कल्पनाथ सिंह क्षेत्रीय विधायक ने अप्रैल, १९६९ के अन्तिम सप्ताह अथवा मई १९६९ के प्रथम सप्ताह में इस संबंध में अधिशासी अभियन्ता से टेलीफून पर शिकायत की थी। उक्त नलकूप की नाली का निरीक्षण किया गया तथा नाली में जो शिकायत मिली उसको दूर करा दिया गया ।

## कृषि औद्योगिक निगम के माध्यम से प्राप्त ट्रैक्टर

*३५--श्री शिवकुमार मिश्र (जिला शाहजहांपुर)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में कृषि और औद्योगिक निगम के माध्यम से वर्ष १९६८-६९ तक कितने ट्रैक्टर प्राप्त हुये हैं और उनकी संख्या जिलेवार कितनी है ?

डाक्टर सीताराम--

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम के माध्यम से वर्ष १९६८-६९ तक ५०० ट्रैक्टर राज्य के लिये प्राप्त हुये हैं। आवंटित ट्रैक्टरों की जिलेवार संख्या संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६४७ पर।)

*३६--श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)--

[६वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## स्वार तहसील में नलकूप तथा नहरें

*३७--श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले की तहसील स्वार में २० जुलाई, १९६९ को राजकीय नलकूपों की क्या संख्या है तथा वित्तीय वर्ष १९६९-७० में कितने अन्य राजकीय नलकूप लगाये जाने की योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

रामपुर जिले स्वार तहसील में २० जुलाई, १९६९ को ९ राजकीय नलकूप थे। उक्त जिले में १९६९-७० के लिये ७ नलकूप स्वीकार किये गये हैं, जिनमें से स्वार तहसील में एक नलकूप लगाया जाना प्रस्तावित है ।

*३८--श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले की स्वार तहसील में कितने मील नहरें हैं, उनके खारजे कितने मील हैं तथा वित्तीय वर्ष १९६९-७० में इनमें कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

रामपुर जिले की स्वार तहसील में ५१ मील लम्बी नहर है और १३ मील ४ फर्लांग लम्बी खारिज है ।

वित्तीय वर्ष १९६९–७० में कोई भी नई नहर व खारिजा (इस्केप) बनाना प्रस्तावित नहीं है ।

## सोरांव तहसील में नलकूप लगाने की योजना

*३९—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत तहसील सोरांव में सरकारी नलकूप लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कितने नलकूप लगाये जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वित्तीय वर्ष १९६९–७० में इस तहसील में दो राजकीय नलकूप लगाने का प्रस्ताव है । इसके लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

## इलाहाबाद जिले में श्रृंगवेरपुर के निकट गंगा से पम्प नहर निकालने की योजना

*४०—श्री रामपूजन पटेल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में श्रृंगवेरपुर के स्थान पर स्थित जलकुण्ड से पम्प नहर की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके कब तक बनने की संभावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, इलाहाबाद जिले में श्रृंगबेरपुर स्थान के निकट गंगा नदी से एक पम्प नहर निकालने की योजना शासन के विचाराधीन है । यदि यह योजना उपयुक्त पाई गई और इसके लिये अतिरिक्त धन उपलब्ध हो सका तो इसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में हाथ में ले लिया जायेगा ।

## बदायूं जिले में बिजली के कनेक्शन न मिलना

*४१—श्री ऋषिपाल सिंह (जिला बदायूं)—

क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले में १० हार्स पावर चक्की तथा आरा मशीन के लिये जिनको बिजली दिनांक १८ नवम्बर, १९६६ के पूर्व स्वीकृत हुई थी तथा एग्रीमेंट हो गये थे तथा जमानत भी जमा हो गई थी, उनके लिये अब तक लाइन न खींचने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

१८ नवम्बर, १९६६ से पहले के ऐसे छः मामले हैं जिनमें लाइन नहीं खींची जा सकी है । इनमें से चार मामलों में प्रार्थियों ने स्वयं कनेक्शन लेने से मना कर दिया तथा शेष दो मामलों में मोटर आदि की फिटिंग का प्रमाण-पत्र (बी० एण्ड० एल० फार्म) प्राप्त न होने के कारण कनेक्शन नहीं दिया जा सका है ।

## इलाहाबाद जिले में नलकूप

*४२—श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह इलाहाबाद जिले के अन्तर्गत बारा, करछना, मेजा तहसीलों में कितने नलकूप इस वर्ष लगवा रही है तथा उन्हें कब तक बनवाया जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

बारा इलाहाबाद जिले की करछना तहसील के अन्तर्गत एक परगना है। करछना तहसील में चालू वर्ष में पांच नलकूप प्रस्तावित हैं। इनमें से दो नलकूपों की बोरिंग हो चुकी है। शेष तीन नलकूपों की भी खुदाई इसी वर्ष की जायगी।

मेजा तहसील में इस वर्ष कोई नलकूप प्रस्तावित नहीं है।

*४३--श्री रामदेव--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

## सर्वश्री सेठ रामगोपाल एवं भागीदार, विद्युत् वितरक, एटा के कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों पर विचार

*४४--श्री चिरंजीलाल (जिला एटा)--

क्या विद्युत् मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि सेठ रामगोपाल एवं भागीदार विद्युत् वितरक, एटा को तारीख १४ नवम्बर, १९६४ में राज्य विद्युत् परिषद् लखनऊ के अन्तर्गत विलय किया गया था, उसके कर्मचारियों की सीनियारिटी, पे फिक्सेशन वा प्रमोशनों के विषय में राज्य विद्युत् परिषद् ने अब तक क्या कदम उठाये हैं तथा उनके रिप्रेजेंटेन्शनों पर जो उन्होंने राज्य विद्युत् परिषद् व सरकार को दिये हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सर्वश्री सेठ रामगोपाल एवं भागीदार विद्युत् वितरक एटा, के विद्युत् संस्थान से लिये गये कर्मचारियों के वतन एवं भत्ते परिषद् के मानक वेतन क्रमों एवं महंगाई भत्ते में उपयुक्त सोपानों पर संस्थान को लेते समय निर्धारित कर दिये गये थे। कर्मचारियों की सीनियारिटी, प्रमोशन तथा उस से संबंधित प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है।

## तुलसीपुर में पकड़ी गयी गल्ला ट्रक

*४५--श्री सूरजलाल (जिला गोंडा)--

क्या सरकार को पता है कि जनपद गोंडा में तुलसीपुर में दिनांक ७ जुलाई, १९६९ को अवैधानिक रूप से बनारस जाते हुये एक ट्रक गल्ला स्थानीय मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने पकड़ा था ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मंगला प्रसाद--

जी हां। जांच हो रही है।

## जिला नियोजन अधिकारी हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४६--श्री रामनिहोर राम (जिला मिर्जापुर)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं संबंधी कितने शिकायती-पत्र जनवरी, १९६८ से फरवरी, १९६९ तक जिलाधीश हरदोई के माध्यम से शासन को प्राप्त हुये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम--

इस अवधि में तीन शिकायती पत्र शासन को सीधे प्राप्त हुये जिनमें दो बेनामी थे तथा एक पर शिकायतकर्त्ता का नाम था जिसकी जिलाधिकारी हरदोई द्वारा जांच कराई जा रही है।

## नवाबगंज तहसील में बिजली

*४७—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में बरेली जिले के तहसील नवाबगंज के कौन कौन से ग्रामों में सरकार का बिचार बिजली उपलब्ध कराने का है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में बरेली जिले की तहसील नवाबगंज के ग्राम के लापुर भटपुरा, खाई खोरा एवं टांडा के विद्युतीकरण का अभी प्रस्ताव है ।

*४८—श्री चेतराम गंगवार—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में नवाबगंज कस्बा में बिजौरिया स्टेशन मार्ग पर बिजली कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अभी कोई योजना नहीं है ।

## परसपुर ब्लाक में सिंचाई के लिए तकाबी

*४९—श्री भगेलूसिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला गोंडा के ब्लाक परसपुर में सन् १९६७ से १९६९ तक विभिन्न सिंचाई योजना के अन्तर्गत जिन लोगों को तकावी दी गयी उनकी सूची सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

इस अवधि में २५७ व्यक्तियों को विभिन्न लघु सिंचाई कार्यों के लिये तकावी दी गयी है जिसकी एक सूची माननीय सदस्य के पटल पर रखी है ।

*५०—श्री भगेलूसिंह—

क्या यह सही है कि उक्त सूची में ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो मृतक सूची में दर्ज हैं या जो कई-कई बार तकावी ले चुके हैं ?

डाक्टर सीताराम—

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सूची में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ।

## सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पंपिंग सेट लगाने में छूट देने का सुझाव

*५१—श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी, मिर्जापुर तक अन्य स्थानों पर जहां अकाल की दशा लगातार ५ वर्षों से चली आ रहा है, वहां पंपिंग सेट लगाने की कोई विशेष छूट या सुविधा देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

इस प्रकार की कोई योजना अलग से विचाराधीन नहीं है ।

## बिजली लेने वाले किसानों से प्राथमिकता शुल्क

*५२--श्री शिवदास--

क्या सिंचाई एवं विद्युत मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जल विद्युत परिषद् ने कृषकों को बिजली देने हेतु उनसे ५०० रुपया अतिरिक्त लेकर बिजली देने का आदेश दिया है तथा क्या यह सही है कि इस ५०० रुपये को सरकार ने वापस न करने तथा इसका सूद भी न देने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

राज्य में नलकूप पंम्पिग सेट के लिये बिजली की बढ़ती हुयी मांग को हर सम्भव उपाय से भरसक पूरा करने के उद्देश्य से राज्य विद्युत परिषद् ने कुछ बैंकों तथा कृषि वित्तीय निगम बम्बई से ऋण लेने का निश्चय किया है। चूंकि इस ऋण पर परिषद् को जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गई धनराशि पर देय सूद से कुछ अधिक सूद देना पड़ेगा, इसलिये परिषद् ने इस घाटे को पूरा करने के उद्देश्य से एक वर्मशियल योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत बिजली लेने वाले काश्तकारों को ५०० रुपये प्राथमिकता शुल्क देना होगा। यह शुल्क परिषद् द्वारा न तो वापस किया जायेगा और न इस पर कोई सूद ही देय होगा। क्योंकि उक्त योजना के अन्तर्गत वे किसान भी लाभान्वित होंगे जो जमा योजना से लाभ नहीं उठा सकते हैं और उन्हें भी वही लाभ प्राप्त होंगे जो जमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त हैं अर्थात् उन्हें भी प्राथमिकता मिल जायेगी और ६ महीने के अन्दर उन्हें बिजली देने का प्रयास किया जायेगा।

## हंडिया तहसील में गौडरी नाला का बांध

*५३--श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला इलाहाबाद के तहसील हंडिया के अन्तर्गत गौडरी नाला में बांध बनाने के लिये सन् १९६४-६५ में केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने शिलान्यास किया था ? यदि हां, तो बांध बनाने का कार्य शुरू हुआ कि नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक शुरू किया जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां, इस कार्य का शिलान्यास डाक्टर राव के उस क्षेत्र में दौरे के समय योजना का विस्तृत प्राक्कलन बनने और प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने से पहले ही करा दिया गया था इसका प्राक्कलन बनने पर मालम हुआ कि केवल २०० एकड़ क्षेत्र को कटाव से बचाने पर ११.६५ लाख रुपा व्यय होगा। इससे न बाढ़ सुरक्षा होनी है और न कोई सिंचाई। इस छोटे से क्षेत्र को कटाव से बचाव करने के लिये शासन के लिये भी इतनी बड़ी धनराशि उपलब्ध करना संभव नहीं हो सकेगा और अभी इसका कार्यक्रम नहीं बना।

*५४--श्री सुखपाल पांडेय--

[६वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

*५५--श्री डूंगर सिंह (जिला नैनीताल)--

(५वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

## फतेहपुर जिले में भदसरी गांव की डाल सिंचाई योजना

*५६--श्री उमाकान्त बाजपेयी (जिला फतेहपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर, ग्राम भदसरी की लिफ्ट योजना जो पांच वर्ष पूर्व ही स्वीकृत हो गई थी उस पर कार्य प्रारम्भ हुआ है अथवा नहीं ?

[श्री उमाकान्त बाजपेयी]

यदि हुआ है तो कितना कार्य दिनांक २० जुलाई, १९६९ तक हुआ एवं शेष कब तक पूरा हो जायेगा, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

भदसरी ग्राम जिला फतेहपुर पर एक ५० क्यूसेक्स क्षमता की डाल सिंचाई योजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य सन् १९६८-६९ में किया गया था, लेकिन यह स्वीकृत नहीं की गई है और न इस पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

चूंकि उक्त भदसरी डाल सिंचाई योजना से लाभान्वित क्षेत्र, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित ६०० क्यूसेक्स क्षमता की मिटौरा डाल सिंचाई योजना द्वारा लाभान्वित होगा, इसलिये छोटी भदसरी डाल सिंचाई योजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक नहीं है।

*५७--श्री उमाकान्त बाजपेयी--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जिला फतेहपुर में ५ वर्ष पूर्व स्वीकृत १०० ट्यूबवैल में से अभी तक एक भी ट्यूबवैल नहीं लगा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

फतेहपुर जिले में १०० नलकूपों के निर्माण का कोई भी कार्यक्रम नहीं था। अतः उन के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

## बरेली जिले में क्यारा ग्राम का पशु चिकित्सालय भवन

*५८--श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला बरेली)--

क्या कृषि एवं पशुपालन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिला के ग्राम क्यारा में एक पशु चिकित्सालय का भवन बनाना स्वीकार हुआ है ? यदि हां, तो कब तक यह भवन बनना प्रारम्भ हो जायेगा ?

डाक्टर सीताराम--

ग्राम क्यारा में एक प्रथमोपचार औषधालय (स्टाक मैन सेन्टर) के निर्माण की स्वीकृति है। भूमि एवं धन का प्रबन्ध हो चुका है। निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ किया जायगा।

## कृषि बीज भण्डार, गंगवार में खाद की चोरी

*५९--श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि बीज भन्डार, गंगवार, थाना हसनपुर, तहसील, जिला मुरादाबाद से मु० ९०४९-५२ का खाद दिनांक १४ दिसम्बर, १९६८ की रात को चुराया गया और चोरी का पता चल जाने पर भी उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

डाक्टर सीताराम--

यह चोरी हुई पर पुलिस को पूरा सबूत न मिलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगानी पड़ी।

*६०--श्री जितेन्द्रपाल सिंह--

क्या सरकार ९०४९-५२ का खाद चोरी जाने पर इसकी गुप्तचर विभाग द्वारा जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं।

*६१—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की बैठक दिनांक २९ जुलाई, १९६९ ई० के प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर के क्रम पर जैसा कि की गई कार्यवाही के विवरण में "ग्राम पनियाली की सिंचाई गूल निजी है", दिया है, तो क्या उप मुख्य मंत्री बतावेंगे कि धारिया नहर से जो कुलावा नं० ८ की गूल पक्की बनाई गई है यह किसके द्वारा बनाई गई है और इसका आकगन क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

नहर कठधरिया के कुलावा नं० ८ की ४ फर्लांग ३३० फिट लम्बी गूल १९५४–५५ में तराई भावर गवर्नमेंन्ट स्टेट द्वारा पक्की बनाई गई थी। इसका प्राक्कलन ११,७९ रुपये का था। १९६०–६१ में सिंचाई विभाग ने दो फर्लांग पक्का बनवाया जिस पर ५,७८५ रुपये व्यय हुआ। यह सब रुपया ब्लाक बजट से व्यय हुआ था। सिंचाई विभाग के बजट में इनका कोई प्रावेजन नहीं था।

## भावर क्षेत्र की नहरों को पक्की करने का प्राक्कलन

*६२—श्री इन्द्रलाल—

क्या उप मुख्य मन्त्री यह भी बतावेंगे कि उपलब्ध पानी के समुचित उपयोग के लिये नहरों के पुनर्निर्माण और पक्का करने के लिये सिंचाई विभाग ने प्राक्कलन बनाया है इस पर कुल कितना रुपया व्यय होगा और किन–किन ग्रामों में यह कार्य किया जावेगा ?

कमलापति त्रिपाठी—

भावर क्षेत्र की नहरों को पक्का करने के लिए १९,५०,६०० रुपये के प्राक्कलन बनाये गये हैं। धन उपलब्ध होने पर ही यह कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा। इस कार्य से २५७ ग्राम लाभान्वित होंगे। संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६५८–६५१ पर)

## महादवा परगना ब्लाक नवाबगंज में असिंचित भूमि

*६३—श्री गंगा प्रसाद—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६८, महादेवा परगना ब्लाक नवाबगंज में दिनांक २९ जुलाई के मेरे तारांकित प्रश्न १६ के उत्तर में क्या मन्त्री जी बतायेंगे ५८०१९ एकड़ जमीन असिंचित है उसको सिंचित करने के लिये चौथी–पंचवर्षीय योजना में कोई योजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो वह योजना कब लागू हो जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्नगत क्षेत्र में इस समय सिंचाई की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। क्योंकि नलकूपों के जल का उपयोग संतोषजनक नहीं हुआ और काफ़ी भूमि उस से डूबी हुई है। सर्वेक्षण किया जायगा कि क्या व्यवस्था की जा सकती है।

# अतारांकित प्रश्न

## आगरा जिले में विकास खंड अधिकारी

१—डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता (जिला आगरा)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले के नियोजन विभाग के कितने विकास खंड अधिकारी १० साल से अधिक उसी जिले में एक ही खंड में कार्य कर रहे हैं ? उनके स्थानान्तरण न होने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

कोई नहीं। स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

## जौनपुर जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें

२—श्री राम सा .र (जिल जौनपुर)—

क्या सरका यह बतायेगी कि जौनपुर जिले में १ अप्रैल, १९६९ से १२ जुलाई, १९६९ तक ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की कितनी नई दुकानें खोली गई ?

श्री मंगलाप्रसाद—

जिला जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में इस अवधि में कोई सस्ते गल्ले की दुकान नहीं खोली गई।

३—श्री रामसागर—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से जनवरी, १९६९ से जून, १९६९ तक प्रतिमास कुल कितना-कितना अनाज जनता में वितरित किया गया ?

श्री मंगलाप्रसाद—

वांछित सूचना संलग्न नक्शे में दी है।

( खिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६१२ पर)

४-६—श्री उदयनाथ (जिला वाराणसी)—

[५वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ८-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## मेरठ जिले में खाद के साथ मक्का और बाजरे का बीज

७—श्री मंजूर अहमद—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मक्का और बाजरे का बीज खाद के साथ दिये जाने की पाबन्दी सरकार ने लगा रखी हैं ? अगर नहीं तो मेरठ जिले कृषि कर्मचारी ऐसा क्यों कर रह हैं ?

डाक्टर स .ाराम—

जी नहीं। ऐसे कोई निदेश जारी नहीं किये गये हैं।

## काश्तकारों को नलकूप के लिए कथित ऋण

८—श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

राज्य विद्युत् परिषद् ने मार्च, १९६९ से दिनांक ३० जुलाई, १९६९ तक काश्तकारों को निजी नलकूपों और पम्पिग सेटों के लिये बिजली उपलब्ध करने के लिये कितनी धनराशि ऋण के रूप में किनको-किनको दी है ? क्या सरकार इसका ब्योरा सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा काश्तकारों को निजी नलकूप और पम्पिग सेटों के लिये बिजली का कनेक्शन लेने के लिये कोई ऋण नहीं दिया जाता।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

## परगना अनूपशहर के लिए प्रस्तावित नलकूप

**९—श्री खवेड़ूसिह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—**

**क्या सिंचाई एवं विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर के परगना अनूपशहर व अहार में वित्तीय वर्ष १९६७–६८ में कितने राजकीय नलकूप के लगाये गये एवं वित्तीय वर्ष १९६९–७० में कितने राजकीय नलकप परगना शहर में लगवाये जा रहे हैं ?**

**श्री कमलापति त्रिपाठी—**

**वित्तीय वर्ष १९६७–६८ में बुलन्दहर जिले के परगना अनूपशहर व अहार में कोई राजकीय नलकूप नहीं लगाया गया। चालू वर्ष १९६९–७० में परगना अनूपशहर में एक नलकूप प्रस्तावित है।**

## जौनपुर जिले में नलकूप

**१०—श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)—**

**क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में प्रत्येक विकास खण्ड में दिनांक २० जुलाई, १९६९ तक लगाये गये सरकारी नलकूपों की संख्या क्या है ?**

**श्री कमलापति त्रिपाठी—**

**जौनपुर जिले के विभिन्न विकास खडों में २०–७–६९ तक राजकीय नलकूपों की संख्या २६६ हैं। इन नलकूपों की विकास खण्डवार संख्या निम्नलिखित हैं :**

| विकास खण्ड का नाम | नलकूपों की संख्या |
|---|---|
| १—सिकरारा .. .. .. | १६ |
| २—धर्मापुर .. .. .. .. | १८ |
| ३—बक्शा .. .. .. .. | १९ |
| ४—शाहगंज .. .. .. .. | ९ |
| ५—सुइया कलां .. .. .. | २६ |
| ६—बदलापुर .. .. .. .. | ७ |
| ७—केराकत .. .. .. .. | २२ |
| ८—जलालपुर .. .. .. .. | ७ |
| ९—डोमी .. .. .. .. | २० |
| १०—मड़ियाहूं .. .. .. .. | ४ |
| ११—बरसठी .. .. .. .. | ४२ |
| १२—रामनगर .. .. .. .. | ४३ |
| १३—मछलीशहर .. .. .. | ११ |
| १४—बादशाहपुर .. .. | २२ |
| योग .. | २६६ |

११—श्री उमानाथ—

जौनपुर जिले के विकास खण्ड जलालपुर, धरापुर तथा केराकत के सूखा क्षेत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में क्रमशः कितने-कितने नलकूप लगाये जाने की योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष १९६९–७० में जौनपुर जिले के विकास खण्ड जलालपुर में १, धर्मापुर में ४ तथा केराकत में ३ नलकूप लगाये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष १९७०–७१ व १९७१–७२ में लगाये जाने वाले नलकूपों की संख्या अभी निश्चित नहीं की गई है।

(श्री अध्यक्ष के सदन में प्रवेश करने पर विरोधी दल के कई सदस्य उनके सम्मान के लिये खड़े नहीं हुये।)

## २५ अगस्त, १९६९ को विभाजन की मांग से उत्पन्न परिस्थिति तथा अव्यवस्था के कारण सदन के स्थगन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय राजस्व मंत्री को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर देने के लिये बुलाने पर)

श्री गोविन्दसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि कल इस सदन में यह सरकार गिर चुकी है तो आज सरकार को प्रश्नों के उत्तर देने का अधिकार नहीं रह गया है।

(व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

आपको यहां का काम चलाने से पहले आज व्यवस्था देना पड़ेगी और अगर आप व्यवस्था नहीं देंगे तब तक हाउस चलेगा नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठें।

(घोर व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह—

मैं चाहता हूं कि पहले हमें बोलने का मौका दिया जाय कल इस सदन के और जेल की मांग रखी गई, उसके उपर अपने 'हां' और 'नहीं' का प्रश्न किया, हमने उस पर विभाजन मांगा क्योंकि 'नहीं' की संख्या उस वक्त अधिक थी लेकिन आपने घंटी बजवाने के बाद हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया जो कि नियमों के विरुद्ध था। आपने गैरकानूनी तरीके में हमें अपने अधिकारों से वंचित रखा है यानी विभाजन नहीं होने दिया। आपने सारी न्याय परम्परा का उल्लंघन किया है और बावजूद अविश्वास के आपने ट्रेजरी बेंचेज को मौका दिया

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान में बोल न सके और बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष—

श्री गोविन्दसिंह, आप बठें।

श्री गोविन्दसिंह—

आपने हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया है इसलिये आप इस व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था न दें क्योंकि यह मामला आपसे ही संबंधित है और आपके गलत निर्णय का फल है। इसलिये

माननीय उपाध्यक्ष को यहां आने दें और वह इस पर अपनी व्यवस्था दें। इसमें डायरेक्टली आप की गलती हुई है। अगर आप चाहते हैं कि सदन की गरिमा बनी रहे और यहां स्वस्थ परम्परायें कायम हों तो आपकी परसनैलिटी चूंकि कन्ट्रोवर्शियल हो चुकी है इसलिये आप उपाध्यक्ष महोदय को कुर्सी पर बिठायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठकर सुन लें, मैं आपको इसी संबंध में बताना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

हम आपकी आज्ञा नहीं मानते, आपने इस कुर्सी को कलंकित किया है, हम आपकी आज्ञा नहीं मानते।

श्री गोविन्दसिंह—

आपने संसदीय प्रणाली को समाप्त कर दिया है, यहां का कार्य तब तक नहीं चलेगा (व्यवधान) जब तक आप कुर्सी पर विराजमान हैं। आपने जनतन्त्र की हत्या की है, हम आपकी आज्ञा नहीं मानते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें।

(व्यवधान)

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल की घटना से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें मैं समझता हूं कि कार्य के सुचारू रूप से संचालन के लिये आज के इस वायुमंडल में अच्छा हो यदि आप आज सदन की अध्यक्षता न करें। उसका कारण यह है कि कल बजट के समय जब आपने एक प्रक्रिया प्रारम्भ की और आपने वोटिंग का सिस्टम पालन किया। आपने हाथ उठवाये और उससे जब पता चला कि विरोधी पक्ष का बहुमत है और कांग्रेस पक्ष का बहुमत नहीं है तो उसी वक्त यह डिक्लेयर करना चाहिये था कि यह सरकार गिर गयी। यही नहीं, जब लोगों ने डिवीजन की मांग की तो उस वक्त दरवाजे बन्द थे वे भी खुलवाये, खास तौर से वह जो कांग्रेस की ओर था और जो सदस्य उपस्थित नहीं थे, दरवाजे उस समय तक खोले गये कि उनको आने का अवसर मिल जाय। यह बिलकुल अनुचित था। आपने जो प्रक्रिया धारण की थी उसको बराबर चलते रहने देना था। उसके दो नतीजे निकले, एक तो आपने इस ऊंचे पद की गरिमा और महिमा को गिराया और दूसरे जो बहुत बड़ा धब्बा लगा उससे सारे समाज और प्रदेश के ऐसे लोगों को जो जनतंत्र प्रणाली में विश्वास रखते हैं, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा।

नैतिक दृष्टि से और कानून की दृष्टि से, हर दृष्टि से कांग्रेस सरकार उसी समय समाप्त हो गयी। आज उसके सदन में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। कान्सटीटयूशनली यह बिल्कुल टूट गयी है, ब्रेक हो गयी है। स सदन का कार्य संचालन होना चाहिये। यह बिल्कुल टूट चुकी है। एसी स्थिति मे सरकार को सदन में नहीं बैठना चाहिये।

आपका जहां तक सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि आपको हटाने की भी प्रक्रिया है परन्तु म ऐसा समझता हूं कि आपने जो कार्य किया है, उससे आप पर विश्वास उठ चुका है, विरोधी पक्ष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

के माननीय सदस्यों का। आज आपको उनके हितों की रक्षा करनी चाहिये थी। सरकार जिसके पास सारी शक्ति है, सारा दल है कभी भी अन्याय करना चाहे, कर सकती है और उससे आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए थी लेकिन मान्यवर, आपने हमारी रक्षा नहीं की। इससे हमें ही नहीं बल्कि जनतंत्र में विश्वास रखने वाले सारे सदस्यों को बहुत आघात पहुंचा है। यह जो जनतंत्र प्रणाली में एक ट्रेडिशन कायम हुयी, बहुत ही दुखद है और उस दुःख को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हमारा ऐसा विचार है कि आप किसी अन्य व्यक्ति को अपने पद पर बैठाने की अनुमति दें ताकि सदन की कार्यवाही ठीक से चल सके। अध्यक्ष पद पर आपको नहीं रहना चाहिये। किसी दूसरे आदमी को अध्यक्ष होना चाहिये ताकि हम अपने विचार उनके सामने रख सकें। इस सरकार का भी अस्तित्व में रहने का कोई औचित्य नहीं है।

(कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें।

(राजस्व मंत्री के खड़े होने पर श्री अध्यक्ष ने उनको बोलने के लिये कहा, श्री रामधारी बिना अनुमति के बोलने का प्रयत्न करने लगे।)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें या सदन छोड़ें।

(जब श्री रामधारी ने बोलना बन्द नहीं किया तब माननीय अध्यक्ष ने उनके पास मार्शल को भेज कर कहलवाया कि वे भाषण बन्द कर बैठ जावें या सदन छोड़ दें। मार्शल द्वारा प्रार्थना किये जाने पर भी श्री रामधारी ने सदन नहीं छोड़ा और बोलते ही रहे। तब श्री अध्यक्ष ने मार्शल को आदेश दिये कि माननीय सदस्य को गार्ड्स की सहायता से सदन से बाहर ले जाया जाय। काउन्सिल हाउस गार्ड्स जब श्री रामधारी को सदन से बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे थे तो उनके दल के अन्य सदस्यों ने उसमें बाधा डाली। इस समय नेता विरोधी दल तथा विरोधी दल के अन्य सदस्य अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गये और अन्य सदस्य विरोधी पक्ष के शोर मचाने लगे। काउन्सिल हाउस गार्ड्स माननीय सदस्य को बाहर नहीं ले जा सके। इस समय बहुत से सदस्य सभा मंडल के बीच खाली स्थान पर इकट्ठे हो गये। भारतीय क्रान्ति दल की बेंचों की ओर से अध्यक्ष पीठ पर किताबें व कागज फेंके गये। उन्हीं बेंचों की ओर से अध्यक्ष आसन की ओर जूते भी फेंके गये। मार्शल ने माननीय सदस्य को बाहर करने में अपनी असमर्थता प्रकट की और सहायता के लिये पुलिस बुलाने की आज्ञा चाही। इस पर श्री अध्यक्ष ने पुलिस को बुलाने की आज्ञा दे दी। पुलिस के आने पर भी शोर मचता रहा और अध्यक्ष के विरुद्ध अपमानजनक नारे लगते रहे। तब श्री अध्यक्ष ने नेता विरोधी दल, श्री चरण सिंह को सदन छोड़ने के लिये मार्शल द्वारा कहा और मार्शल की प्रार्थना पर श्री चरण सिंह सदन से बाहर चले गये। इस समय सदन में घोर अव्यवस्था व्याप्त थी। विरोधी दल के सदस्य श्री अध्यक्ष तथा सरकारी पक्ष के सदस्यों की ओर कुर्सियों की गद्दियां भी फेंकने लगे। अन्त में श्री अध्यक्ष ने पुलिस की सहायता से सदन को कार्यवाही में बाधा डालने वाले समस्त विरोधी दल के सदस्यों को कम से कम बल का प्रयोग करके सदन से बाहर करा देने के मार्शल को आदेश दिये। श्री महीलाल, श्री उदितनारायण, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी मार्शल की प्रार्थना पर सदन से बाहर चले गये। उनके बाद जनसंघ दल के सदस्य भी सदन से बाहर चले गये। कुछ सदस्य सदन से बाहर ले जाये गये जिनमें श्री डी० पी० बोरा भी थे। विरोधी दलों के सदस्य नारे लगाते रहे और मेजें थपथपाते रहे।)

(घोर व्यवधान)

[श्री वासुदेव (उपाध्यक्ष) ने विधान मंडल सचिव, विधान सभा सचिव, सहायक सचिव और मार्शल से श्री अध्यक्ष को कुछ कहलाया मालूम पड़ा।

श्री वासुदेव (उपाध्यक्ष) ने काफी शोर गुल के कारण अपने स्थान पर खड़े होकर कहना प्रारम्भ किया।]

श्री वासुदेव (जिला प्रतापगढ़)---

(मार्शल व पुलिस अधिकारी को सम्बोधित करते हुए)

आई आर्डर यू टु क्लीअर आउट आफ दी हाउस। यू मस्ट गेट आउट ऐट वन्स। आई ऐम दी डिप्टी स्पीकर आफ दी हाउस ऐंड एन आल टाइम आफिसर आफ दी हाउस, आई आर्डर यू टु गेट आउट। आई ऐम एट दी मोमेन्ट फंक्शनिंग ऐज स्पीकर हू इज नाट सीन।

(अनेक माननीय सदस्य भी कुर्सियों पर खड़े हो गये और अनेक अधिकारी, पुलिस अधिकारी के साथ खड़े हो गये। इस बीच पुलिस अधिकारी व श्री वासुदेव के मध्य कुछ कहा सुनी हुई जो सुनी नहीं जा सकी। अंत में पुलिस अधिकारी ने कहा "

"सर, आई हैव कम हियर आन दी आर्डर आफ दी स्पीकर।")

स्पीकर्स आर्डर इज इल्लीगल। मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप तुरन्त हाउस से निकल जाइये। इस तरह से यह सदन नहीं चलेगा। पुलिस ऐण्ड यू (मार्शल) गेट आउट। क्लियर आउट आफ दी हाउस। इट इज लेजिस्लेटिव असेम्बली ऐण्ड नो जंगल।

(इस बीच श्री डी० पी० बोरा तथा कुछ अन्य सदस्यों ने सदन में फिर प्रवेश किया और श्री बोरा मेज पर खड़े होकर नारे लगवाने लगे। सदन में पुलिस अत्यधिक मात्रा में उपस्थित थी और विरोधी दलों के माननीय सदस्यों द्वारा काफी शोर मचाने पर उनको बाहर निकालने का प्रयत्न कर रही थी।)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

स्पीकर का तो इस्तीफा हो चुका है। उनको सदन से चला जाना चाहिये।

श्री वासुदेव---

मैं कहता हूं कि मैं इस हाउस का सर्वेन्ट हूं। (पुलिस अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये) मैं आपको आदेश देता हूं कि आप पुलिस को सदन से बाहर कीजिये।

[मार्शल, श्री वासुदेव (उपाध्यक्ष) व अन्य विरोधी दलों के सदस्यों के हाथ जोड़ते रहे।]

श्री महीलाल---

यह आदेश सदस्यों के लिये है, उपाध्यक्ष के लिये नहीं। फोर्स का इस्तेमाल सदस्यों पर हो सकता है, उपाध्यक्ष पर नहीं।

श्री वासुदेव---

[ × × × ] पुलिस फोर्स बाहर जाय।

---

श्री उपाध्यक्ष ने बाद में बताया कि उन्होंने बार-बार कहा कि "विधान सभा है, जंगल नहीं। पुलिस की यह जगह नहीं।"

नोट---[ × × × ] माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

[जब श्री अध्यक्ष को श्री वासुदेव द्वारा पुलिस अधिकारियों से कही हुई बातों की सूचना दी गई तो श्री अध्यक्ष ने आदेश दिए कि श्री वासुदेव को भी सदन से बाहर जाने को कहा जाय। मार्शल की प्रार्थना पर श्री वासुदेव सदन से बाहर चले गए।]

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

इन्होंने गांधी की आत्मा का मर्डर किया है।

एक सदस्य—

गुप्ता जी से कहिये कि फायरिंग करायें तब हम चले जायेंगे।

एक सदस्य—

जो फोर्स बुलाया गया है, इसको बाहर कर दें। यह सदन का अपमान है।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

ए० जी० खेर, मर्दाबाद।

एक सदस्य—

उपाध्यक्ष, जिन्दाबाद। ए० जी० खेर, मुर्दाबाद।

एक सदस्य—

सदन से पुलिस को बाहर करो। उपाध्यक्ष का आदेश लागू करो। सदन से पुलिस को बाहर करो।

(इस समय पुलिस श्री मंजूर अहमद को सदन के बाहर पकड़ कर ले गई।)

एक सदस्य—

पुलिस के सहयोग पर यह सरकार नहीं चलेगी। पुलिस जबर्दस्ती सदस्यों को पकड़ कर ले जा रही है।

(श्री श्याम सूरत को पुलिस पकड़ कर बाहर ले गई।)

(एस० एस० पी० के कुछ सदस्यों को पुलिस द्वारा बाहर निकाला गया।)

(विरोधी दलों की ओर से कुर्सियों की गद्दियों का फेंकना शुरू हुआ।)

(विरोधी दलों के सदस्य "ए० जी० खेर कुर्सी छोड़ो", "मुर्दाबाद" के नारे लगाते रहे।)

(श्री मंजूर अहमद, श्री राजित रामपाण्डेय, श्री अनीसुर्रहमान, और श्री प्यारे लाल को पुलिस की सहायता से सदन से बाहर निकाला गया। इस मध्य बहुत सी पुस्तकें अध्यक्ष पीठ की ओर फेंकी गयी।)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों को सदन से बाहर पुलिस दल के द्वारा किया गया :—

श्री हरिवंश
श्री नगीना सिंह
चौधरी रामपाल सिंह यादव
श्री शिव कैलाश
श्री रामधारी
श्री हुक्म सिंह (जिला आगरा-फतेहाबाद)
श्री गया प्रसाद
श्री शिव दास
श्री मुन्शीलाल चमार
श्री राम चन्द्र विकल

सर्वश्री डी० पी० बोरा, हुक्म सिंह (आगरा पश्चिमी), मोतीलाल, ईश्वर दयाल, मनोहर लाल, श्री कृष्ण बाजपेयी, रूपनाथ सिंह यादव व रामनिहोर व अजब सिंह।

(सदन में शोर के साथ 'ए० जी० खेर बेईमान', 'ए० जी० खेर मुर्दाबाद' की आवाजें आती रहीं ।)

सर्वश्री नौनिहाल सिंह
रामपति
जैराम
जगदीश गांधी
भाभी
लक्ष्मण स्वरूप
मनफूल सिंह
धर्मबीर सिंह
चन्द्रभान
राम पाल सिंह
आर० पी० देशमुख
गोबिन्द सिंह
सजीवन लाल
रियासत हुसैन

(माननीय सदस्य ने ए० जी० खेर मुर्दाबाद के नारे लगाए)

सर्वश्री सुखपाल पाण्डेय
राम स्वरूप वर्मा
शमीम आलम
हलीमुद्दीन राहत मौलाई
नसीमुद्दीन ।

(कुछ अन्य सदस्य भी पुलिस द्वारा सदन से बाहर ले जाये गये और श्रीमती मसाली देवी भी सदन से बाहर चली गईं ।)

(इस समय ११ बजकर ५० मिनट पर सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से जारी हुई । )

श्री अध्यक्ष—

बाधा डालने वाले सब लोग खाली हो गये हों तो पुलिस फ़ोर्स विदड्रा हो जाये । जो लोग बाहर निकाले गये हैं वह आज दिन भर नहीं आ सकते हैं ।

मैं आपको इत्तला देना चाहता हूं । यह नियम १९८ में है :—

"१९८—वित्तीय कार्य के निस्तारण के लिय समय-सीमा—

इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष अपनी प्रदोज्य शक्तियों के अतिरिक्त उन समस्त अधिकारों या शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो समस्त वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के लिये आवश्यक हों और विशेष रूप से ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यों की पूर्ति के लिये समय नियत कर सकेंगे और जब समय इस प्रकार नियत कर दिया जाय तो वे नियत समय पर ऐसे प्रक्रम या प्रक्रमों के संबंध में जिनके लिये समय नियत किया गया हो, समस्त अवशिष्ट विषयों के निस्तारण के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न प्रस्तुत करेंगे ।"

[श्री अध्यक्ष]

तो हर तरह की शक्ति उपयोग की जा सकती है और अगर भीड़ की भीड़ खड़ी होकर काम नहीं चलने देती है तो उन सबको मैं बजट पास होने के लिये कह सकता हूं कि आप सदन छोड़ दें, (मेजों की थपथपाहट) और अगर नहीं जाते हैं तो हटा सकता हूं। शक्ति मुझे मिल सकती है और मैं उसका उपयोग कर सकता हूं। मेरे ऊपर यहां पर जूते भी फेंके गये, किताबें फेंकी गयीं (शेम-शेम की आवाजें)। दूसरी बात यह है कि यह कहा जाता है कि जब विभाजन की मांग हो जाय तो कार्य पूरा होना चाहिये। मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता था---२५ जुलाई, १९६७ को संविद सरकार यहां मौजूद थी। उस वक्त जो अध्यक्ष थे श्री अग्रवाल जी, उनकी अध्यक्षता में इसी तरह का प्रश्न आया कि एक धनराशि पर विभ जन करने की मांग की गयी। जब विभाजन की मांग की गयी तो घन्टी उन्होंने बजवाई जैसे मने बजवाई थी। घन्टी बजने के बाद उन्होंने लाबियों में भी जाने को कह दिया। जब यहां पर हल्ला हुआ, झगड़ा हुआ, बहुत शोर हुआ तो उन्होंने आधे घन्टे के लिये सदन स्थगित कर दिया। उनकी आज्ञा मैं आपको सुनाऊं, मने तो अभी यह आज्ञा दी नहीं थी। तो उन्होंने यह आज्ञा दे दी कि 'अब कोई कार्यवाही नहीं होगी, मैं सदन को आधे घन्टे के लिये एडजर्न कर रहा हूं, यह विभाजन निरस्त माना जाय।' विभाजन को भी निरस्त कर दिया उन्होंने। मैंने निरस्त भी नहीं किया था, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि आपका तस्फ़िया क्या हुआ। (मेजों की थपथपाहट) कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव मैं सुनाए देता हूं। ३१ जुलाई का है। समिति ने सर्वसम्मति से और सर्वसम्मति में जो लोग थे मैं उनके नाम बता दूं---

१---मैं स्वयं था।

२---श्री वासुदेव, उपाध्यक्ष जी

३---श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा।

४---श्री कृष्णानन्द राय

५---श्री जे० एन० सिनहा

६---श्री कल्पनाथ सिंह

७---श्री सुरेन्द्र विक्रम

८---श्री बसन्तलाल शर्मा

९---श्री धर्मवीर

१०---श्री वीरेन्द्र वर्मा

११---श्री मही लाल

१२---श्री नित्यानन्द स्वामी

१३---श्री रामधारी शास्त्री

१४---श्री सजीवन लाल।

तो कम्युनिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे, बी० के० डी० वाले भी थे और जनसंघ वाले भी थे। यह प्रस्ताव पास हुआ कि सप्लीमेन्टरी क्वैश्चन ७ पूछे जा सकते हैं अधिक से अधिक। जिस दिन एजेन्डा पर एक ग्रान्ट हो तो समिति ने निश्चय किया कि उसका वोटिंग ५ बजे सायंकाल होगा और यदि दो मंत्रियों की ग्रान्ट्स हों तो वोटिंग ढाई बजे और पांच बजे होगा। तो इस तरह से समिति का निश्चय हुआ और उस हिसाब से तारीख १ अगस्त से २४ अगस्त तक हम बराबर काम करते रहे। १६ अगस्त का एजेन्डा था उसमें कुछ अनुदान जिनके ऊपर विवाद नहीं होगा ऐसी मांगें भी थीं और जिनके ऊपर विवाद होना था वह भी सब शाम को ली जानी थीं वोटिंग के लिये पांच बजे क्योंकि एक ही मंत्री ने उनको उपस्थित किया था। तो १२ बजे दोपहर को यह विभाजन की मांग करना जबकि तय हो चुका था कि दो मंत्री हों तो ढाई बजे वोटिंग होगा, यह अनुचित था। कल मैंने यह जानकारी करने की कोशिश की कि क्या तय हुआ था। शान्ति प्रपन्न जी ने

जानकारी दी। विरोधी दल वालों ने ढाई बजे और पांच बजे के बारे में कुछ नहीं कहा। उसका प्रतिवाद भी नहीं किया। लेकिन कहते थे कि वोट शुरू कर दिया इसलिये विभाजन रोक नहीं सकते। उप मुख्य मंत्री जी ने व्यवस्था का प्रश्न मेरे सामने उपस्थित किया था। तो जो चीज तय हो जाय ईमानदारी से, जैन्टिलमैनली तरीके से, मैं सब सदस्यों को जैन्टिलमैन समझता हूं, उसका पालन करना चाहिए था। धोखा देकर कोई काम नहीं करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि कोई काम धोखे से न किया जाय। क्या तय हुआ था, यह चीज मुझे देखनी थी। मैं समझता था कि इसके ऊपर विवाद नहीं होगा और यह प्रथा रही है कि जिस ग्रान्ट पर विवाद नहीं हुआ है उनके ऊपर कभी विभाजन की मांग नहीं की गयी। वायस वोट से ही वह तय हो गया। लेकिन विभाजन की मांग की गयी, और उसके बाद जब माननीय उप मुख्य मंत्री ने यह कहा कि यह विभाजन की मांग विपरीत है उस बात के जो तय हुआ है। आलरेडी यह चीज तय हो चुकी थी कि वोटिंग ढाई और ५ बजे ही होगी। इसलिये मैंने जानना चाहा कि विरोधी दल वाले क्या कहते हैं। सभी विरोधी दल के माननीय नेता बोले और जब माननीय जायसवाल बोल रहे थे तो हल्ला हुआ। माननीय वित्त मंत्री को बोलने नहीं दिया गया और मेजें थपथपाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं बोलने दिया गया तो मैंने १५ मिनट के लिये सदन को स्थगित कर दिया। फिर माननीय उपाध्यक्ष को कोशिश करके इस कुर्सी पर बिठा दिया गया। जब मैंने सदन को स्थगित कर दिया तो कुछ लोग सदन से बाहर चले गये। जब मैं सदन को स्थगित कर देता हूं तो लोग बाहर चले जाते हैं। इसी तरह की एक घटना अग्रवाल जी के जमाने में जब एस०बी०डी० की सरकार थी तब हुई थी। तो जो प्रथा पहले से चली आ रही थी उसी का पालन करने की मैंने कोशश की, लेकिन वह कहते हैं कि अनोखी बात हुई। अनोखी कोई बात नहीं हुई है। उस वक्त उनकी सरकार थी, वह चीज उनके फ़ायदे की थी, आज कहा जाता है कि यह गलत काम हुआ। मेरी नीयत पर आक्षेप किया गया, नीयत मेरी खराब नहीं थी, उनकी थी। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरे विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव वे ला सकते हैं, लेकिन यह कहना कि वे सदन का काम नहीं चलने देंगे यह गलत है। उसके लिये मेरे पास नियम मौजूद हैं। बजट पर जब विवाद चल रहा हो तो नियमों के अनुसार उस वक्त मुझे पूरी शक्ति है कि मैं समय के अन्दर बजट को पास कराने की व्यवस्था कराऊं। समय के अनुसार काम होने दूं। मैं कल व्यवस्था देने जा रहा था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया, लोग हल्ला मचाते रहे। एस० बी० डी० के समय में जो हुआ था मैं वह बताना चाहता हूं। उस वक्त भी सदन को आधा घंटा के लिये स्थगित कर दिया गया था और विभाजन की सारी प्रक्रिया को, जो उस समय हो चुकी थी निरस्त कर दिया गया था। फ़िर एक समझौता हुआ आपस में और उसके अनुसार कार्य हुआ। लेकिन आज स्वयं किया हुआ समझौता विरोधी दल को मान्य नहीं यह क्या बात है? बिना सदन के किसी प्रस्ताव के पास किये हुये अध्यक्ष को केवल शोरगुल से हटाने की अगर कार्यवाही की जाती है तो मैं उसके मुकाबले के लिये तैयार हूं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस सदन की मर्यादा हल्ला गुल्ला करने से ऊंची नहीं हो सकती।

अब आगे के प्रोग्राम को मैं लेता हूं। प्रश्नों का समय तो समाप्त हो चुका है।

## २६ सदस्यों के विरुद्ध सदन का अवमान करने के कारण निलम्बन का प्रस्ताव

**वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)**—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं। आज जो कुछ सदन में हुआ उसके लिये मैं केवल इतना सरकार की ओर से कहना चाहता हूं कि कदाचित इस प्रकार का दृश्य इस सदन में पहले नहीं हुआ था। मान्यवर ने तो इसको जरा कुछ मुलायम भाषा में कहा, लेकिन जिस प्रकार का हिंसा का प्रयोग यहां पर किया गया वह जनतंत्र के लिये न तो शोभनीय है और न उचित है। मैं श्रीमन् को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस तरह की किसी चीज को बरदाश्त

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

नहीं कर सकती। यह सदन का प्रासेस टाइप का अवमान है। आज की घटना के संबंध में मैं कुछ माननीय सदस्यों के नाम लेना चाहता हूं और यह प्रस्ताव करूंगा कि सदन का अवमान जो माननीय की आंखों के सामने हुआ है उसके लिये उन सदस्यों को कम से कम ३ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित कर दिया जाय।

माननीय, मैं नाम आपके सामने रखना चाहता हूं—

१—श्री शम्भूनाथ चौधरी

२—श्री मंजूर अहमद

३—श्री डी० पी० बोरा

४—श्री ईश्वर दयाल त्यागी

५—श्री जगदीश गांधी

६—श्री महीलाल

७—श्री गोविन्दसिंह नेगी

८—श्री हरनरायन

९—श्री रामप्रसाद देशमुख

१०—श्री अनीसुर्रहमान

११—श्री मोतीलाल देहलवी

१२—श्री अनन्तराम जायसवाल

१३—श्री महेन्द्रसिंह

१४—श्री राजितराम पान्डेय

१५—श्री अब्दुल गफ्फार हाशमी

१६—श्री धर्मसिंह

१७—श्री लक्ष्मणस्वरूप

१८—श्री प्रभुदयाल

१९—श्री मोहम्मद असगर अहमद

२०—श्री ओम्प्रकाश सिंह

२१—श्री जैराम

२२—श्री मनोहरलाल

२३—श्री रूपनाथसिंह यादव

२४—श्री अजबसिंह

२५—श्री मोतीलाल

२६—श्री शिवराजसिंह।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने आज आपके सम्मुख ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रस्ताव दिया है, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव के विरुद्ध। आपने सदन में स्वयं देखा है और माननीय सदस्यों ने भी देखा है कि उपाध्यक्ष महोदय मेज पर खड़े होकर किस प्रकार हिंसा के लिये भड़का रहे थे। मार्शल को धमका रहे थे और गार्ड्स को

धमका रहे थे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये उपाध्यक्ष होकर इस प्रकार से सदन को भड़कायेंगे तो किस प्रकार से सदन की गरिमा कायम रह सकेगी। मैंने जो सदन के अवमान की नोटिस दी है, माननीय अध्यक्ष उस पर विचार करें।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

यह हल्ला गुल्ला उन्हीं की वजह से हुआ।

श्री अध्यक्ष--

उपाध्यक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उसके लिये सबस्टेन्टिव प्रस्ताव आना चाहिये कि उनको सदन की सेवा से हटा दिया जाय और वह मेरे पास आ चुका है।

(मेजें थपथपाई गईं।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, स सम्बन्ध में मैं दो-तीन चीजें माननीय सदन के सामने आपके द्वारा कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

क्या आपका प्रश्न विशेषाधिकार का है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

जी हां, निलम्बन का भी है।

श्री अध्यक्ष--

निलम्बन का प्रस्ताव जब मैं इंगित कर दूं तो उसके बाद आता है। मैंने तो इंगित अलग अलग व्यक्तियों को नहीं किया। जो शोर कर रहे थे उनको मैंने रिमव करने के लिये आर्डर दे दिया। उनके बाद जो विशेषाधिकार का प्रश्न रहे हैं यह जरूर आ सकता है और उस विषय में आपने उनको सूचना दे दी कि नहीं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, मैंने प्रत्येक उस माननीय सदस्य को इंगित किया था जो शोर कर रहे थे। ये शोर करने वाले ही नहीं बल्कि जिन्होंने हिंसा का भी प्रयोग किया था।

श्री अध्यक्ष--

नियम २९९ है--सदन में शान्ति और व्यवस्था--

(१) अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निर्देश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाये वह तत्काल सभा मंडप से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे।

(२) अध्यक्ष निम्नलिखित दशाओं में किसी सदस्य को इंगित कर सकेंगे:--

(क) यदि उपनियम (१) के अन्तर्गत बाहर चले जाने का आदेश दिये जाने पर सदस्य उसका पालन न करें, जैसा कि मैंने कम से कम एक को इंगित किया था--शायद रामधारी शास्त्री को, या

[श्री अध्यक्ष]

(ख) यदि अध्यक्ष उपनियम (१) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग अपर्याप्त समझें, या

(ग) यदि सदस्य जान बूझ कर सदन की कार्यवाही में बार-बार अव्यवस्थित रीति से बाधा डालें, जैसा कि मैंने एक सदस्य का नाम लिया था, तो जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जायगा सदन नेता अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि इंगित सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय। अध्यक्ष को सदन के निश्चित कार्यक्रम को पूरा कराने की पूरी शक्ति है और वह कार्यवाही की किसी भी प्रक्रम में आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है। यह अधिकार उसे है।

इसके अतिरिक्त नियम १९८ में बजट पास करने की व्यवस्था है। उसमें नियम यह है—वित्तीय कार्य के निस्तारण के लिये समय सीमा—इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष अपनी प्रयोज्य शक्तियों के अतिरिक्त उन समस्त अधिकारों या शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो समस्त वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के लिये आवश्यक हों और विशेष रूप से ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यों की पूर्ति के लिये समय नियत कर सकें और जब समय इस प्रकार नियत कर दिया जाय तो वे नियत समय पर ऐसे प्रक्रम या प्रक्रमों के सम्बन्ध में जिनके लिये समय नियत किया गया हो, समस्त अवशिष्ट विषयों के निस्तारण के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न प्रस्तुत करेंगे।

नियम यह है कि बजट पास कराने के लिये हम सब कुछ कर सकते हैं। एक-एक आदमी को तो मैंने इंगित किया नहीं, लेकिन जिस आदमी का मैंने नाम लिया—जब वे नहीं माने तो शक्ति का उपयोग करने पर भी उनको बाहर कराने की कोशिश की फिर भी वे रेसिस्ट करते रहे। तब मैंने आदेश दिया कि इस तरह की गलत कार्यवाही करने वाले सब को हटा देना चाहिये। नियम १९८ के अनुसार बजट पास कराने के लिये यह आवश्यक था। इस तरह से आप विशेषाधिकार का प्रश्न दे सकते हैं लेकिन इंगित मैंने किसी को नहीं किया है इसलिये आप २९९ नियम के अन्तर्गत उनके निलम्बन का प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। क्योंकि एक दिन के लिये उनका निलम्बन तो हो गया। अब आप सुचारु रूप से अपना काम करें और जितना आज का एजेंडा है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयत्न करें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, श्रीमन् ने जो व्यवस्था दी उसके प्रति हम लोग श्रद्धानत हैं, लेकिन श्रीमन्, इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो नियम २९९ है उसको जरा सा पढ़ें उसमें है—'अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाये वह तत्काल सभा मंडप से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे'। मान्यवर, यदि ऐसा न हो यानी इस प्रकार से सामूहिक अवज्ञा हो तो उस परिस्थिति में एक-एक को इंगित करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमन्, जब आपने उनको बाहर जाने का आदेश दिया तो उसका पालन नहीं हुआ। उसके बाद भी जब वे बाहर नहीं गये तो यह ख्याल किया जाना चाहिये कि जो लोग बाहर नहीं गये उन सब को श्रीमन् ने इंगित किया। इसलिये श्रीमन् के सामने यह प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं कि न जाने इसी प्रकार की दुर्घटनायें आये दिन सदन में होती रहें, और उनको हम सहन करें तो जनतंत्र कैसे रहेगा, किसी सदन की मान मर्यादा और गरिमा कैसे कायम रहेगी? इसलिये श्रीमन् से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नियम २९९ (१) है उसके बाद ही (२) की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। जिस समय बाहर जाने से उन्होंने इन्कार कर दिया, उसी समय यह समझ लेना चाहिये कि आपने उनको इंगित कर दिया। एक-एक को इंगित करने का अवसर इसलिये नहीं आया कि सामूहिक रूप से सदन की मान-मर्यादा को ठेस पहुंचायी गयी और घंटों तक सामूहिक रूप से शर्मनाक नारेबाजी होती रही।

तो श्रीमन, इन परिस्थितियों में वैसे जो हमारा यह प्रश्न है वह सरलता से प्रिविलेज का भी प्रश्न माना जा सकता है लेकिन मेरा निवेदन है कि आप इसको हमारा संकल्प समझें और चूंकि यह सब सदन के समक्ष हुआ है अतः उन माननीय सदस्यों को ३ दिन के लिये निलंबित करने की आज्ञा प्रदान करें और यदि आवश्यक समझें तो इस प्रस्ताव पर मतदान भी करा लें ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला पिथौरागढ़)---

श्रीमन्, आज जो घटना घटी। आप जब इंगित करते हैं और जब उस पर माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव लाते हैं और जब सदन को आप राय जान लेते हैं तो विशेषाधिकार का प्रश्न होता है। चूंकि यह सब कार्यवाही नहीं की गयी, इसलिये मेरी जो राय है वह आपकी राय के अनुकूल है और माननीय लक्ष्मीरमण जी की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। आपने जो कहा है वही अंतिम निर्णय लिया जाय, तो ठीक होगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नियम ६३ के अंतिम पैरा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें दिया हुआ है "कि परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।"

अब मैं नियम ७१ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें दिया हुआ है कि "उस दशा को छोड़ कर जब कि विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष किया गया हो, सदन दंड--आदेश देने के पूर्व दोषारोपित व्यक्ति को उस पर लगाये गये दोष के स्पष्टीकरण या निर्दोषिता-सिद्धि के सम्बन्ध में अपना पक्ष उपस्थित करने का अवसर देगा।" तो इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि जब कि सदन के समक्ष प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हुआ हो। आप कृपया नियम ७३ की ओर भी ध्यान दें। उसका जो अंतिम नियम है उसको देख लें। उसमें लिखा है (१) भर्त्सना, (२) शास्ति, (३) सदस्य का निलम्बन, (४) जुर्माना, (५) सदस्य का निष्कासन, तो मैं इसमें निलम्बन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस सदन के समक्ष हुआ है, उसमें कोई गवाही की आवश्यकता नहीं है। यह पूर्ण रूप से अवमान हुआ है। यहां पर हिंसात्मक कार्यवाही हुयी। चूंकि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, तो यह निलम्बन का प्रस्ताव बिलकुल ठीक है। मैं माननीय विष्ट की राय से सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार का प्रश्न तो ठीक हो सकता है। अब उस पर चर्चा होगी और अगर हाउस इस निश्चय पर आता है तो फौरन निलंबित करने का आदेश दिया जा सकता है लेकिन नियम २९९ में मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं। मैंने इंगित नहीं किया है, अलग-अलग। सदन का अवमान हुआ है, इसे मैं स्वीकृत करता हूं। आप इसके लिये प्रस्ताव लायें ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज जिन माननीय सदस्यों का नाम मैंने अभी सदन में लिया उन्होंने सदन का अवमान किया है। इस सदन की मान-मर्यादा को ठेस पहुंचायी है। इसके लिये यदि आप आवश्यक समझें तो मैं नाम पढ़े देता हूं।

श्री अध्यक्ष---

पढ़ने की क्या आवश्यकता, आप मेरे पास भेज दीजिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, मैं पढ़े देता हूं। इनमें सर्वश्री शंभू नाथ चौधरी, मंजूर अहमद, डो० पो० बोरा ईश्वर दयाल, जगदीश गांधी, महीलाल, गोविन्द सिंह, हरनरायन, राम प्रसाद देशमुख, अनीसुरहमान, मोतीलाल देहलवी, अनन्तराम जायसवाल, महेन्द्र सिंह, राजित राम पांडय, अब्दुल गफ्फार हाशमी, धर्मसिंह, लक्ष्मण स्वरूप, प्रभु दयाल, मोहम्मद

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

असरार अहमद, ओमप्रकाश सिंह, जैराम, मनोहरलाल, रूपनाथ सिंह यादव, अजब सिंह, मोतीलाल और शिवराज सिंह ।

जैसा कि मैंने निवेदन किया और भी सदस्य हो सकते हैं। लेकिन आज की घटना के संबंध में मैं कहना चाहता था कि जो कुछ आज सदन में सामने हुआ वह अत्यन्त लज्जानक है। यहां जो सदन में हुआ उसका एक पक्ष रखा। मैं सरकारी पक्ष भी श्रीमन् के सामने रखना चाहता हूं। कल वोटिंग नहीं हुई और अगर हुई तो केवल इतनी ही जिसमें श्रीमन् ने यह कहा कि इस ग्रान्ट पर वोट हो तो येस (हां) की संख्या अधिक है। उसी समय व्यवधान हो गया। उस समय हमारे उप मुख्य मंत्री जी श्रीमन् के समक्ष कोई सवाल रख सकते थे या कोई प्रश्न उठा सकते थे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था दी थी कि मंत्री उठा सकते थे ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मेरे पास यह किताब है 'प्रैक्टिस ऐंड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट बाई एम० एन० कौल एंड एस० एल० शंखधर'। इसमें लिखा है :

"When a division has been called and the lobbies have been cleared the debate is closed and no member can rise to speak. A point of order may be allowed by the Speaker after the lobbies have been cleared but it should be strictly related to the issue before the house i. e. the Division."

डिवीजन तो इश्यू था। एक प्रश्न उठा। तो यह बिलकुल उचित था कि वह प्रश्न उठता और श्रीमन् ने यह कहा था कि इस प्रश्न पर कुछ कहना है तो कहें। श्रीमन् ने इसका जिक्र कर दिया। मुझे तो दुख है कि इस प्रकार से कैसे जनतंत्र चलेगा। बिजनेस कमेटी में यह तय हुआ था उसकी नकल मेरे पास मौजूद है और उसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे और सर्वसम्मति से बात तय हुई थी—सर्वश्री वासुदेव, उपाध्यक्ष स्वयं, शान्ति प्रपन्न शर्मा, कृष्णानन्द राय, जे० एन० सिन्हा, कल्पनाथ सिंह, वीरेन्द्र विक्रम, बसन्तलाल, धर्मवीर, वीरेन्द्र वर्मा, मही लाल, नित्यानन्द स्वामी, रामधारी शास्त्री और सजीवन लाल। उसमें यह तय हुआ जो स्पष्ट रूप से इतना था और जो सर्वसम्मति से तय हुआ कि जिस दिन एजेंडा पर एक ग्रान्ट हो उस पर वोटिंग सायंकाल ५ बजे होगी और यदि दो मंत्रियों की ग्रान्ट पर वोटिंग हों तो वोटिंग ढाई बजे और ५ बजे होगी। मान्यवर, यह सदन में रखा गया, यहां स्वीकार किया और इसी के सम्बन्ध में हमारे उप मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते थे....

श्री अध्यक्ष—

सदन में नहीं रक्खा था मैंने उसको स्वीकार कर लिया था अन्डरस्टैंडिंग थी। मेरे सामने सर्व सम्मति से कार्य-मंत्रणा समिति ने प्रस्ताव पारित किया था।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अन्डर स्टैंडिंग थी श्रीमन्, और उसी के अनुसार उप मुख्य मंत्री जी केवल यह कहना चाहते थे कि जिस चीज के लिये क्लियर अन्डर स्टैंडिंग है उसके सम्बन्ध में यह डिपार्चर कैसा ? यही नहीं, मैं फिर मान्यवर का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक बड़ी कठिनाई हम लोगों की यह है कि जिस दिन इधर बैठे एक स्टैन्डर्ड और उधर बैठे तो दूसरा स्टैन्डर्ड। २७ दिसम्बर को यहां क्या हुआ था ? उस दिन माननीय अध्यक्ष महोदय श्री जगदीश शरण जी ने लाबीज में मेम्बर्स को भेज दिया और उसके बाद यहां पर अव्यवस्था हो गयी और उसके बाद इस बात पर कि वाकई में कौन-सी प्रक्रिया वोटिंग की इस्तमाल किया जाना चाहिये दो दिन तक बहस होती रही

सदन में और उसके बाद यह तय हुआ कि यहां पर दो बक्स रख दिये जायं। भूल गये चौधरी चरण सिंह और उनके सब साथी। यही नहीं, बल्कि २७ दिसम्बर की समस्त प्रक्रिया उस दिन समाप्त भी कर दी गयी ....

श्री अध्यक्ष—

२७ दिसम्बर नहीं, २७ जुलाई की बात है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैंने दिसम्बर गलती से कह दिया, जुलाई की बात है। आखिर यह क्या मांग थी सदन में कि सरकार नहीं रही ? क्या बात हो गयी ? कोई वोटिंग नहीं हुई। इसके अतिरिक्त हमारे उपमुख्य मंत्री जी ने बयान भी दिया कि हम लोगों की किसी भी समय संख्या कम नहीं थी। यही नहीं, फिर भूल गये चौधरी साहब और उनके साथी कि यहां पर स्वयं वोटिंग में उनकी हार हो चुकी थी और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी लम्बी-चौड़ी तकरीर दी थी १८ दिसम्बर, १९६७ और जैनिंग्स को कोट किया

"But the Government will treat as a matter of sufficient importance the demand for resignation, but it is primerily a question for the Govt. to decide."

तो मांग जिस पर विवाद नहीं होने को है उस समय हम सदन के बाहर चले जायं और वोटिंग हो जाय तो उसको हम स्नैप वोटिंग ट्रीट करेंगे या नहीं ? जैनिंग्स के सम्बन्ध में मैं बहुत लम्बी बातें न कह कर केवल एक ही चीज पढ़ देना चाहता हूं। यह तय हो चुका है पार्लियामेंटरी प्रोसीजर में कि कभी भी स्नैप वोट से गवर्नमेंट नहीं गिरा करती। कवल यह सोचना पड़ता है कि कई में तो गवर्नमेंट माइनारिटी में नहीं आ गयी। यही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मांग थी उनकी। यदि उनको श्रीमान् में अविश्वास है तो उसकी कांस्टीट्यूशनल रेमेडी है। वह एक अविश्वास का प्रस्ताव लाते।

केवल एक चीज कह कर मैं समाप्त करता हूं। मुझे बहुत दुख है हमारे उपाध्यक्ष के रवैया के सम्बन्ध में। जबकि श्रीमन् ने हाउस को एडजर्न कर दिया था तो उनको क्या अधिकार था कि वह श्रीमन् की कुर्सी पर बैठें। मुझे इसलिये दुःख है कि सदन ने एक मत होकर उन्हें स्वीकार किया था और उन्होंने सदन की प्रतिष्ठा को ठस पहुंचाया है और जनतंत्र के समस्त इतिहास में कालिमा की एक लाइन पोत दी है। आज जो उनका व्यवहार सदन के सामने हुआ वह सदन के लिये और उनके लिये अत्यन्त लज्जाजनक है। क्या इस प्रकार के लोग उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर रखे जाने के योग्य हैं ? हम सब विचार करगे कि उनके सम्बन्ध में हम क्या करें। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हम इस प्रस्ताव क द्वारा यही कहते हैं कि यह समस्त चीजें इस सदन के समक्ष हुई हैं और मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन सदस्यों को पांच दिन के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे पास प्रस्ताव को भेज दें।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, जो कुछ कल हुआ, वह तो खेदजनक था ही लेकिन जो आज हुआ वह तो निन्दनीय ही था। श्रीमन्, सबसे खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उस समय उपस्थित हुई जबकि माननीय उपाध्यक्ष ने इस सदन के साथ जो कुछ किया वह खेदजनक तो था ही, उनके पद क लिये शोभनीय नहीं था तथा जो इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को चकनाचूर करने वाला था। सबसे ज्यादा खेदजनक दृश्य उस समय उपस्थित हुआ जब कि उन्होंने मेज पर खड़े होकर विरोधी दल के माननीय सदस्यों को इन्स्टीगेट करना शुरू किया। उनका यह कार्य उपाध्यक्ष के लिय तो क्या एक मामूली

[श्री कृष्णचन्द्र शर्मा]

माननीय सदस्य के लिये भी शोभनीय नहीं था। हम लोगों ने उनके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन भेजा था लेकिन आपने आदेश दिया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध वह नहीं लाया जा सकता। यदि वह नहीं लाया जा सकता तो मैं श्री उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

उनको हटाने का प्रस्ताव तो मेरे पास आ गया है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मुझे इस समय कुछ कहने में संकोच भी है लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि यदि मैं आपसे कुछ निवेदन न करूं तो मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करूंगा। जो कुछ आज सदन में हुआ उसकी जितनी निन्दा की जाय, थोड़ी ही है। उपाध्यक्ष जी ने जो कुछ किया, उन्होंने तो अति ही कर दी। उधर की ओर से आपकी ओर जूते और गद्दियां तक फेंकी गयीं। यह सारा काम ऐसा हुआ है जिससे सदन की गरिमा नष्ट हुई है, और सदन का अवमान हुआ है। इस सबके बावजूद मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर जो कुछ भी कार्यवाही की जाय वह जोश और गुस्से में न की जाय, ठंडे दिल से कार्यवाही की जाय। आपने जो व्यवस्था की है कि उन माननीय सदस्यों को दिन भर के लिये सदन से निष्कासित कर दिया जाय, यही मुनासिब है। इसके अलावा जो प्रस्ताव आया है कि कुछ सदस्यों को ३ दिन के लिये निष्कासित कर दिया जाय। अगर मान लीजिये १०–१५ सदस्य ३ दिन के लिये नहीं आये और बाकी १५० आये तो भी वे वही स्थिति पैदा करेंगे और काम होने वाला नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप वही व्यवस्था रखें जो आपने एक दिन के निष्कासन की रखी है, उसे अधिक करने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात यह है कि विरोधी दलों के पीछे उनके ३ दिन के निष्कासन की आज्ञा देना अपनी ताकत का ठीक प्रदर्शन नहीं है। वे जब हमारे साथ होंगे, तब हम उनको बतायेंगे कि वे हमारे किसी कार्य में बाधा नहीं डाल सकते हैं। इसलिये आपने जो कुछ किया है वही पर्याप्त है, उससे अधिक करने की आवश्यकता मालूम नहीं देती।

*श्री रामकुमार शास्त्री—

मान्यवर, बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से स्थिति की विवेचना करते हुए, मेरे मित्र रावत जी ने आपके समक्ष जो रखा वह मैं बड़े गौर से सुनता रहा। एक ओर तो मेरे आदरणीय मित्र यह कह रहे थे कि जो जुर्म हुआ उसकी इन्तिहा बाकी नहीं रह गयी थी। जूता फेंका गया और अगर यहां रक्षा का कोई इंतजाम न किया गया होता तो सम्भव है कि वह आपके पास तक पहुंच जाता।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास तक तो आ गया था।

श्री रामकुमार शास्त्री—

और क्या घटना घटी होती वह भगवान ही जाने और प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में एक ऐसा उदाहरण उपस्थित होता जो हमारे मस्तक के ऊपर कलंक का टीका लग जाता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात और भी है अध्यक्ष महोदय, कि कोई घटना तात्कालिक नहीं होती बल्कि बहुत दिनों की सुलगी हुई आग रहती है। कल चैलेंज किया गया था कि आदरणीय सदन को एक पग भी नहीं चलने देंगे। कितनी परेशानी, दिक्कतें और कुरबानी के बाद इस आदरणीय सदन की रचना की गई थी और अब कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ को या दिमाग को दूसरी तरफ रखकर यहां पर इस चीज को किया। यहां सदन में बैठकर उन्होंने कल कहा कि हम सदन को चलने नहीं देंगे और जैसा उदाहरण यहां पेश किया कि आपको इस हद तक जाना पड़ा कि पुलिस को यहां बुलाना पड़ा। हम नहीं चाहते हैं कि इसमें किसी तरह से पुलिस का हस्तक्षेप हो, विशेष परिस्थिति हमारे सामने है। दुनिया के इतिहास में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। यदि ऐसा बुरा काम करने वालों को सजा न दी जाय तो यह प्रोत्साहित होते रहते हैं, उनके मन बढ़ते रहते हैं। मैं अपने मित्र का बड़ा आदर करता हूं और वह बड़े ऊंचे पद पर रह गये हैं। उन्होंने कल कहा कि अच्छी तरह से लड़ेंगे। आज कहां कमी रह गई है। ऐसे लोग जिनकेखिलाफ कई कई मुकदमें हैं और माननीय डी० पी० बोरा जो मेरी कांस्टीट्यूएन्सी के पास के रहने वाले हैं, उनके ऊपर न जाने कितने क्रिमिनल केसेज चले हैं, वह यहां खड़े होकर इस तरह का कार्य करें, कहां तक ठीक है। उन्होंने श्रीमान जी, की प्रतिष्ठा भंग करने में कोई लिहाज और संकोच नहीं किया। तीन रोज की सजा कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि उपयुक्त सजा देनी चाहिये और उपाध्यक्ष महोदय ने.....

श्री अध्यक्ष—

उन पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया नहीं जा सकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमान जी, मैं बयान कर लूं। आप बाद में जो कुछ भी निर्णय करना चाहें, करें। आप जिस तरह से अपना कर्तव्य पालन करते हैं उसी तरह से आपकी अनुपस्थिति में हम आशा करते हैं कि वे अपने कर्तव्य का पालन करें। यह कहां नजीर है कि आपके चले जाने के बाद वह आपकी कुर्सी पर पहुंच जायं और कहें कि जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है। उनको हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। यहां पर बहुत से काबिल आदमियों का समूह है और खड़े होकर जैसा काम उन्होंने किया है, उसको कहने के लिये मेरे पास शब्द नहीं हैं, कोई एडजेक्टिव नहीं है जिसको मैं उनके साथ लगाऊं, लेकिन यह हमारे लिये असहनीय है। मैं चाहता हूं कि जो सजा उपयुक्त हो वह दी जाय और कड़ाई के साथ दी जाय तभी श्रीमान जी, इस सदन की और प्रजातंत्र की रक्षा होगी और प्रदेश का नाम उज्जवल होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मेरा खयाल यह था और माननीय रावत जी ने जो जिक्र किया, हम लोगों के दिमाग में वह चीज रही है। हम लोगों ने कभी देखा है सदन में इस प्रकार की बातें हों? आज हम लोग अजीब प्रकार के सदन में बैठते हैं जिसमें अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें उदारतापूर्वक कुछ समय हल्लागुल्ला के लिये दिया हुआ है। चार-चार आदमी खड़े होते हैं और एक साथ बात कहने लगते हैं और श्रीमन् के मना करने पर भी, कुछ भी कहने पर भी सदन में निरन्तर अव्यवस्था चलती रहती है। मैं अपने बुजुर्ग साथी रावत जी से कहूंगा कि मैंने बहुत विवशतापूर्वक तीन दिन के निलम्बन की बात कही थी।

श्री अध्यक्ष—

पहले तीन उपवेशनों के लिए, उसके बाद चाहे जितने उपवेशनों के लिए।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मेरे मित्र मुझे बता रहे हैं कि प्रक्रिया नियमावली के नियम ७३ में पांच दिन के लिए हो जायगा। इसीलिए मैंने शुरू में पांच दिन के लिए मांग की।

श्री अध्यक्ष—

हां, ठीक है। ७३ नियम द्वारा हो सकता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

पांच दिन का निलम्बन कर दिया जाय। यह चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संलग्न तालिका में दि हुए इस सदन के सदस्यों को सदन का अवमान करने और सदन को कार्यवाहियों में बाध। डालने के लिए सदन की सेवा से पांच दिन के लिए निलम्बित किया जाय।

नाम ये हैं—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री मंजूर अहमद, श्री डी० पी० बोरा, श्री ईश्वरदयाल, श्री जगदीश गांधी, श्री महीलाल, श्री गोविन्दसिंह, श्री हरनरायन, श्री रामप्रसाद देशमुख, श्री अनीसुर्रहमान, श्री मोतीलाल वेहलवी, श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री महेन्द्रसिंह, श्री राजितराम पांडेय, श्री अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री धर्मसिंह, श्री लक्ष्मण स्वरूप, श्री प्रभुदयाल, श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री जैराम, श्री मनोहर लाल, श्री रूपनाथ सिंह यादव, श्री अजब सिंह, श्री मोतीलाल, श्री शिवराज सिंह।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## श्री उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के संबंध में संकल्प की सूचना

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय मुझे दुख है....

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना दे दूं। सूचना यह है कि श्री सुरेन्द्रविक्रम सिंह ने यह सचिव को सूचना दी है। उपाध्यक्ष के विरुद्ध वह लाना चाहते हैं संकल्प कि उनको हटाया जाय। १४ रोज का नोटिस होता है चाहे अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो।

तो १४ रोज बाद मैं छूंगा कि इसके पक्ष में कौन हैं। अगर एक पांचवांश उसके समर्थन में होंगे तो उस पर फिर डिस्कशन शुरू होगा। इसमें १४ दिन लगेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जो यह नोटिस दे दिया गया है, यदि इजात दे देते आप तो उसका कारण बताने की कोशिश करते।

श्री अध्यक्ष—

१४ दिन तक वह आ ही नहीं सकता। आप उसको पढ़ लीजए।

## *मुख्य मंत्री द्वारा बहुमत में होने के संबंध में वक्तव्य

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुखः है कि कल मैं यहां सदन में उपस्थित नहीं था। मेरे माननीय साथी उप मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में जो कल यहां घटनाएं घटीं वे जिस प्रकार की थीं उनके विषय में तो मैं टीका टिप्पणी नहीं इस वक्त करता, क्योंकि कई साथी कह चुके हैं। केवल इतना आपके जरिए से विरोधी पक्ष के साथियों से और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाहर के लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह दल जो आज सरकार को चला रहा है ऐसे संगठन का दल है जिसने जब कभी भी उसका अल्पमत सदन में हो गया है क्षण भर भी सरकार की बागडोर को अपने हाथ में रखना संसदीय परम्पराओं के विपरीत माना है। और आज भी मेरी यह घोषणा है कि और मेरे साथियों की इस घोषणा में सबकी सहमति है। जिस दिन हम अल्पमत में इस सदन में होंगे उस दिन मैं एक क्षण भी इस सरकार के कार्यों को अपने हाथों में नहीं रखूंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि २२१ व्यक्ति हमारे दल में हैं और २१८ यहां पर उपस्थिति हैं। ३ अस्पताल मुझसे पूछ कर गये थे वह भी अब आ गए और इस प्रकार पूरे २२१ व्यक्ति यहां उपस्थित हैं। इसलिये यदि कोई इस बात की चेष्टा करे कि एक दल जो यहां पर बहुमत में था, उसको कुछ स्नैप वोट के जरिये से हटाने की चेष्टा करे, वह कहां तक न्यायसंगत है, कहां तक ईमानदारी के तकाजे की बुनियाद है और कहां तक उन परम्पराओं की बुनियाद पर है, जो गणतन्त्र की परम्पराओं में और वहां की बातों पर आश्रित हैं। मैं विनम्रतापूर्वक आप के जरिये से कहना चाहता हूं कि इस बात की मांग कि यह सरकार हट जावे क्योंकि यह अल्पमत में हो गई है, जैसा कि हमारे माननीय सम्मानित मित्र इस दल के उप मुख्य मंत्री ने कहा था, न तो कल कोई मत हुआ और यदि कोई मत भी होता और स्नैप वोट के जरिए सरकार को हराने की कोशिश की जाती तो वह तरीका गलत था, परम्पराओं के विपरीत था, घोषित परम्पराओं के जो आज सारे संसार में अपनाई जा रही हैं, उनके पूर्ण विपरीत था।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को पुनः इस सदन में दोहराना चाहता हूं अपने दल की तरफ़ से और संस्था की तरफ़ से जिसका प्रतिनिधि बनकर मैं मुख्य मंत्री के रूप में यहां कार्य कर रहा हूं, कि इस सरकार की जिम्मेदारियों को एक क्षण के लिये भी मैं अपने कंधे पर नहीं ओढ़ूंगा जब अल्पमत में हूंगा, यह तिकड़म कभी नहीं करूंगा कि अल्पमत में होते हुए भी सरकार की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ओढ़े रहूं।

## श्री उपाध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

**श्री अध्यक्ष—**

मेरे पास एक तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न आया है, उनके ऊपर मैं अपना निर्णय दिये देता हूं और वह यह है कि श्री कृष्णचन्द शर्मा जी ने उपाध्यक्ष महोदय के बारे में दिया है, उस पर मैं फ़ैसला दे चुका हूं कि उन पर यह इस तरह नहीं हो सकता।

## विशेषाधिकार की अवहेलना की अन्य सूचनायें

**श्री अध्यक्ष—**

दूसरे संकल्प की सूचना मुझे मिल चुकी है कि अब आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सदन में जिस समय आपके थोड़ी देर सदन स्थगित करनेके बाद सदन बैठा, सदन के निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा यह आवाज लगाई गई कि 'अध्यक्ष बेईमान है, चोर है'। इनके नाम सर्वश्री असरार अहमद, महीलाल, धर्म सिंह व शिवराज सिंह हैं। इस सम्बन्ध में जो नाम दिये गये हैं उनमें श्री आशा राम इन्दू का नाम नहीं लिखा है। यह राम प्यारे जी ने दिया है। इसमें श्री मही लाल, श्री असरार अहमद, श्री धर्म सिंह और शिवराज सिंह के नाम हैं। श्री आशाराम इन्दु की बात रह गई है।

**एक सदस्य—**

माननीय अध्यक्ष महोदय .....।

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहस नहीं हो सकती है ।

श्री इन्द्र जीत (जिला फ़तेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पंडित उचित नारायण शर्मा का नाम नहीं है । पंडित उचित नारायण शर्मा भी कल नारेबाजी कर रहे थे अतः उनको भी निलम्बित किया जाय ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मेरे प्रस्ताव में श्री आशा राम इन्दु का नाम बढ़ा दिया जाय । यदि दूसरा प्रस्ताव इस सम्बन्ध में हो सके तो उसमें भी कोई ऐतराज नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

यह उस प्रस्ताव के संबंध में नहीं हो सकता है । इसे रहने दिया जाय । इसको रहने दिया जाये । अब और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है ।

## नेता विरोधी दल, श्री चरणसिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद यह निम्नलिखित विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में प्रस्ताव श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने दिया है । एक तो 'कल सदन में हुई अशोभनीय घटनाओं को लेकर नेता विरोधी दल, श्री चरणसिंह जी, ने जो वक्तव्य समाचार-पत्रों में दिया, वह तथ्य से परे तथा उसके द्वारा जानबूझ कर गलत फ़हमी फ़ैलाने की कोशिश की है । जब सदन में मतदान नहीं हुआ तो सरकार के गिरने का सवाल नहीं है । उन्होंने अध्यक्ष के कार्यों की आलोचना सदन से बाहर करके अध्यक्ष के पद तथा सदन का अवमान किया है । अतः माननीय नेता विरोधी दल ने सदन की गरिमा भंग करके निश्चित रूप से सदन का अवमान किया है । मैं सदन के अवमान का प्रश्न उठाती हूं ।"

आप इसे प्रेस करना चाहती हैं ?

अनेक सदस्य—

जी हां ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न उठाया है सदन के अवमान का नेता विरोधी दल के द्वारा, उस विषयमें मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि प्रातःकाल जब हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि माननीय नेता, विरोधी दल ने यह कहा है कि अब तो यह सरकार गिर गई, जहां तक मैं समझती हूं न तो इस सदन में वैधानिक तरीके से मतदान ही हुआ है और न यह निश्चय हुआ कि कौन अल्प मत में है और कौन बहुमत में है । ऐसी हालत में यह कहना कि माननीय अध्यक्ष ने जान बूझकर कांग्रेस के लोगों को सदनमें आने दिया और समय लेकर लोगोंको उन्होंने बुलाने दिया और जानबूझकर अवैधानिक तरीके से सदन का कार्य संचालित करने की चेष्टा की है। मैं समझती हूं कि माननीय नेता विरोधी दल के लिये यह उचित नहीं था जब कि सारी बातें सदन में उनके सामने हुई और उन्होंने आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध, आपके इस ऊंचे पद के विरुद्ध जो कुछ कहा वह जानबूझकर कहा । मैं समझती हूं कि उससे सदन की गरिमा कम हुई है और उसके साथ ही साथ आपके इस महान पद के ऊपर जो आक्षेप किये गये हैं, गलत बयानी की गई है वह सत्य से परे है । मैं समझती हूं कि अगर यह परम्परा कायम हुई, अगर अध्यक्ष के कार्यों की इसी प्रकार आलोचना बाहर की गई तो फ़िर हम इस सदन को चलाने में असमर्थ होंगे । आज के प्रजातंत्र

में यह बहुत आवश्यक है कि हम उस पद की रक्षा करें और उस पद को पूरा सम्मान दें जिस पर आप आसीन हैं। मैं समझती हूं कि प्रजातंत्र के इतिहास में ऐसी परम्पराओं को पनपने देना और ऐसी बातों को प्रोत्साहन देना सर्वथा अनुचित होगा और इसलिये मैं जोरदार शब्दों में यह कहना चाहती हूं कि मुझे अफ़सोस है कि इतने पुराने पार्लियामेंटेरियन होते हुये भी और इतने अनुभवी नेता होते हुये भी चौधरी चरण सिंह ने आपके विरुद्ध जो बयान दिया और जिस प्रकार से सदन के बाहर सदन की बातों को गलत करके कहा है उससे सदन का अपमान हुआ है और आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे यहीं पर विचारार्थ लिया जाय क्योंकि ये सदन के सामने सारी बातें हुई हैं और इसे समिति के सामने भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस पर यही सदन विचार करने के लिये सक्षम है और यहीं इस पर विचार हो।

*श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और आपकी नोटिस में लाना चाहती हूं कि इस समय आपके लिये बहुत जरूरी है कि जिन्होंने गलती की है उनको जितनी ज्यादा से ज्यादा मुमिकन सजा मिल सके वह दी जाय। इसलिये नहीं कि इस सदन में आपके साथ बदतमीजी की गयी और इसलिये भी नहीं कि इस सदन में इस सदन का अपमान हुआ है बल्कि इसलिये कि जो हरकात कल और आज सरजद हुई हैं उससे जनता, प्रजातंत्र और समाजवाद को बड़ा भारी धक्का पहुंचा है। यही विरोधी दल के भाई कल हमारी जनता से यह कहते थे कि हम तुम्हारी मदद के लिये एम० एल० ए० बनना चाहते हैं, क्या उन्होंने यह कहा था कि हम मेज को ठोंक ठोंक कर वक्त जाया करेंगे। क्या उन्होंने जनता से कहा था कि शोर करके कोई काम नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, यही वाकयात कल और आज हुये हैं। अगर प्रजातन्त्र को बढ़ाना है, अगर हमें समाजवाद को फ़लने फ़ूलने देना है तो हर चीज कान्फ़्रेन्स टेबुल के ऊपर खामोशी से तय हो जानी चाहिये, चाहे वह गलती उधर की हो या इधर की हो और चाहे बहुमत किसी का हो मगर इस तरह से शोर गुल करके काम न होने देना यह किस कदर गलत बात है और यह पहला मौका नहीं है जब यह वाकायत एक दफ़ा हुआ और अनन्तराम जायसवाल ने पहले भी किया था इसलिये इस किस्म की बात को सख्ती से रोकना चाहिये। मैं इसीलिये चौधरी चरणसिंह के खिलाफ़ जो बात उठाई गई है उसका समर्थन करती हूं।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

मैंने जो प्रस्ताव दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

मैं यह समझता हूं कि आप इसे प्रेस नहीं कर रहे हैं।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीया राजेन्द्रकुमारी जी ने जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव आपके सम्मुख पेश किया है माननीय नेता विरोधी दल के विरुद्ध उस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमन्, कल भी आपने देखा कि इस सदन में क्या क्या घटनायें होती रहीं और श्रीमन्, जो भी नेता विरोधी दल का स्थान है देखें, उनकी मर्यादाओं को गौर करें, उनके पद को देखें, उनका जो राजनीतिकजीवन रहा है उसको देखें और श्रीमान चिट्ठी पढ़नेके बजाय अगर आप निगाह उठाकर देखें जो लाउड स्पीकर के राड लगे हुये हैं, उनको देखें यह सब नेता विरोधी दल के नेतृत्व में हुआ और उन्हीं के नेतृत्व में यह सब काम हो रहे हैं आप जरा गौर करें कि एक तरफ़ तो सदन के अन्दर यह दृश्य आपके सामने है और दूसरी तरफ़ सदन के बाहर यह किया जा रहा है और सदन के अन्दर भी आपकी व्यवस्था की टीका या कोई प्वाइंट आफ़ आर्डर बगैर आपकी सम्मति के नहीं उठाया जा सकता और न बिना किसी सब्स्टैंटिव मोशन के आपके किसी आचरण की टीका की जा सकती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

है और माननीय विरोधी दल के नेता ने अखबारों में बयान दे डाला, सदन की कार्यवाही के संबंध में और श्रीमन्, आपके संबंध में और यह कह दिया कि यह सरकार नहीं है और राज्यपाल महोदय दूसरी सरकार बनायें। आधार क्या है कि यह सरकार हार गई है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि कार्यवाही को किस तरह से तोड़-मरोड़ कर सदन के बाहर पेश किया है। ये सारे प्रश्न इस विचाराधीन प्रस्ताव के अन्दर हो जाते हैं। मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि आप इस प्रश्न पर विचार कर लें कि या तो इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को भेज दें किन्तु उसका अभी गठन नहीं हुआ है तो उसका गठन करके अविलम्ब इस सदन को विशेषाधिकार समिति को दे दें अन्यथा आप स्वयं इस प्रश्न पर निर्णय ले लें। सदन के बाहर यह घटना हो चुकी है तो यदि आप चाहें तो इसको विचारार्थ किसी वक्त ले लें।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--

श्रीमन्, हम लोग बहुत आभारी हैं अखबारों के कि जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया उसको उसी तरह से छापा। यदि आप देखेंगे तो एक जगह उन्होंने "अनअशेम्डली" शब्द दिया है जिसका अर्थ है निर्लज्जतापूर्वक। यह शब्द श्रीमान् के लिये उन्होंने प्रयोग किया है। मैं कहूंगा कि क्या यह उचित है? यह घटना सदन के सामने नहीं घटी है बल्कि बाहर घटी है इसके लिये प्रक्रिया दूसरी होगी। यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि जैसा मेरा तरीका रहा है कि जब अखबारों क बारे में मेरे पास सूचना आती है तो मैं प्रत्यक्ष उनसे पूछता हूं कि क्या उन्होंने ऐसा वक्तव्य अखबार में दिया है या नहीं मैं उनसे पूछ लूंगा कि आपने ऐसा बयान दिया कि नहीं? क्योंकि वह कह सकते हैं कि हमने नहीं दिया। उनसे पूछने के बाद मैं निश्चय करूंगा कि यह प्राइमाफेसी केस है या नहीं। इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को देना पड़ेगा क्योंकि यह सदन के सामने नहीं हुआ है। अगर यह समझ लिया गया होता कि सदन में जो उन्होंने बयान दिया था उसके लिये विशेषाधिकार की अवहेलना होती है तो मैं अभी इसको रूल कर देता कि विशेषाधिकार की अवहेलना प्राग्दर्शन में से हुई है क्योंकि यहां पर वही बात कही थी। इसलिए इसको मैं उनसे पूछ लूंगा फिर उसके बाद निश्चय होगा।

## श्री अध्यक्ष तथा वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

श्री रियासत हुसैन ने मेरे खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है। इसको मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि मेरे विरुद्ध वही स्थिति है जो उपाध्यक्ष के लिये है। उनको १४ दिन के लिये नोटिस देना चाहिये, हटाने के लिये। वित्त मन्त्री जी के खिलाफ भी विशेषाधिकार की सूचना दी है कि माननीय सदन के अधिकारों की अवहेलना हुई है। किस विशेषाधिकार के अधिकार की अवहेलना हुई इसकी कोई सूचना नहीं है। वह नियम के विरुद्ध नहीं बोले उन को तब मैंने बोलने की इजाजत दी थी। तो मैं इसको भी अस्वीकार करता हूं।

एक श्री गोविन्दसिंह नेगी ने मेरे खिलाफ दिया है। इसको भी मैं अस्वीकार करता हूं। विशेषाधिकार का प्रश्न अध्यक्ष के खिलाफ नहीं आ सकता है।

## प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

**श्री अध्यक्ष—**

अब प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति के संबंध में माननीय राजस्व मंत्री अपना वक्तव्य देंगे। मेरे पास दो तार आये हैं। बलरामपुर से आया है कि २० हजार मकान वहां गिर गय हैं। अगर वहां के बारे में मंत्री जी कुछ सूचना दे सकें तो अच्छा है।

**राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—**

मैं बाद में कहूंगा, पहले यह वक्तव्य पढ़ दूं आप की आज्ञा से।

[कुछ माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार का ध्यान इलाहाबाद, एटा, झांसी तथा बलिया जिलों में बाढ़ और अति वृष्टि से उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट किया है।

माननीय रामकिशोर शुक्ल, मनोहर लाल तथा रूपनाथ सिंह यादव ने इलाहाबाद जिले में बाढ़ स्थिति का उल्लेख किया है। माननीय शुक्ल ने कहा है कि गंगा, यमुना और टौंस नदी की बाढ़ से करछना, मेजा तथा हंडिया तहसीलों में फसल की बड़ी हानि हो चुकी है। गंगा में फिर से बाढ़ आ गई है और गांव और शहर के मोहल्लों में पानी भरने की सूचना आ रही है। माननीय रूप नाथ सिंह ने कहा है कि इलाहाबाद जिला पुनः गंगा और यमुना की बाढ़ के चपेट में आ गया है और २१ अगस्त, १९६९ को नदियों का जल-स्तर खतरे के बिन्दु से ऊपर हो गया। कई जगह बांध टूट गये। नगर के कई मोहल्ले और जिले के कछारी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं। विशेषकर फूलपुर, हंड़िया और सोरांव के कछारी क्षेत्रों की खड़ी फसल करीब ५० हजार एकड़ बाढ़ से जलमग्न होने के कारण नष्ट हो चुकी है। वहां की जनता और पशुओं को संकट उत्पन्न हो गया है। गरीब, हरिजन व मल्लाहों के जो नदी के के किनारे के गांवों में आबाद हैं, मकान गिर गये हैं और कई जानवरों की मृत्यु भी हुई है। ऐसी दैवी आपदा के सामने सरकार को युद्ध स्तर पर नाव, टेन्ट, भोजन, सस्ते गल्ले की दुकान, कपड़े आदि की तुरन्त व्यवस्था करनी चाहिये। इसके विपरीत जिला अधिकारी सरकारी देयों की वसूली सख्ती से कर रहे हैं। इन देयों की वसूली मुल्तवी होनी चाहिये।

इस वर्ष इलाहाबाद जिले में जून के महीने में वर्षा सामान्य से बहुत कम रही। इस महीने की सामान्य वर्षा ८०.७० मिलीमीटर है जबकि वास्तविक वर्षा १३.२६ मि० मीटर ही हुई। जुलाई के महीने में वास्तविक वर्षा ४४२.६६ मि० मीटर हुई जब कि सामान्य वर्षा २०३.४० मि० मीटर है। अगस्त के प्रथम दो सप्ताहों में वर्षा ९१.९६ मि० मीटर हुई, जबकि पूरे महीने की सामान्य वर्षा ३००.२० मि० मीटर है।

जुलाई महीने में गंगा तथा जमुना दोनों नदियों का पानी चढ़ाव पर था, परन्तु २० अगस्त के पूर्व उन नदियों का जलस्तर खतरे के बिन्दु के नीचे ही रहा। उस समय कछारी क्षेत्र के कुछ निचले भाग जलमग्न हुए परन्तु ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी जिसमें बाढ़ सहायता कार्यों की आवश्यकता पड़ती। फिर भी जिला अधिकारी ने बाढ़ सहायता कार्य की पूरी तैयारी कर ली थी। २० अगस्त को गंगा तथा यमुना दोनों नदियों में जल-स्तर खतरे के बिन्दु से जो २७८ फीट पर है आगे पहुंच गया है और २१ अगस्त, १९६९ को क्रमशः २७९.३ फीट तथा २७९ फीट हो गया है। इसके बाद ही जल-स्तर घटने लगा। टौंस नदी में जल-स्तर २० अगस्त को ८३.३११ मीटर था जो मध्यम बाढ़ स्तर (८१.७२० मीटर) से ऊंचा परन्तु उच्च बाढ़ स्तर (८५.६४९ मीटर) से नीचा था। इन नदियों की बाढ़ से विस्तृत क्षेत्र में हानि नहीं हुई है। केवल कछारी क्षेत्र के निचले भागों में पानी फैला है। करछना तहसील के मंझियारी गांव में २८ घरों को तथा चायल तहसील के नेवादा गांव में २० घरों को क्षति पहुंची है। इन गांवों के प्रभावित व्यक्तियों को नावों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया

---

[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

गया है। कुल प्रभावित क्षेत्र लगभग ३०,००० एकड़ है जिसमें से लगभग १०,००० एकड़ बोया हुआ क्षेत्र है। बाढ़ से किसी मनुष्य या पशु की मृत्यु नहीं हुई है। बाढ़ सहायता तथा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। जिला अधिकारी ने सूचित किया है कि जिले में चारे का अभाव नहीं है। जिलाधिकारी इलाहाबाद को १,०२,००० रु० बाढ़ सहायता कार्य के लिये तथा ७,४५,००० रु० अथवा तकावी के लिये आवंटित किया जा चुका है। जिलाधिकारी बाढ़-पीड़ितों को तत्परता से यथेष्ट सहायता पहुंचा रहे हैं।

जिले में नदियों की बाढ़ से किसी बांध के टूटने की सूचना नहीं मिली है।

इलाहाबाद जिले का अधिकांश भाग गत वर्ष सूखे से प्रभावित था। सूखे से हुई हानि के कारण खरीफ १३७६ फसली में १४,६८,७१५ रु० की मालगुजारी व लगान में छूट दी जा चुकी है। रबी १३७६ फसली में ८,६१,९२८ रु० की मालगुजारी व लगान में छूट के प्रस्ताव राजस्व परिषद् के विचाराधीन है। साथ ही शासन ने मालगुजारी चालू एवम् बकाया तथा दोनों ऐक्ट की तकावी की वसूली उपर्युक्त सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थगित कर रखी है। सिंचाई कर आदि अन्य देयों की वसूली में उत्पीड़क कार्यवाई न करने के आदेश दिये हैं। ये आदेश अगली फसल अर्थात् खरीफ १३७७ फसल की वसूली देय होने तक लागू रहेंगे। यह कहना सही नहीं है कि वसूली में निर्दयता बरती जा रही है। जिलाधिकारी ने सूचित किया है कि वसूली केवल उन्हीं क्षेत्रों में हो रही है जहां सूखे के कारण फसल को विशेष हानि नहीं पहुंची है। जहां तक वर्तमान खरीफ को बाढ़ से हानि का सम्बन्ध है, इसकी मालगुजारी अभी देय नहीं हुई है। इस हानि की जांच-पड़ताल करने के बाद नियमानुसार राहत मंजूर की जायगी।

एटा के बारे में माननीय सर्वश्री हिम्मत सिंह, रामगोपाल संड, रघुनाथ सिंह, चन्द्रपाल आजाद, मुल्तान सिंह, हुकुम सिंह, महेन्द्र सिंह आदि ने सूचना दी है कि अति वृष्टि के कारण जिले में जलप्लावन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, पानी गांवों की आबादी में भर गया है, बांध टूट रहे हैं। नदियां खतरे का बिन्दु पार कर गई हैं। खड़ी फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। मकान गिर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, पशुओं की बीमारी फैल रही है और चारे का अभाव है। आने-जाने के मार्ग भी अवरुद्ध हैं। बहुत से लोग बेघर हो गये हैं और बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं। माननीय सर्वश्री तिरमल सिंह और बदनसिंह ने सूचना दी है कि काली, बूढ़ी गंगा तथा गंगा नदियों में बाढ़ के कारण पानी गांवों में फैल गया है, बहुत से गांव गंगा की कटान में आ गये हैं तथा जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सरकार से गंगा नदी में बांध और पक्की ठोकरें बनवाने का निवेदन किया गया था परन्तु यह सब कुछ नहीं किया गया। जिले की औसत वर्षा ३३ इंच है। अब तक २२.१ इंच पानी मौक-मौके पर बरसा है। जिले में गंगा, बढ़ी गंगा, काली सेंगर तथा इसान नदियां बहती हैं। गंगा में २०-७-१९६९ से १-८-१९६९ तक पानी बढ़ा था परन्तु खतरे के स्तर से ऊपर नहीं पहुंचा। सेंगर और इसान छोटी तथा पतली नदियां हैं। चूंकि इसमें मिट्टी काफी पट चुकी है इसलिये अक्सर उफान आ जाता है परन्तु इस साल इस प्रकार के उफान से कोई विशेष नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। काली नदी अपने किनारों के भीतर ही बह रही है। गंगा और बूढ़ी गंगा में बाढ़ तथा कटान से अब तक ३८ गांव प्रभावित हुए हैं जिनका बोया हुआ क्षेत्रफल ४,३२८ एकड़ है। जलेसर तहसील में पानी के निकास की समुचित व्यवस्था नहीं है। इस तहसील के करीब १३० गांवों का धर तल काफी नीचा है जिसके कारण यहां बरसात का पानी प्रायः रुक जाता है। गंगा के अलावा अन्य नदियों में उफान तथा अतिवृष्टि से अब तक ८८ गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांवों का बोया हुआ क्षेत्रफल लगभग १०,१४९ एकड़ है। इस तरह जिले के कुल १२६ गांव प्रभावित हुए और १४,४७७ एकड़ बोये गये क्षेत्र में फसल को ५,६१,२०० रु० का नुक्सान आंका गया है। बाढ़ के कारण कोई क्षेत्र बिना बोया नहीं रहा है। ७६ मकानों को नुकसान पहुंचा है जिनका मूल्य ३५,५०० रु० आंका गया है। बाढ़ से किसी पशु या मनुष्य की जान जाने की सूचना नहीं है। पशुओं में कोई संक्रामक बीमारी नहीं फैली है। चारे का कोई अभाव नहीं है।

कोई क्षेत्र बाढ़ अथवा जलप्लावन से नहीं घिरा है। गरीब तथा असहाय बाढ़-पीड़ितों को तत्काल सहायता के लिए खैरात गृह निर्माण के लिये अनुदान तथा आपदा तकावी का वितरण किया जा रहा है। माननीय तिरमल सिंह ने अलीगंज सब डिवीजन में गंगा नदी की धारा को मोड़ने के लिये बांध तथा ठोकरों के निर्माण का सुझाव १९६७ में रखा था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय निरीक्षण करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार की उससे ज्ञात हुआ कि प्रस्तावित बांध से गंगा के प्रवाह को मोड़ना संभव नहीं होगा। इस सर्वे से यह भी ज्ञात हुआ कि ठोकरों के निर्माण का प्रस्ताव बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिये माननीय तिरमल सिंह के उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा सकी।

बलिया जिले की बाढ़ पर सूचना देते हुए माननीय सवश्री मोहन लाल कपूर तथा राम गोपाल संड ने लिखा है कि बलिया-बेरिया बांध में बड़ी दरार पड़ गई है। पानी चारों ओर से भर रहा है। गांव वाले भाग कर आसपास के विद्यालयों में शरण ले रहे हैं। अनेक गांव खतरे में हैं। कोट अजोरपुर गांव गंगा की धार में विलीन हो गया है। परन्तु सरकार की ओर से संकट का सामना करने के लिये अपेक्षित चुस्ती नहीं दिखाई जा रही है। माननीय श्री मनोहर लाल ने भी अपनी सूचना में बलिया जिले की बाढ़ से उत्पन्न भयंकर खतरे का उल्लेख किया है माननीय श्री शम्भूनाथ चौधरी ने अपनी सूचना में विस्तार से लिखा है कि बलिया-बेरिया बांध को सरकार की लापरवाही में १९६४ से ही खतरा उत्पन्न हुआ जब बांध में कटान प्रारम्भ हुई तो मिट्टी की कच्ची ठोकरें बनाकर अबूरदर्शिता दिखाई गई। इन निर्माण में ठेकेदार, ओवरसियर, इंजीनियर मालामाल हो गये। गत वर्ष भी इस बांध की रक्षा के नाम पर पौने दो लाख रुपया खर्च किया गया। इस वर्ष सरकार खतरे की ओर से उदासीन रही और वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने पर बांध के बचाव क लिये पांच लाख रुपये का ठेका दिया गया। माननीय सिंचाई मन्त्री ने बांध के न टूटने का आश्वासन सदन में दिया था किन्तु बांध टूट गया है और लाखों की जन सम्पत्ति को संकट पैदा हो गया है।

प्रारम्भ में ही मैं सदन को सूचना देना चाहूंगा कि बलिया-बेरिया बांध टूटा नहीं है। कटान के कारण हालत नाजुक जरूर है। यह बांध २० मील ४ फर्लांग की लम्बाई में १४.२६ लाख रुपये की लागत से १९५९ में गंगा नदी के बायें किनारे पर बलिया जिले में बनाया गया। यह बलिया जिले की ६०,८५० एकड़ भूमि को बाढ़ से बचाता है। इस बांध के ऊपर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई बलिया–रेलवे गंज सड़क भी है। बांध गंगा से समुचित दूरी पर बनाया गया था किन्तु दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों में नदी में बांध की ओर बहाव प्रारम्भ किया जो बराबर बढ़त जा रहा है। १९६४ में रायघाट गांव के सामने नदी बांध से कुल ११० फीट दूर रह गयी थी। उस समय ५.१४ लाख रुपये की लागत से ६ ठोकरों का निर्माण किया गया जो १९६५ में पूरा हुआ। १९६५ की बाढ़ से यह ठोकरें क्षतिग्रस्त हुईं और १.७६ लाख रु० लगाकर इसे मजबूत किया गया। इन ठोकरों के निर्माण से नदी के बढ़ाव की गति कुछ धीमी हुई। १९६७–६८ तक इस बांध की सुरक्षा में ७.८१ लाख रु० व्यय किया गया परन्तु नदी के बढ़ाव को रोकने में सफलता नहीं मिली। १९६८ में राज्य बाढ़ परिषद् के सामने यह सुझाव था कि एक रिटायर बांध बनाया जाय। इस पर ६.२ लाख रु० खर्च होने का अनुमान था। इस रिटायर बांध के लिय कुछ भूमि अधिग्रहीत होने को थी जिसके खिलाफ न्यायालय से कुछ किसानों ने अन्तरिम निषेध आज्ञा प्राप्त की। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रिटायर बांध क बनाने से ४ गांव, ९५० मकान तथा १५ हजार मनुष्य, १,०४५ एकड़ भूमि के साथ वर्तमान बांध तथा रिटायर बांध के बीच में अरक्षित रह जायेंगी। न्यायालय ने ७–४–१९६९ को अन्तरिम निषेध आज्ञा वापस ले ली परन्तु क्षेत्रीय जनता के विरोध के कारण रिटायर बांध के कार्य को स्थगित करना पड़ा है। केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री ने स्वयं बांध में हो रहे कटाव का निरीक्षण किया था। रुड़की अनुसन्धानशाला द्वारा किये गये अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि १२९ लाख रु० व्यय किया जाय तो विशेष प्रकार की पक्की ठोकरें बनाकर गंगा की धारा को दूसरी ओर मोड़ा जा सकता है। यह योजना अकेल राज्य सरकार के बूते की नहीं है। इस समय कटाव रोकने के लिये क्रेट्स आदि द्वारा अस्थायी कार्य हो रहे हैं। इस पर पांच लाख रु० के व्यय का

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

अनुमान है। जहां तक बलिया बेरिया बांध में सरकारी धन के दुरुपयोग का प्रश्न है, ऐसी सूचना शासन को नहीं है। सदन को यह जानकर संतोष हुआ होगा कि बलिया-बेरिया बांध अब भी टूटा नहीं है इसको बचाने का अनवरत परिश्रम किया जा रहा है हालांकि इस साल गंगा नदी का आक्रामक रुख गत २०–२१ दिन से लगातार चल रहा है और बांध की हालत नाजुक है। बांध में ठोकर नं० १ से ३ तक सबसे ज्यादा कटान हुई है। इसके पीछे बचाव के लिये बालू की बोरियों का एक रिंग बंद बनाया गया है। एक बड़ा रिंग बन्द भी बनाया जा रहा है जो अगले कुछ दिनों में पूरा हो जायगा। यह काम सिंचाई विभाग कर रहा है ऐसी आशा की जाती है कि रिंग बंध बन जाने की वजह से मुख्य बांध टूट जायगा तब भी नदी का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं फैलने पायेगा। जिलाधिकारी ने लिखा है कि अभी तक जिले में बाढ़ से किसी भी मनुष्य या पशु की जान जाने की सूचना नहीं मिली है। कोट अंगोरपुर गांव की आबादी को आंशिक क्षति पहुंची है। इस गांव के अलावा करीब ३०० अन्य गांव भी पानी से घिर गये हैं लेकिन केवल २०० मकानों को बाढ़ के कारण और ५० मकानों को अतिवृष्टि के कारण क्षति पहुंची है। गंगा के कटान से केवल कुल ४५ घरों को नुकसान हुआ है। संबंधित लोगों को सुरक्षित स्थान पर हटा दिया गया है। गांव वालों को बाढ़ की पूरी चेतावनी देने की व्यवस्था है। ३० बाढ़ चौकियां बाढ़ सहायता कार्य में पूरी तरह लगी हैं। सरकारी कर्मचारी बाढ़ ग्रस्त गांवों का बराबर दौरा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में ४० सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गई हैं। ६० नावें लगी हैं। करीब १,२०० आदमियों को सुरक्षित स्थानों पर हटाया जा चुका है। गरीब और असहाय लोगों को खैरात बांटी जा रही है। हाकिम परगना और तहसीलदार बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में जाकर आपदा तकावी का वितरण करें ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि आपदा तकावी की मांग अभी ज्यादा नहीं है। जिले की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। और जनता में किसी तरह की घबराहट या अशांति नहीं है। जिले के पुलिस तथा राजस्व विभाग के कर्मचारी बाढ़ सहायता कार्य में पूरी तरह जुटे हैं। १०० होमगार्ड भी इनकी सहायता क लिये काम में लगा दिये गय हैं। सिंचाई विभाग के कर्मचारी रात-दिन काम में लगे हैं। बलिया जिले में बाढ़ सहायता कार्य के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि का आवंटन होता रहेगा।

माननीय सर्वश्री हिम्मत सिंह तथा रामगोपाल संड ने राज्य के कुछ जिलों में बाढ़ की सूचना देते हुए झांसी जिले के बारे में लिखा है कि नदियां खतरे का बिन्दु पार कर चुकी हैं और बांध टूट रहे हैं। माननीय दामा प्रसाद गोस्वामी ने दिनांक २२ अगस्त, १९६९ को सूचना दी कि १२ अगस्त को शाहजाद नदी में भयंकर बाढ़ आ जाने के कारण ललितपुर शहर में नदी के दोनों किनारे पर बसे नदीपुरा आदि मुहल्लों में सैकड़ों मकानों में पानी भर गया। हजारों आदमी बेघरबार हो गये, बहुत से मकान बह गये, सैकड़ों आदमी भूखों परेशान हैं, कई दिनों तक झांसी-सागर राष्ट्रीय मार्ग पानी में डूब जाने से बन्द रहा तथा ललितपुर के एस० डी० एम० ने मौके पर पहुंच कर बाढ़-पीड़ितों को बाढ़ की चपेट से बचाने में सहायता दी।

झांसी जिले में जून, १९६९ तथा जुलाई के पहले सप्ताह में वर्षा नहीं के बराबर हुई यहां तक कि जिले के कुछ भागों में अवर्षण से उत्पन्न पेयजल के अभाव को दूर करने के लिये शुरू जुलाई में दस लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृति करनी पड़ी। जुलाई के दूसरे सप्ताह में वर्षा की हालत सुधरी। जुलाई महीने में वर्षा नार्मल २९६.४ मि० मीटर से २१०.९० मि० मीटर ज्यादा रही। अगस्त महीने की नार्मल वर्षा २७८.६० मि० मीटर है जो अगस्त के पहले दो सप्ताहों में हो चुकी है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट से पता चलता है कि झांसी जिले में १५ अगस्त के पहले किसी नदी में बाढ़ नहीं आई जिससे धन, जन की हानि हुई हो।

१५ अगस्त को ललितपुर के पास गोविन्दसागर डैम में अधिक पानी आ गया था। डैम की सुरक्षा के लिये डैम के फाटक खोले गये इससे शाहजाद नदी में थोड़ी बाढ़ आई। ललित-

पुर में नदी के किनारे के २९ कच्चे मकानों को ३,०९५ रु० का नुकसान आंका गया है। इन मकान मालिकों को जिलाधिकारी अहेतु क सहायता तथा गृह निर्माण के लिये अनुदान बांट रहे हैं। किसी आदमी या मवेशी की जान नहीं गई है और न कोई बेघरबार हुआ है।]

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय और सदस्यों को वितरित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

इस समय तो खाली वक्तव्य था और प्रश्न शाम को होंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिले के कुल १२६ गांव प्रभावित हुए हैं और १४,४७७ एकड़ बोये गय क्षेत्र में फसल को ५,६१,२०० रु० का नुकसान आंका गया है।

श्री अध्यक्ष—

यदि लोग चाहते हैं तो माननीय मंत्री जी इसको डिस्ट्रीव्यूट करा दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मान्यवर, कुछ लोगों ने आवाज दी कि पढ़ा जाय इस कारण पढ़ने लगा था।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मैं कुछ निवेदन करना चाहता था। यह रिपोर्ट सभी के पिजन होल में रखी गई है। इसके आदि और अन्त को पढ़कर इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय। इस रिपोर्ट में २१ अगस्त तक की घटनओं का वर्णन है। उसके बाद सरजू राप्ती में बाढ़ आई जिससे बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी आदि जिले प्रभावित हुए हैं और उनका वर्णन इसमें नहीं है। तो यह रिपोर्ट अधूरी है और इसमें समय व्यर्थ जायगा और पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो पावेगा और राजस्व मंत्री को फिर सूचना देनी होगी। तो मेरा निवेदन है कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

यह रिपोर्ट अधूरी ही नहीं बल्कि सूक्ष्म है। बलरामपुर, गोंडा, क संबंध में माननीय मन्त्री जी ने कोई चर्चा नहीं की। हम चाहते हैं कि उस पर बहस क लिए मौका दिया जाय। मान्यवर, मनुष्य और जानवरों की हालत वहां इतनी खराब है कि उसका बर्णन नहीं किया जा सकता है। वहां अभी तक सरकारी मदद नहीं पहुंची है इसलिए हमारा जो प्रस्ताव है उस पर विचार किया जाय।

श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)—

पांच ब्लाक प्रभावित हैं।

उप-मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, यह जो बाढ़ की रिपोर्ट है यह दूर-दूर से मंगानी पड़ती है और रिपोर्ट राजस्व मंत्री जी पढ़ रहे हैं उसको मैंने भी देखा तो यह बात सही है कि सारे जिलों की अपटूडेट रिपोर्ट अभी तक नहीं आ सकी। जितनी आ चुकी है उतना पढ़ा है और उसका वितरण भी हो चुका है। लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा। मैं यह सूचना भी देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी तत्काल ही, ज्यों ही सदन का थोड़ा समय समाप्त होता है, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ के इलाकों का, जहां बाढ़ तेजी से आ गयी है, हवाई जहाज से निरीक्षण करने जा रहे हैं। जितनी सूचनायें आयी थीं वह राजस्व मंत्री जी ने दी और-और भी सूचनायें मंगायी गयी हैं और उन्हें जब वे आ जायंगी तो २८ या २९ को जब भी समय मिलेगा प्रस्तुत कर दिया जायगा।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

आदरणीय सदस्य भी जो कि घूम कर आये हैं अगर कोई सूचना देना चाहें तो राजस्व मंत्री जी को दे दें जिससे कि जैसी सहायता की आवश्यकता है वह तत्काल कर दी जाय। जिन लोगों को कठिनाई पहुंच रही है, उनको सहायता की जाय। स्वयं मुख्य मंत्री जी भी जा रहे हैं। और वहां जो व्यवस्था हो सकेगी वे करके आयेंगे।

एक सदस्य—

श्रीमन्, बलरामपुर की स्थिति बहुत गम्भीर है। वहां इंस्पेक्शन हाउस, फैक्टरी, मकान इत्यादि पानी के अन्दर हैं। गांव के लोग छप्परों पर लिपटे हुए हैं। यहां चार नावें फौज की गयी हैं लेकिन राप्ती नदी की धार पार नहीं कर सकती। छः-छः दिन हो चुके हैं लोगों को न खाने को है और न कुछ और प्रबन्ध हुआ है। वहां के लोगों का कहना है कि वहां अब जो बाढ़ आयी है ऐसी स्थिति सौ साल के अन्दर नहीं आयी थी।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास बलरामपुर के बारे में तार आये हैं जो कि मैंने मंत्री जी के पास भेज दिये हैं।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, बांदा में अचानक भयंकर बाढ़ आयी है और वहां का जीवन बहुत खतरे में पड़ गया है। सैकड़ों एकड़ जमीन बाढ़ में डूब गयी है, फसलें नष्ट हो गयी हैं। पहले वहां सूखा के कारण भयंकर स्थिति थी और अब बाढ़ के कारण है। इसके रिपोर्ट में बांदा का जिक्र नहीं किया गया है। वहां के लिये लिखा गया था कि २३ तारीख के बाद से वर्षा नहीं हुई, लेकिन वहां लगातार पानी बरस रहा है। वहां भयंकर स्थिति है। इस ओर भी ध्यान दिया जाय।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि बूढ़ी राप्ती और राप्ती के बीच में जितने गांव बसे हैं वहां पक्के घर तो दिखाई पड़ते हैं, बाकी सब जल-मग्न हैं। अगर सेना की सहायता नहीं ली गयी तो हजारों जानें जायंगी और वहां बरबादी हो जायगी। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस ओर शीघ्र ही ध्यान दें।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, यह दुर्भाग्य की बात है कि मिर्जापुर जनपद कभी सूखा और कभी अतिवृष्टि से पीड़ित रहता है और वहां की जनता को कठिनाई उठानी पड़ती है। मिर्जापुर जिले की बाढ़ के विषय में अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है। तहसील चुनार में सैकड़ों एकड़ जमीन पानी से डूब गयी है। और फसल नष्ट हो गयी है। उसको भी इसमें इन्क्लूड किया जाये।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस संबंध में दफा ५१ के अन्दर बहस हो सकती थी। आपकी व्यवस्था देने के उपरान्त राजस्व मन्त्री से आपके माध्यम से यह निवेदन किया गया था कि यह बाढ़ की रिपोर्ट अति सूक्ष्म और अधूरी है। अभी सभी जगहों से खबरें नहीं आयी हैं। आपने भी इसको मान लिया था। इस वक्त जो दूसरे कार्य पड़े हुये हैं, उनको लिया जाये।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

बस्ती जिले के दक्षिणी इलाके की रिपोर्ट नहीं आयी है। बहुत से क्षेत्र जलमग्न हैं और बहुत से गांव बह गये हैं। लोग भाग-भाग कर सड़क पर जा रहे हैं और अपने गल्ले को, जो कि

पानी में बा पड़ा हुआ है, भी नहीं निकाल पा रहे है। रिपोर्ट आने से पहले सरकार को वहां उचित व्यवस्था करनी चाहिये और रिपोर्ट बाद में मंगाते रहें।

श्री अध्यक्ष—

अब यह समाप्त होता है। राजस्व मंत्री जी का वक्तव्य तो हो गया है। इस वक्त हम आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करें तो अच्छा होगा। इसको बाद में देखा जायगा।

## उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९, को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६५३–६७१ पर)

## १९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १४—कारागार तथा अनुदान संख्या ४५—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

जो २ अनुदान कल उपस्थित किये गये थे और जिन पर मतदान होना था, वह नहीं हो सका और वाद-विवाद नहीं हुआ, उन्हें मैं उपस्थित करता हूं। उसके बाद और दूसरे लिए जायेंगे।

प्रश्न यह है कि कारागार तथा नागरिक सुरक्षा मंत्री के प्रस्ताव पर कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १४ मैं पूछ लेना चाहता हूं कि (१) और (२) के बीच में साधारण नियम यह था कि इन पर वोट नहीं करना था और अगर सर्वसम्मति से यह तय हो कि इस पर वोट ले लें, तो किसी को इसमें आपत्ति तो नहीं है।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १४—कारागार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,३१,७५,१०० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

† २५ अगस्त, १९६९ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४५--- नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने लिए आवश्यक धन राशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,५३,७६,७०० पये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या २४--सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २४ ---सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९४,९३,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २४--- सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९४,९३,२०० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या २९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)---

श्रीमन, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २९---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,३४,३९,४०० पये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २९--- अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,३४,३९,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ३०--समाज कल्याण

श्रीमती विद्यावती राठौर---

श्रीमन, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३०---समाज कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३६,३८,२०० पये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि की पूर्ति के लिये अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३६,३८,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## पिथौरागढ़ के गुरना नामक स्थान पर राजकीय बस के खड्ड में गिरने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

यह आइटम नं० ९ वास्तव में ५ बजे के बाद लिया जाना था लेकिन अब यह कार्य समाप्त हो गया, तो इसको ले लिया जाय।

कई सदस्य—

अभी ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

पिथौरागढ़ के गुरना नामक स्थान पर राजकीय बस के खड्ड में गिरने से यात्रियों की मृत्यु होने तथा घायल होने के सम्बन्ध में सर्वश्री यादवेन्द्रदत्त दुबे व कृष्ण स्वरूप वैश्य द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री वक्तव्य दें।

*चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

श्रीम , राजकीय रोडवेज बस संख्या यू० एस० आर० ०४४५० जब कि १५ अगस्त, ६९ को टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रही थी, टनकपुर से ८६ मील ६ फर्लांग की दूरी पर ६.३० बजे शाम को बहुत ही भीषण रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस सड़क से ४२५ फीट नीचे खड्ड में गिर गई। इस बस को श्री भास्कर दत्त जोशी ड्राइवर चला रहे थे और इसमें श्री अशोक कुमार कन्डक्टर थे। इस बस में ४३ यात्री थे जिसमें बस क्रियू भी शामिल है। ३८ यात्री सेना के थे और ५ असैनिक। दूसरे गेट से आने वाली यह आखिरी बस थी और दूसरी कोई गाड़ी उस सड़क पर नहीं चलने वाली थी। श्री ए० आर० क्यू० कजिलबाश, यातायात अधीक्षक, जिन्होंने इस गाड़ी को बाराकोट के पास चेक किया था और जो गुरना बाजार पर जाकर रुक गए थे, को इस दुर्घटना की सूचना एक सैनिक द्वारा मिली जो कि घायल होकर ऊपर सड़क पर आ गया था। उन्होंने फौरन गुरना गांव के स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित किया और टेलीफून विभाग के एक लाइनमैन द्वारा इस दुर्घटना की सूचना पिथौरागढ़ को भिजवायी। लाइनमैन ने टेलीफोन लाइन को प करके जिलाधीश, पिथौरागढ़ को सूचना भेजी। इसी बीच स्थानीय लोगों की मदद से श्री कजिलबाश ने लोगों को खड्ड से निकाला। थोड़ी देर बाद पिथौरागढ़ पर नि क्त डवेज का स्टाफ और पुलिस और मिलिटरी के अधिकारीगण दुर्घटना के स्थान पर आ गए।

२९ यल लोगों को, जिसमें २५ सेना के थे और ४ असैनिक थे, फौरन पिथौरागढ़ पहुंचाया गया और वे निक तथा असैनिक अस्पताल में भर्ती हुए। अस्पताल में पहुंचने के थोड़ी देर ही बाद एक सेना के आदमी की मत्यु हो गई। बाकी १४ मरे हु आदमियों को जिसमें १३ सेना के आदमी थे और १ असैनिक था, जो कि दुर्घटना स्थल पर ही मर गए थे, को सेना तथा पुलिस के अधिकारि ों को सौंप दिया गया। दूसरे दिन यानी १६ अगस्त, ६९ को सेना के अधिकारी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]--

१६ घायल लोगों को हेलीकाप्टरों के द्वारा बरेली ले गए और यह सूचना मिली है कि उनमें से एक आदमी की मृत्यु बरेली में हो गई। इस तरह से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार १५ सेना के आदमियों की तथा १ असैनिक की मृत्यु हो गई है। ड्राइवर तथा कन्डक्टर घायल हो गए हैं और सिविल अस्पताल, पिथौरागढ़ में अपनी चिकित्सा करा रहे हैं। उनकी स्थिति ठीक है।

जब उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज विकास) तथा सहायक परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) पिथौरागढ़ को १७-८-६९ की शाम को पहुंचे तो वहां पर अफवाह थी कि ब्रेक तथा स्टीयरिंग सिस्टम के फेल हो जाने की वजह से बस दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी। चूंकि पानी बरस रहा था अतः सहायक परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) तथा रीजनल इन्सपेक्टर (टेक्निकल), हल्द्वानी ने १९ अगस्त, ६९ के अपराह्न को गाड़ी का निरीक्षण किया। निरीक्षण से यह पता लगा कि बस में कोई यांत्रिक खराबी नहीं थी जिसकी वजह से गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हुई। टनकपुर में बस के रिकार्ड भी देखे गए और उनसे यह पता लगा कि गाड़ी १ मार्च, ६९ तक ५०,९४७ किलोमीटर चल चुकी थी। गाड़ी के ब्रेक की पूर्ण मरम्मत तथा ओवर हालिंग के तथा ५०,००० किलोमीटर पर मरम्मत के बाद १ मार्च, ६९ को वह वर्कशाप से बाहर भेजी गई। १ जून, ६९ तक लगभग १,००० किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी को मरम्मत के लिये फिर वर्कशाप भेजा गया। गाड़ी की आखिरी मरम्मत के बाद उसे ६ अगस्त, ६९ को फिर वर्कशाप के बाहर लाया गया। ३१ जुलाई, ६९ को रीजनल इन्सपेक्टर (टेक्निकल), हल्द्वानी द्वारा इस गाड़ी को फिट किया गया था। १५ अगस्त, ६९ को जब गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हुई थी तो वह ६१,१९० किलोमीटर चल चुकी थी। निरीक्षण से यह भी पता लगा कि जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो ब्रेक का कोई हिस्सा पुराना नहीं था जिसके बदलने की आवश्यकता थी। गाड़ी का डिफेक्ट रिपोर्ट रजिस्टर भी टनकपुर में चेक किया गया और उसमें ब्रेक, सस्पेन्शन या स्टीयरिंग सिस्टम में ड्राइवर द्वारा कोई खराबी नहीं लिखी हुई है। टायर के पंचर तथा बर्स्ट की खराबी थी लेकिन टायर बदल दिया गया था। अब गाड़ी में कोई यांत्रिक खराबी नहीं थी।

ड्राइवर एक पुराना ड्राइवर है और उसका ड्राइविंग का लाइसेंस १० अप्रैल, ७० तक के लिए है। वह पहाड़ी मार्गों पर गाड़ी चलाने के लिये भी अधिकृत था। टनकपुर पर प्राप्त डियूटी स्लिप के देखने से पता चला कि ड्राइवर को गाड़ी टनकपुर में १५ अगस्त, ६९ को १०-३० बजे सुबह दी गयी थी। गाड़ी टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिये गेट नं० २ से ११-२० बजे सुबह चली थी। निश्चित समय के अनुसार गाड़ी को ६-४५ बजे शाम को पिथौरागढ़ पहुंचना था। दुर्घटना ६-३० बजे शाम को हुई जब कि गाड़ी को केवल १२ कि० मीटर और चलना था। इस तरह से गाड़ी करीब टाइम के अन्दर चल रही थी। चूंकि गाड़ी टाइम के अन्दर चल रही थी अतः ड्राइवर के थकने का प्रश्न नहीं उठता। दुर्घटना का स्थान गुरना पहाड़ी की चोटी से करीब २ फर्लांग दूर था और दुर्घटना मोड़ पर हुई। यह भी पता चला कि गुरना की चोटी से दुर्घटना की जगह बराबर ढाल है और दुर्घटना की जगह की तरफ बहुत उतार चढ़ाव है। यहां पर गाड़ी की रफ्तार १५ से २० कि०मीटर से ज्यादा न होनी चाहिए थी परन्तु जांच से यह पता लगा कि गाड़ी की दुर्घटना के समय में ३० से ४८ कि० मीटर के बीच रफ्तार थी। यह भी पता चला कि दुर्घटना के स्थान से ३५० फिट पहले इस बस ने पैरापेट को तोड़ दिया था और तब से गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल के बाहर हो गयी और किनारे की चार पैरापेट दिवालों को तोड़कर खड्ड में गिर गयी। दुर्घटना के समय मौसम साफ था और सड़क सूखी थी। गाड़ी की बाडी पूर्ण रूप से टूट गयी है। गाड़ी की मरम्मत का अनुमानित व्यय १५,००० रुपये है। प्रधान प्रबन्धक, टनकपुर को आदेश दे दिये हैं कि वह सेना के तथा सिविल अस्पताल के अधिकारियों से चोट खाये हुए व्यक्तियों की हालत के बारे में सम्पर्क बनाये रहें और चोट खाये हुए तथा मरे हुए व्यक्तियों के परिवारों को सहानुभूति की संवेदना भेजें। उपरोक्त जांच के बाद उप परिवहन आयुक्त, रोडवेज विकास तथा सहायक परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) ने निष्कर्ष निकाला है कि यह दुर्घटना आदमी की गलती, ह्यूमैन फैल्योर की वजह से हुई। यह मालूम पड़ता है कि ड्राइवर जल्दी में था। आम

तौर पर ड्राइवर गुरना पर कते हैं लेकिन ड्राइवर उस दिन वहां नहीं का। यह भी पता चला है कि ड्राइवर शराब नहीं पिए हुए था क्योंकि जब वह अस्पताल में दाखिल हुआ था उसके मुंह से शराब की बदबू नहीं आ रही थी। शासन ने जिलाधीश, पिथौरागढ़ को मैजिस्टीरियल न्क्वायरी के लिए आदेश दे दिये हैं जिसके प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। शासन के आदेशानुसार प्रधान प्रबन्धक, टनकपुर ने आदेश जारी कर दिये ह कि प्रत्येक निम्नलिखित मृतक व्यक्तियों के परिवार को १,००० रु० का अन्तरिम एक्स ग्रेसिया पेमेंट कर दिया जाय। भुगतान जिलाधीश, पिथौरागढ़ के द्वारा होगा—

मृतक सैनिकों के नाम

स्वर्गीय सर्वश्री (१) माधो सिंह विष्ट, (२) खेम सिंह, (३) नक्से सिंह, (४) मिल्ला सिंह, (५) सुरजीत सिंह, (६) बने सिंह, (७) हन्सा सिंह, (८) गुरवचन सिंह, (९) कसमीरा सिंह, (१०) राम कुमार, (११) धनीराम, (१२) मोहन सिंह, (१३) लाला राम, (१४) आनन्द राजी, (१५) जे० पी० शुक्ला।

असैनिक का नाम

(१६) श्री हरी दत्त पांडे, पैंकर, पैस्ट आफिस, पिथौरागढ़।

श्री अध्यक्ष—

किसी को कोई प्रश्न पूछना है ?

कई सदस्य—

कोई नहीं पूछना है।

## पुलिस द्वारा शाहजहांपुर के श्री अब्दुल जलील के मकान को जबरदस्ती खाली कराने के संबंध में नियम ५१के अन्तर्गत वक्तव्य

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

जिला मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर घटना का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

मकान नं० २००, मुहल्ला खलीलशर्की, शाहजहांपुर के एक श्री भगवान दास जैन द्वारा खाली किये जाने पर ज्येष्ठ निरीक्षक द्वारा जांच कराई गई और उनकी रिपोर्ट से यह ज्ञात होने पर कि मकान खाली है, इस मकान को श्री फ़रहत यार खां, लिपिक, जिला पूर्ति कार्यालय, शाहजहांपुर को दिनांक १३ अगस्त, १९६८ को एलाट किया गया। मकान मालिक को मकान का कब्जा श्री फ़रहत यार खां को देने के लिये विधिवत् नोटिस दी गई जिस पर मकान मालिक श्री अब्दुल जलील ने आपत्तियां प्रस्तुत की। आपत्तियों पर विचार करने के बाद उन्हें अस्वीकृत किया गया। इस पर श्री अब्दुल जलील ने मण्डल आयुक्त के समक्ष रिवीजन प्रस्तुत किया जिसे आयुक्त ने ३० जुलाई, १९६९ को खारिज कर दिया।

इसके उपरान्त जब फ़रहत यार खां को मकान मालिक द्वारा मकान का कब्जा नहीं दिया गया तो उन्होंने पुलिस द्वारा कब्जा दिलवाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जिस पर दिनांक ६ अगस्त, १९६९ को नियमानुसार पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को एलाटी को कब्जा दिलवाने हेतु आदेश जारी किया गया। इस आदेश के पालन हेतु दिनांक १२ अगस्त, १९६९ को थाना कोतवाली के एक सब-इन्सपेक्टर कुछ अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ विवाद ग्रस्त मकान पर गये। श्री अब्दुल जलील की पत्नी घर पर मिलीं जिन्होंने स्वेच्छा से मकान खाली करने में आनाकानी की। अतः पुलिस ने जनता के कुछ गवाहों को साथ लिया और घर के अन्दर

[श्री कृष्णानन्द राय]

मौजूद सामान को बाहर निकलवाकर उसकी सूची बनाना आरंभ की। अभी सूची बनाई ही जा रही थी कि मौके पर एक वकील कमिश्नर १ बजे पहुंचे और उन्होंने सब-इन्सपेक्टर से श्री फ़रहत यार खां बारे में पूछा। श्री फ़रहत यार खां के न मिलने पर वकील कमिश्नर वापस चले गये। श्री अब्दुल जलील ने एक दावा मुंसिफ़, शाहजहांपुर के न्यायालय में दिनांक ११ अगस्त, १९६९ को दायर किया था जिस पर१२ अगस्त, १९६९ को न्यायालय ने श्री फ़रहत यार खां के नाम मकान का कब्जा न लेने के बावत एक इन्जंक्शन आर्डर जारी किया था। उसी आदेश को लेकर वकील कमिश्नर मौके पर गये थे। न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेश के संबंध में वकील कमिश्नर ने सब-इन्सपेक्टर को कुछ नहीं बताया था और सिवाय श्री फ़रहत यार खां की मौजूदगी के बारे में पूछने के वकील कमिश्नर और सब-इन्सपेक्टर के बीच अन्य कोई बातचीत नहीं हुई। वकील कमिश्नर मौके पर जब दुबारा लगभग पौने चार बजे गये तो उन्होंने इन्जक्शन आर्डर की तामील श्री फ़रहत यार खां पर की परन्तु इसके पहले ही उन्होंने मकान का कब्जा ले लिया था।

जहां तक पुलिस के विरुद्ध श्री अब्दुल जलील की पत्नी, भाई व बच्चों को मारने पीटने व अपमानित करने के आरोपों का संबंध है जांच से इन आरोपों में सत्यता नहीं पाई गई। जब वकील कमिश्नर मौके पर दो बार गये थे तो न तो श्री अब्दुल जलील ने, न उनकी पत्नी ने और न ही अन्य किसी व्यक्ति ने उनसे ऐसी कोई शिकायत की। श्री अब्दुल जलील की पत्नी के अनुसार उन्हें श्री फ़रहत यार खां द्वारा छड़ से चोटें पहुंचाई गई तथा पुलिस द्वारा मारा-पीटा गया परन्तु डाक्टरी जांच रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर पर केवल दो मामूली चोटें पाई गई जो डाक्टर की राय में छड़ द्वारा पहुंचाई गई चोटें नहीं हो सकती थीं। पुलिस द्वारा मकान का सामान बाहर फेकने का आरोप भी जांच से सही नहीं पाया गया। यह आरोप भी सही नहीं पाया गया कि पुलिस ने न्यायालय के आदेश के संबंध में या न्यायालय के लिये कोई अपशब्द कहे। फिर भी पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में मण्डल आयुक्त द्वारा जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

जब इन्जंक्शन आर्डर ईश्यू हो चुका तो पुलिस ने कैसे कब्जा दिलाया ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जब पुलिस वहां गई थी तो उस वक्त तो वे वहां मौजूद थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनसे पूछ कर चले गये थे कुछ समय के लिये। उसी बीच वकील साहब पहुंचे थे।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

श्रीमन्, जिस कचहरी में वह शख्स काम करता है उसी के द्वारा वह एलाटमेंट हुआ है। वह अपने मकान में दस साल से था। यह अलाटमेंट अवैधानिक हुआ था ?

श्री कृष्णानन्द राय—

यह एलाटमेंट तो रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत होता है और वह जुडिशिएल प्रोसीडिंग्स हैं। उस पर अधिक विवाद अनुचित होगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

जो इन्जंक्शन आर्डर था वह पुलिस के लिये था या श्री फ़रहत यार खां के लिये ?

श्री कृष्णानन्द राय—

इन्जंक्शन आर्डर फ़रहत यार खां के लिये था।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

जब पुलिस सब-इन्सपेक्टर की जानकारी में यह आ गया कि उनके नाम से इन्जंक्शन आर्डर है तो पुलिस ने कब्जा दिलाया या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जब वकील साहब वहां पहुंचे तो उन्होंने केवल यही पूछा कि श्री फ़रहत यार खां मौजूद हैं या नहीं। इन्जंक्शन आर्डर की बात उन्होंने पुलिस को नहीं बताई।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि दस साल से फ़रहत यार खां उसी विभाग में लिपिक का काम करते हैं और अवैधानिक रूप में मकान एलाट करा कर किराये का नाजायज पैसा वसूल कर रहे हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, इसकी जानकारी नहीं है।

## अल्मोड़ा जिले में सत्याग्रही महिलाओं को पुलिस द्वारा पीटे जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अल्मोड़ा जिले के कुछ स्थानों पर सत्याग्रही महिलाओं को पुलिस द्वारा पीटे जाने और अपमानित किये जाने के संबंध में सर्वश्री अनन्तराम जायसवाल और नगीनासिंह द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री वक्तव्य देंगे।

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

सरकार को मिली सूचना के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि गांव गरूड़ गडसेर, टीट-पट्टी, बिचला कत्यूर, जिला अल्मोड़ा में कुछ बेनाप जमीन के लिये झगड़ा है जिसके संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई है। संक्षेप में इसकी स्थिति इस प्रकार है—

उपरोक्त गांव में १५ एकड़ भूमि, जो बेनाप जमीन है, अतिक्रमण करने वालों ने नाजायज कब्जा कर लिया है। ये लोग या तो उसी गांव के हैं या निकटवर्ती गांवों के हैं। पटवारी से सूचना प्राप्त होने पर एस० डी० ओ० बारा मंडल द्वारा इन अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध हटाने की कार्यवाही हुई और एस० डी० ओ० ने दिनांक २६ नवम्बर, १९५९ को आदेश दिये कि श्री चिन्त राम तथा अन्य २३ लोग जो इन चकों पर कब्जा किये हैं तथा केवल घास ही इकट्ठा करते हैं, इसलिये ये आबादकार संबंधित चकों को तुरन्त खाली कर दें अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इनमें से एक सज्जन, श्री दुर्गा राम ने डिप्टी कमिश्नर के यहां अपनी तरफ से तथा कुछ अन्य लोगों की तरफ से एस० डी० ओ० के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की। डिप्टी कमिश्नर ने इस अपील को १३ जुलाई, १९६० को इस बिना पर खारिज कर दिया कि अपील नियमित रूप में नहीं है। इसी बीच में श्री पंत बल्लभ ममगई, अध्यक्ष वन पंचायत, गांव गरूड़ गडसे ने अतिरिक्त अधिकारी, अल्मोड़ा के सामने एक विविध प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आबादकारों द्वारा एस० डी० ओ० के आदेश, दिनांक २६ नवम्बर, १९५९ का अनुपालन नहीं किया गया है। अतिरिक्त अधिकारी, अल्मोड़ा ने शिकायत को आंशिक रूप में सही पाया और एस० डी० ओ०, बारामंडल को आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया। एस० डी० ओ०, बारामंडल ने इस प्रार्थना-पत्र पर अंतिम रूप से १३ सितम्बर, १९६२ को विचार किया प्रतीत होता है।

[श्री कृष्णानन्दराय]

वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चूंकि संबद्ध चक नाप भूमि से दूर थे और आबादकारों द्वारा ज्यादातर घास रख छोड़ी गई थी, अतः कुमायूं नयाबाद एवं वेस्ट लैंड्स ऐक्ट की धारा २४ के अन्तर्गत चकों को नहीं खाली कराया जा सकता है। उन्होंने तय पाया कि उक्त एक्ट अनधिकृत विस्तार पर लागू होता है न कि अतिक्रमण या निर्माण पर। अतः उन्होंने आदेश दिया कि उस विषय पर किसी कार्यवाही की अपेक्षा नहीं थी। ऐसा मालूम होता है कि इस आदेश के फलस्वरूप १९६९ तक अतिक्रमण करने वालों को हटाने के लिय कोई आगे की कार्यवाही नहीं की गई।

इस सिलसिले में कुछ अन्य बातों का हवाला देना जरूरी है। सन् १९६१ में कुमायूं पंचायत फारेस्ट रूल्स के अन्तर्गत उक्त १५ एकड़ भूमि का पंचायती वन बनाने की कार्यवाही की गई थी। पंचायती वन निर्धारित प्रक्रिया को अमल में लाकर बनाया गया था। इस बात की सूचना नहीं है कि पंचायत वन बनाते समय जमीन खाली थी या नहीं। पंचायती वन १९६९ तक चलता रहा।

अप्रैल सन् १९६९ में डिप्टी कमिश्नर, अल्मोड़ा ने श्री जय वल्लभ ममगई, वन पंचायत क सरपंच द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कि वन पंचायत जमीन अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है, एस० डी० ओ० को इस मामले में छानबीन कर के आदेश दिय और अतिक्रमण को हटाने के सुझाव मांगे थे। उन्होंने यह भी बताया कि वन पंचायत ने लगभग ७ १/२ एकड़ भूमि किसान कृषि विद्यालय, गरूड़ को देने का निश्चय किया था और इस भूमि पर भी बहुत से लोगों न अतिक्रमण कर रखा था। एस० डी० ओ०, बारामंडल ने इस भूमि का कुछ राजस्व अधिकारियों के साथ मई ३ व ४ को निरीक्षण किया और पंचायती वन की हाताबन्दी करन के लिये कदम उठाये। उन्होंने उस भूमि की हाताबन्दी करने का प्रबन्ध किया जोकि वन पंचायत ने किसान कृषि विद्यालय को देने का निश्चय किया था। एस० डी० ओ० की रिपोर्ट यह बताती है कि पंचायती वन भूमि पर अतिक्रमण था, कुछ पक्के तथा कुछ कच्चे निर्माण भी उन पर थे। एस० डी० ओ० की रिपोर्ट पर डिप्टी कमिश्नर ने विचार किया कि वन पंचायत जिसने कि इस प्रकार के अतिक्रमण की आज्ञा दी या उसे चलन दिया अपने कर्त्तव्य में असफल हुई और वन पंचायत को तुरन्त निलम्बित करने के आदेश दिये और इसको भंग करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि भूमि की पूर्वस्थिति कायम रखी जाय और किसी पार्टी को आगे अतिक्रमण करने की इजाजत न दी जाय अथवा आगे की आज्ञाओं तक कब्जे की शक्ल को किसी प्रकार परिवर्तित न किया जाय। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि एस० डी० ओ० द्वारा किसान कृषि विद्यालय, जिसका कि भूमि पर न तो कोई अधिकार ही था और न कब्जा ही, को आदेश दिये जायं कि भूमि पर अधिकार को किसी प्रकार डिस्टर्ब न करें। डिप्टी कमिश्नर का यह आदेश ३ जून, १९६९ का है।

डिप्टी कमिश्नर ने स्थानीय कानूनी राय ले ली थी और उन्हें राय दी गई थी कि एस० डी० ओ०, बारामंडल के १३ सितम्बर, १९६२ के आदेश गैर काननी थे और जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता था। डिप्टी कमिश्नर न यह भी कहा है कि मामले में आग की कार्यवाही करने से पहिले उच्च विधि परामर्श किया जायगा। इस समय जो स्थिति प्रतीत होती है वह यह है कि इस जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है यहां तक कि अतिक्रमण करने वालों को भी हटाया नहीं गया है।

डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार जब वन पंचायत ने किसान कृषि विद्यालय को ७ १/२ एकड़ भूमि दिय जाने के निर्णय के बाद, विद्यालय के मैनेजर श्री पूरन चन्द्र तिवारी तथा वन पंचायत के सरपंच श्री जय वल्लभ ममगई ने भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जिस पर आबादकारों ने आपत्ति की। इस सिलसिले में आई० पी० सी० की धारा १४७/४४८/४२७/३२३ के अन्तर्गत श्री जय वल्लभ ममगई, श्री पूरन चन्द्र तिवारी और दूसरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में अभियोग पत्र प्राप्त हो गया है और

परीक्षण के पश्चात् अदालत में भेजा जायेगा। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी सूचना दी है कि इस भूमि पर अब भी हरिजनों का कब्जा है।

ध्यानाकर्षण सूचना में उसी गांव में उद्योग विभाग को दिये गये जमीन के दूसरे भाग का भी हवाला दिया गया है। इस जमीन के बारे में स्थिति निम्नांकित है—

यह भूमि क्षेत्रफल ३ एकड़ भी बेनाप भूमि है और सरकार द्वारा सन् १९६१ में सेरीकल्चर फार्म स्थापित करने के लिये उद्योग विभाग को दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि यह भूमि पंचायती वन भूमि की पूर्व उल्लिखित १५ एकड़ जमीन का हिस्सा नहीं मालूम पड़ती। इसकी और जांच-पड़ताल हो रही है। उद्योग विभाग ने न तो इस भूमि पर कब्जा किया और न हाल तक सेरीकल्चर फार्म चालू किया।

ऐसा मालूम पड़ता है कि ३ मई, १९५९ को एस० डी० ओ०, बारामंडल की उपस्थिति में उद्योग विभाग को कब्जा दिलाया गया और जमीन की हद भी बांधी गई। उस समय कुछ लोगों ने हद बांधने पर इतराज किया था। एस० डी० ओ० ने आपत्ति करने वालों को अपने अधिकार के सबूत में कागजात पेश करने का अवसर दिया था। जब कुछ लोगों ने हद के लिये स्तंभ जमाने पर उद्यो। विभाग के मजदूरों को रोका और शान्ति भंग होने का अंदेशा हुआ तो एस० डी० ओ० ने उनके खिलाफ सी० आर० पी० सी० की धारा १०७ के अन्तर्गत कार्यवाही की और एक साल तक शान्ति रखने के लिये मुचलके लिये। यह मालूम नहीं है कि अपील करने पर सेशन कोर्ट ने इस आदेश को उलट दिया है।

जुलाई ३, १९६९ को सहायक उद्योग संचालक ने डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी, कि कुछ लोग जुलाई १, १९६९ को फार्म पर आये और कांटेदार तार का घेरा हटाना, खंभों को हटाना शुरू कर दिया और सामान भी ले गये। २ जुलाई, १९६९ को गांव की कुछ स्त्रियां फार्म पर आयीं और उस जमीन पर जो उद्योग विभा। ने शहतूत के पौधे लगाने के लिये तैयार किया था जबरदस्ती बीज बोना शुरू कर दिया तथा ३ जुलाई, १९६९ को कुछ स्त्रियां फार्म पर आयीं और धान बोना शुरू कर दिया एवं ऐसा उपद्रव खड़ा कर दिया कि हिंसा से बचाने के लिये विभागीय मजदूर हटाने पड़े। इन सब बातों की रिपोर्ट पटवारी को दे दी गई। इन झगड़ों के सिलसिले में भटेना गांव के १३ हरिजन आई० पी० सी० की धारा ११७ / ४४७ / ४२७ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये। उनको जमानत पर रिहा करने का अवसर दिया गया जिसको उन्होंने इन्कार कर दिया। बाद को भी उन्होंने जमानत की कोई दरख्वास्त नहीं दी इसलिये वे अब भी जेल में हैं। इस मामले में अभियोग-पत्र भी प्राप्त हो गया है और परीक्षण के पश्चात् अदालत में भेजा जायेगा।

अपनी रिपोर्ट में डिप्टी कमिश्नर ने यह भी उल्लेख किया है कि सन् १९५८ और १९६५ के बीच बन्दोबस्त की कार्यवाही हो चुकी थी और बन्दोबस्त खतौनी जिसको स्थायी रूप मुन्तखिब कहा जाता है, की वर्ग ५ में न तो वन पंचायत द्वारा शासित १५ एकड़ भूमि और न उद्योग विभाग को हस्तान्तरित ३ एकड़ भूमि के विषय में किसी हरिजन का कब्जा लिखा हुआ है। परन्तु इसमें लगभग १.२५ एकड़ (लगभग २४ नाली) का कब्जा सात सवर्ण आदमियों का दर्ज है। २० सितम्बर, १९६५ को जारी किये गये सरकारी आदेशानुसार सरकारी जमीन पर भूमि व्यवस्था के दौरान राजकीय भूमि पर वर्ग ५ में दर्ज अतिक्रमण कुछ निर्धारित शर्तों के मुताबिक नियमित किया जायगा इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कार्यवाही कर रहे हैं परन्तु यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होता जिनका कब्जा भूमि व्यवस्था पत्रों में नहीं लिखा है। यहां यह बताना आवश्यक है कि भू-व्यवस्था में इन्दराज तभी अंतिम किये जाते हैं जबकि संबंधित व्यक्तियों को एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति करने और सुनवाई का अवसर दे दिया जाता है।

[श्री कृष्णानन्द राय]

ध्यानाकर्षण सूचना में एक और घटना का उल्लेख है जिसमें आन्दोलनकारी स्त्रियों को पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया और प्रहार किया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर संसोपा के एक कार्यकर्त्ता श्री जसवन्त सिंह ४–५ स्त्रियों के साथ लेरीकल्चर फार्म पर गये और सीमा के खंभे और शहतूत के पौधों को उखाड़ने के लिये स्त्रियों से कहा। जब उनसे इस काम के लिये मना किया गया तो औरतें तो पीछे हट गईं परन्तु जसवन्त सिंह न पहल की। जाहिर है कि इस मुठभेड़ के फलस्वरूप कुछ मामूली चोटें जसवन्त सिंह को आईं। मौके पर जसवन्त सिंह को गिरफ्तार करने की रिपोर्ट मिली है। जब स्त्रियों को सही बात बताई गई तब वे चली गईं। ऐसा मालूम पड़ता है कि उन औरतों को यह बताकर लाया गया था कि सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुसार उन्हें उस जमीन से घास काटने का अधिकार था।

डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस द्वारा ज्यादतियों की घटना से इन्कार किया है। इस क्षेत्र में शान्ति रखने के लिये कुछ पुलिस तैनात करना जरूरी था। उन्होंने यह बताया कि कुछ विभिन्न घटनाओं के विषय में केवल हरिजनों के खिलाफ ही नहीं, परन्तु श्री जय बल्लभ ममगई तथा किसान कृषि विद्यालय के मैनेजर सहित कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है।

डिप्टी कमिश्नर ने शासन को सुझाव दिया है कि उन हरिजनों को जिन्होंने उद्योग विभाग को दी गई ३ एकड़ जमीन पर दावा किया है अगर संभव हो तो उनको अनुकंपा की दृष्टि से और कहीं जमीन दे दी जाय। इस सुझाव पर शासन द्वारा यथासमय विचार किया जायगा।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि गरुड़ गडसेर गांव में कुल कितनी ऐसी जमीन थी जो अलग-अलग बंटी हुई थी और जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है, जिलाधिकारी, अल्मोड़ा ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि तीन एकड़ भूमि जो राज्य सरकार की रेशम विभाग को सन् १९६१ में दी गई थी, उसको हस्तगत करने के लिये विभाग ने ८ वर्ष तक कोई परवाह नहीं की?

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

यह बात सही है जो उन्होंने कहा कि रेशम विभाग ने ८ वर्ष तक उस जमीन को हस्तगत करने की कोई परवाह नहीं की। उनसे इस संबंध में पूछा जायेगा।

श्री इन्द्रलाल—

मेरे इस प्रश्न को सूचना मान कर कि जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने रेशम विभाग को जमीन देने में बड़ी भारी अनियमितता बरती है और वन विभाग को फारेस्ट पंचायत बना कर रेशम विभाग के नाम से जमीन दे देने का फ़ैसला एस० डी० ओ०, बारामंडल ने किया, इसकी वास्तविकता जानने के लिये माननीय मंत्री जी कोई इन्क्वायरी करावेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आदरणीय सदस्य ने जैसा कि इन्क्वायरी कराने के लिये कहा है, आपकी ऐसी मांग है तो जरूर इन्क्वायरी करायेंगे, ऐसी चीज नहीं है कि इन्क्वायरी न हो।

श्री हरीदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जिस आन्दोलन का जिक्र किया है, उस आन्दोलन को चलाने वाले सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं क्या?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बात सही है कि इसके चलाने वाले सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं। इसकी जानकारी आपको भी है और हमने भी अपने बयान में इसको माना है।

श्री अध्यक्ष—

अब यह जो कार्यक्रम है, समाप्त हो गया।

## श्री सतीश चन्द्र, सदस्य विधान सभा पर गुण्डों द्वारा गोली चलाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत मेरे पास १० प्रश्न आये हैं। उनमें से एक श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का मैंने स्वीकार किया है। वह है, श्री सतीश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा को कायम गंज स्टेशन पर कुछ गुंडों ने गोली से मारने की कोशिश की। इस विषय में यहां पर चर्चा है, इसमें शायद कुछ पोलिटिकल बात है इसलिये मैंने उसको स्वीकार कर लिया है, इस पर २८ को वक्तव्य होगा और बाकी जो ९ हैं उनको स्वीकार नहीं किया है। उनके लिये मैंने कह दिया है कि आप प्रश्न द्वारा उठा सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

कल जो नियम ५१ के लिये गये थे वह समाप्त हो गये या वह फिर लिये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कल समाप्त हो गये।

## निलम्बित सदस्यों के नामों में संशोधन

श्री अध्यक्ष—

अब कार्यक्रम जो इसमें था वह तो समाप्त हो गया लेकिन उठने से पहले एक चीज है कि जो २६ नाम निलम्बन के लिये आये थे उसमें एक नाम श्री प्रभु दयाल का था, यह तो बताना पड़ेगा कि श्री प्रभु दयाल नाम के कोई सदस्य हैं भी। यदि यह नाम काट दें तो क्या बुरा है? दूसरे श्री महेन्द्र सिंह नाम के दो माननीय सदस्य सदन के हैं, एक तो खैर के हैं और दूसरे हसनपुर, जिला मुरादाबाद के हैं, यह दोनों ही भारतीय क्रांति दल के हैं। इसको भी साफ़ कर दिया जाय कि किनको निलम्बित किया है वह खैर वाले हैं या हसनपुर, जिला मुरादाबाद वाले हैं।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

ठीक है श्रीमन्, श्री प्रभु दयाल का नाम हटा दिया जाय और यह श्री महेन्द्र सिंह जिनको निलम्बित करने का आशय है वह हसनपुर, मुरादाबाद वाले हैं।

श्री अध्यक्ष—

तो प्रभु दयाल का नाम हटा दिया जायेगा और उस सूची में श्री महेन्द्र सिंह के नाम के आगे 'हसनपुर, जिला मुरादाबाद' लिख दिया जायेगा।

अब हम उठते हैं और परसों साढ़े दस बजे यानी २८ तारीख को फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन १ बजकर ४८ मिनट पर बृहस्पतिवार, २८ अगस्त, १९६९ के १०-३० बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२६ अगस्त, १९६९

# नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८७पर)

## सूची

वर्ष १९६३–६४ में ४

(१) श्री जनार्दन पन्त, प्राविधिक सहायक ।
(२) श्री राजेन्द्र नाथ चौधरी, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी ।
(३) चन्द्र मोहन कपूर, गन्ना रक्षा निरीक्षक ।
(४) श्री सत्यपाल सिंह राणा, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी ।

वर्ष १९६४–६५ में ३

(१) श्री हनुमान सिंह, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी ।
(२) श्री पी० डी० उपाध्याय, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ।
(३) श्री एस० सी० हिन्गुरानी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक ।

वर्ष १९६६–६७ में २

(१) श्री बांके बिहारी सिंह, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी ।
(२) श्री जगत नारायण श्रीवास्तव, गन्ना रक्षा निरीक्षक ।

वर्ष १९६७–६८ में १

(१) श्री कृष्ण स्वरूप भटनागर, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी

वर्ष १९६८–६९ में १

(१) श्री बी० एस० कुशवाहा, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी ।

वर्ष १९६९–७० में २

(१) श्री मुहम्मद हमीद, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक ।
(२) श्रीराम बहाल, सहायक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ।]

# नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६०पर)

## U. P. STATE ELECTRICITY BOARD

Applications for 250 posts of Diploma Holders (Electrical/Mechanical) for one year's training on a fixed stipend of Rs.150 p.m. (all inclusive) from Indian citizens are invited up to September 10, 1968. Eighteen percent of the stipends are reserved for Scheduled Caste/Tribe candidates.

**Qualifications—**

A recognised two/three years Electrical Mechanical Engineering diploma.

Or

City and Guilds London Institute, Final Grade Examination in Electrical Engineering Practice Parts I and II held after June 3, 1950.

Or

Three years' All India Diploman Examination in Electrical Engineering conducted by the "All India Council for Technical Education", Government of India, Delhi Polytechnic.

Or

Diploma Examination in Electrical/Mechanical Engineering conducted by any of the Universities in India incorporated by an Act of Central Or State Legislature.

Or

National Certificate in Electrical as well as Mechanical Engineering awarded by the All India Council for Technical Education.

**Age :**

On August 1, 1968 between 18 and 25 years relaxable by five years in the case of Scheduled Caste/Tribe candidates and employees of the Board and three years for retrenched employee of the U. P. Government.

Each selected candidate for training will have to execute a personal bond for Rs.1,000 (at the time of his joining the training) for serving the Board if so required, for at least five years failing which the bond will be forfeited to the Board.

After completion of one year's satisfactory training, the candidates will be considered for recruitment to the post under the Subordinate Electrical and Mechanical Engineering Service in the Board along with others, but the training undergone by candidates will not confer on him any claim, whatsoever, for the post under the Subordinate Electrical and Mechanical Engineering Service.

Apply upto August 31, 1968 to the Chief Engineer (Hydel), U.P. State Electricity Board, 4, Vikramaditya Marg, Lucknow, for prescribed form and full particulars against an Indian Postal Order of Rupee one and self-addressed envelope 9"×4". Indian Postal Order to be payable to the Chief Engineer (Hydel), U. P. State Electricity Board, Lucknow.

G. K. R. VERMA,
*Chief Engineer (Hydel),*
*U. P. State Electricity Board,*
*Lucknow.*

## नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९० पर)

### ४५ प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों की सूची

१—पशु चिकित्सालय, सुल्तानपुर।
२—पशु चिकित्सालय, मिर्जापुर।
३—पशु चिकित्सालय, गाजीपुर।
४—पशु चिकित्सालय, जीरो रोड, इलाहाबाद।
५—पशु चिकित्सालय, भारद्वाज, इलाहाबाद।
६—पशु चिकिसालय, झांसी।
७—पशु चिकित्सालय, मैनपुरी।
८—पशु चिकित्सालय, उन्नाव।
९—पशु चिकित्सालय, बुलन्दशहर।
१०—पशु चिकित्सालय, एटा।
११—पशु चिकित्सालय, देवरिया।
१२—पशु चिकित्सालय, इटावा।
१३—पशु चिकित्सालय, अलीगढ़।
१४—पशु चिकित्सालय, गोरखपुर।
१५—पशु चिकित्सालय, बाराबंकी।
१६—पशु चिकित्सालय, आगरा।
१७—पशु चिकित्सालय, बिजनौर।
१८—पशु चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर।
१९—पशु चिकित्सालय, बहराइच।
२०—पशु चिकित्सालय, बलिया।
२१—पशु चिकित्सालय, फर्रुखाबाद।
२२—पशु चिकित्सालय, देहरादून।
२३—पशु चिकित्सालय, फैजाबाद।
२४—पशु चिकित्सालय, फतेहपुर।
२५—पशु चिकित्सालय, जौनपुर।
२६—पशु चिकित्सालय, बरेली।
२७—पशु चिकित्सालय, मेरठ।
२८—पशु चिकित्सालय, नैनीताल।
२९—पशु चिकित्सालय, हरदोई।
३०—पशु चिकित्सालय, खीरी।
३१—पशु चिकित्सालय, बस्ती।
३२—पशु चिकित्सालय, गोंडा।
३३—पशु चिकित्सालय, उरई (जालौन)
३४—पशु चिकित्सालय, सीतापुर।
३५—पशु चिकित्सालय, पौड़ी (गढ़वाल)
३६—पशु चिकित्सालय, बदायूं।
३७—पशु चिकित्सालय, हमीरपुर।
३८—पशु चिकित्सालय, पीलीभीत।
३९—पशु चिकित्सालय, प्रतापगढ़।
४०—पशु चिकित्सालय, राय बरेली।
४१—पशु चिकित्सालय, उत्तर काशी।
४२—पशु चिकित्सालय, टेहरी।
४३—पशु चिकित्सालय, रामपुर।
४४—पशु चिकित्सालय, बादशाहबाग, लखनऊ।
४५—पशु चिकित्सालय, चमोली।

## नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६१ पर)

शासनादेश संख्या २०४२ वि/६६-तेइस पी०बी०, दिनांक ३१ जुलाई १९६९ द्वारा मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की निर्धारित दरों की तालिका

| | | |
|---|---|---|
| (१) रोशनी तथा पंखे, वायरलेस सेट और १/२ बी०एच०पी० तक के मोटर। | | ४० पै० प्रति यूनिट जिस पर ५ पै० प्रति यूनिट रिबेट। |
| (२) घरेलू शक्ति | .. | २२ पै० प्रति यूनिट जिस पर २ पै० प्रति यूनिट रिबेट। |
| (३) सिनेमा | .. | ३० पै० प्रति यूनिट जिस पर २ पै० प्रति यूनिट रिबेट। |
| (४) बैटरी चार्जिग समय पर (बिना किसी प्रतिबन्ध के उपभोग) | | ३० पै० प्रति यूनिट जिस पर २ पै० प्रति यूनिट रिबेट। |

### १/२ बी० एच० बी० से अधिक स्माल पावर्स के लिए सामान्य औद्योगिक टैरिफ

(१) फ्लैट रेट पर पावर—

| | | |
|---|---|---|
| (क) प्रतिबन्धित घंटों के लिये | .. | १८ पै० प्रति यूनिट। |
| (ख) बिना प्रतिबन्ध के मिनिमम चार्ज | .. | २६ पै० प्रति यूनिट।<br>५ रु० प्रति बी० एच० पी० प्रति मास। |

(२) टू० पार्ट टेरिफ—

| | | |
|---|---|---|
| (क) फिक्स्ड चार्ज | .. | रु० ८.५० पै० प्रति के० वी० ए० प्रति मास। |
| (ख) यूनिट चार्ज | .. | ११ पै० प्रति यूनिट। |

### १०० के० वी० ए० और उससे अधिक बिजली की औद्योगिक दरें

| | | |
|---|---|---|
| (१) बस बार उपभोक्ता | .. | १३ पै० प्रति यूनिट। |
| (२) दूसरे उपभोक्ताओं के लिये | .. | १३ पै० प्रति यूनिट। |

अगर स्केल २ और ३ में उल्लिखित उपभोक्ता मासिक बिल में निर्धारित समय के अन्दर बिल का भुगतान नहीं करेंगे तो उनको बिल में दी हुई धनराशि का १ प्रतिशत प्रति मास या मास के आंशिक भाग पर सरचार्ज देना होगा।

उपरोक्त स्केल २ और ३ की दरों के साथ शर्त यह है कि २५ यूनिट प्रति के० वी० ए०, प्रति मास न्यूनतम उपभोग होगा। एच० टी० (equipment)

उपभोक्ता द्वारा दिया जायेगा।

रेट शेड्यूल जी०टी०/एच०वी—४

### लाइसेन्सधारियों के लिये ग्रिड़ टैरिफ

१—प्रयोज्यता—यह दरें उन तमाम लाइसेंसीज पर, जो अपने लाइसेंस्ड क्षेत्र में सप्लाई के लिये बेचने के लिये राज्य विद्युत परिषद् से बिजली की सप्लाई लेते हैं, लागू होती है।

२—सेवा का रूप—प्रत्यावर्ती धारा (Alternating current), ३ फेज, ३ तार ५० साइकिल, ११ के० वी० या ६.६ के० वी० या ३.३ के० वी० सप्लाईकर्ता के विवेकानुसार वोल्टेज की सप्लाई की उपलब्धि के अनुसार। डी० सी० सप्लाई ४०० वोल्ट्स पर होगी।

३—शुल्क की दर—(१) ए० सी० सप्लाई के लिये—

(क) फिक्स्ड चार्ज कंपोनेंट—

| | रु० प्रति के०वी० ए० प्रति मास |
|---|---|
| पहले ५०० के०वी० ए० प्रति माह .. | १५.०० |
| अगले १,५०० के०वी०ए० प्रति माह .. | १२.०० |
| २,००० के०वी०ए० प्रति मास से ऊपर .. | १०.०० |

(ख) रनिंग चार्ज कंपोनेंट—

| | पैसे प्रति यूनिट |
|---|---|
| मांग की प्रथम १७० यूनिट्स प्रति के०वी०ए० .. | ९.०० |
| मांग की अगली १७० यूनिट्स प्रति के०वी०ए० | ८.०० |
| मांग की ३४० यनिट्स प्रति के०वी०ए० से ऊपर समस्त मांग के लिये। | ७.०० |

टिप्पणी—सप्लाईकर्त्ता के विवेकानुसार ४०० वोल्ट्स पर भी बिजली की पूर्ति की जा सकती है और इस अवस्था में दर ७ १/२ प्रतिशत अधिक होगी। यदि लाइसेंसी ११ के० वी० से ऊपर स्टैंन्डर्ड वोल्टेज पर सप्लाई लेता है तो बिल पर ५ प्रतिशत की छूट दी जावेगी। कोल सरचार्ज पूर्व कथित बढ़ोत्तरी या छूट से संबंधित नहीं होगा।

२—डी० सी० सप्लाई के लिये—

| | प्रति के० डब्ल्यू० रु० पै० |
|---|---|
| (क) फिक्स्ड चार्ज्ड कंपोनेंट— | |
| प्रथम ४२५ के० डब्ल्यू० प्रति माह .. | २०.०० |
| अगले १,२७५ के०डब्ल्यू० प्रति माह .. | १५.५० |
| समस्त १,७०० के० डब्ल्यू० प्रतिमाह के ऊपर .. | १३.०० |

(ख) रनिंग चार्ज कम्पोनेन्ट—

| | |
|---|---|
| प्रथम २०० यूनिट्स प्रति के० डब्ल्यू० प्रति मास | ८.० पैसे प्रति यूनिट। |
| अगली २०० यूनिट्स प्रति० के० डब्ल्यू० प्रति मास | ७.० पैसे प्रति यूनिट। |
| समस्त ४०० यूनिट्स प्रति के० डब्ल्यू० से ऊपर प्रति मास | ६.० पैसे प्रति यूनिट। |

४—बिल देने योग्य मांग—बिल देने योग्य मांग एक मास में जैसा कि ऊपर पैरा ३ में दिया हुआ है रिकार्ड की गई वास्तविक अधिक मांग या ६० प्रतिशत कन्ट्रेक्टेड मांग, जो भी अधिक हो, होगी। किन्तु औपचारिक अनुबन्ध के निष्पादित न होने तक कन्ट्रैक्टेड मांग का आशय लाइसेंसी को स्वीकृत की गई मांगों से भी होगा।

५—कोयले के मूल्य में परिवर्तन का समायोजन—उपरोक्त एनर्जी चार्ज, "कोयले के मूल्य में परिवर्तन का समायोजन" के अधीन होगा।

६—मांग का अवधारण—मांग की माप सप्लाई के स्थान पर उपयुक्त किलोवाट एमपीयर इन्डीकेटर्स द्वारा की जायेगी। किसी मास के किन्हीं लगातार ३० मिन्टो में किलोवाट एमपीयरर्स में मापे गये अधिकतम औसत भार को मास की मांग समझा जायेगा। के० वी० ए० इन्डीकेटर न होने पर सप्लाईकर्ता द्वारा मांग का हिसाब लगाया जायगा।

७—भुगतान—उपरोक्त दरें शुद्ध दरें हैं। चालू मासिक बिल में निर्दिष्ट देय दिनांक तक उसका भुगतान न किए जाने पर उपभोक्ता को प्रति दिन पर उस समय के लिए जब तक भुगतान करने में विलम्ब किया जाय बिल की भुगतान न की गई धनराशि पर प्रति १०० रु० या उसके किसी भाग पर ५ पैसे के हिसाब से अधिभार देना पड़ेगा।

८—अधिक मांग के लिए अतिरिक्त चार्ज—यदि लाइसेंसी द्वारा किसी मास में ली गई अधिक मांग मास की अनुबन्धित मांग से ज्यादा हो जाती है, तो उस अधिक पूर्ति के लिए उसे ५.०० रु० प्रति के० वी० ए०/के० डब्ल्यू० प्रति मास के हिसाब से, सारे के० बी० ए०/के० डब्लू० जो अनुबन्धित मांग से अधिक हो, चार्ज किया जायेगा। इस अतिरिक्त चार्ज के अलावा परिषद् को उन अतिरिक्त कार्यवाहियों को करने का अधिकार होगा जो आगे से इस अधिक मांग को रोकने के लिए जरूरी समझा जाये।

९—एक ही स्थान पर सप्लाई—लाइसेन्सी को विद्युत शक्ति एक ही स्थान पर तथा मीटरिंग प्वाइंट पर सप्लाई की जायेगी। उसी लाइसेन्सी को उसी वोल्टेज या विभिन्न वोल्टेज के हिसाब से उपयोग के अन्य स्थानों पर दी जाने वाली बिजली पृथक सप्लाई के लिए अलग से मीटर लगाया जायगा और उसके लिए अलग से बिल तैयार किया जायेगा।

टिप्पणी—(१) लाईनों तथा सब-स्टेशनों का मूल्य वगैरह या उसके बजाय किराया जिसका भुगतान लाइसेंसी द्वारा अब तक किया जा रहा है उसके द्वारा भुगतान जारी रहेगा।

टिप्पणी—(२) इसके बाद लाइसेंसी द्वारा अतिरिक्त सप्लाई प्वाइंट्स के लिए लाइनों तथा सब-स्टेशनों का मूल्य वगैरह या उसके बजाय किराया उस सीमा तक तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा समय समय पर लागू किये गये नियम तथा शर्तों के अनुसार भुगतान करना पड़ेगा।

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९१ पर)

### परिशिष्ट 'अ'

### बलिया जिले में स्वीकृत सड़कों का विवरण

| क्र० सं० | सड़क का नाम | लम्बाई मील फ़र्लांग फीट | ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत स्वीकृति की तिथि |
|---|---|---|---|
| १ | शहसवार हल्दी मार्ग .. .. | ३–७–२९० | ३०–१–६३ |
| | अतिरिक्त लम्बाई .. .. | ३–१–३७० | १८–३–६३ |
| २ | नगरा-सिकन्दरपुर मार्ग का निर्माण .. | ८–०–००० | १८–३–६३ |
| | अतिरिक्त लम्बाई .. .. | ५–०–००० | २३–३–६३ |
| ३ | रतनपुरा-बिलवली मार्ग .. .. | ५–४–००० | १०–३–६४ |
| ४ | रसड़ा नगरा तुतीपार मार्ग की धिक निग .. | १२–०–००० | १०–३–६४ |
| | " " .. .. | २–०–००० | १०–३–६४ |
| | अतिरिक्त मार्ग .. .. | ७–२–००० | १९–११–६६ |
| ५ | सिकन्दरपुर बैलधरा मार्ग की थिक निक .. | | |
| | (१) प्रथम कोट .. .. | ६–४–००० } | ११–५–६५ |
| | (२) द्वितीय कोट .. .. | ९–०–००० } | |
| | अतिरिक्त लम्बाई तथा लागत .. | १०–८–००० | १९–११–६६ |
| ६ | अउतवार-कोस मार्ग का निर्माण .. | १–०–००० | १९–११–६६ |
| ७ | सिकन्दरपुर-कथोडा मार्ग .. .. | ४–४–००० | ११–५–६५ |
| ८ | पन्द्रह एग्रीव रोड का निर्माण .. | ०–५–००० | १९–११–६६ |
| ९ | डेहरी-प्रधानपुर मार्ग का निर्माण .. | २–४–००० | १९–११–६६ |
| १० | कोटवारी-नगपुरा मार्ग का निर्माण .. | १–४–००० | १९–११–६६ |
| ११ | किडिहापुर-इब्राहीम पट्टी मार्ग का निर्माण.. | २–०–००० | १९–११–६६ |
| | | ८४–४–००० | |

# नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९३ पर)

## तालिका

## आवंटित ट्रैक्टरों की जिलेवार संख्या

| क्रम-संख्या | जिला का नाम | ट्रैक्टरों की संख्या | क्रम-संख्या | जिला का नाम | ट्रैक्टरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | देहरादून .. | ३ | २८ | वाराणसी .. | ११ |
| २ | सहारनपुर .. | २१ | २९ | जौनपुर .. | ३ |
| ३ | मुजफ्फरनगर .. | ६० | ३० | मिर्जापुर .. | ६ |
| ४ | मेरठ .. | ४७ | ३१ | गाजीपुर .. | ६ |
| ५ | बुलन्दशहर .. | १७ | ३२ | बलिया .. | ५ |
| ६ | अलीगढ़ .. | १३ | ३३ | गोरखपुर .. | १४ |
| ७ | आगरा .. | ९ | ३४ | बस्ती .. | ११ |
| ८ | मथुरा .. | १४ | ३५ | आजमगढ़ .. | ६ |
| ९ | मैनपुरी .. | ६ | ३६ | देवरिया .. | १० |
| १० | एटा .. | ८ | ३७ | फैजाबाद .. | ४ |
| ११ | बरेली .. | ७ | ३८ | गोंडा .. | ४ |
| १२ | बिजनौर .. | १२ | ३९ | बहराइच .. | ३ |
| १३ | बदायूं .. | १८ | ४० | सुल्तानपुर .. | ३ |
| १४ | पीलीभीत .. | ६ | ४१ | प्रतापगढ़ .. | ४ |
| १५ | शाहजहांपुर .. | ६ | ४२ | बाराबंकी .. | ९ |
| १६ | मुरादाबाद .. | २६ | ४३ | लखनऊ .. | ९ |
| १७ | रामपुर .. | ४ | ४४ | उन्नाव .. | ५ |
| १८ | नैनीताल .. | १३ | ४५ | रायबरेली .. | ३ |
| १९ | फर्रुखाबाद .. | १० | ४६ | सीतापुर .. | ६ |
| २० | इटावा .. | १५ | ४७ | हरदोई .. | १० |
| २१ | फतेहपुर .. | ० | ४८ | लखीमपुर खीरी .. | ६ |
| २२ | कानपुर .. | ८ | | | |
| २३ | इलाहाबाद .. | ४ | | योग .. | ४८६ |
| २४ | झांसी .. | ६ | | | |
| २५ | जालौन .. | ७ | | राजकीय संस्थाओं को | १४ |
| २६ | हमीरपुर .. | ७ | | | |
| २७ | बांदा .. | १ | | कुल योग .. | ५०० |

## नत्थो 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९९ पर)

### २५७ ग्रामों की सूची

| नहर का नाम | क्र० सं० | ग्राम का नाम |
|---|---|---|
| कठवरिया नहर | १ | पनियाडी |
| | २ | बमोरी मल्ली |
| | ३ | बिढेरिया नं० १ |
| | ४ | बिठोरिया मल्ला |
| | ५ | हरीपुर गांग |
| | ६ | बिठौरिया बड़ा धार |
| | ७ | लोहरिया साल भल्ला |
| | ८ | बिठौरिया नं० २ |
| | ९ | बिजनिया हल्दू |
| | १० | लोहरिया सलि |
| | ११ | भगवानपुर जोशी |
| | १२ | विजयपुर |
| | १३ | नन्दपुर |
| कमुलुवागांजा नहर | १४ | खेमपुर |
| | १५ | धूनी नं० १ |
| | १६ | धूनी नं० २ |
| | १७ | भगवानपुर विचला |
| | १८ | पानपुर |
| | १९ | कमलुवा गांजा |
| | २० | देवपुर, देवका |
| | २१ | भरत नं० १ |
| | २२ | पूरनपुर |
| | २३ | हरकपुर कवीरा |
| | २४ | खुशालपुर नयावाद खुशालपुर |
| | २५ | पदमपुर |
| | २६ | प्रेमपुरन वाड़ |
| | २७ | लामाचौड़ खांस |
| | २८ | हरीपुर सील |
| | २९ | पदमपुर पडलिया |
| | ३० | आनन्दपुर मवाड़ |
| | ३१ | शिवलालपुर |
| | ३२ | ईसाई नगर |
| | ३३ | आनसिंह गवाड़ |
| | ३४ | लामाचौड़े मौमां लामाबोड़ रामपुर |
| कुसुमखेड़ा नहर | ३५ | कुसुमखेड़ा |
| | ३६ | विठौरिया |
| | ३७ | बिठौरिया नायक |
| लोहरियासाल नहर | ३८ | बिठौरिया घड़ा मल्ला |
| | ३९ | लोहरिया साख मल्ला |
| | ४० | चीनपुर |
| | ४१ | लोहरियाखास तल्ला |
| | ४२ | हिम्मतपुर तल्ला |
| | ४३ | कमलुवा गांजा |
| | ४४ | हिम्मतपुर |
| | ४५ | कमलुवा गांजा मेहता |
| | ४६ | कमलुवागांजा गौड़ |
| भगवानपुर नहर | ४७ | भगवानपुर जैसिंह |
| | ४८ | भगवानपुर घड़ा हिमतुवा |
| | ४९ | भगवानपुर निचला |
| उदयलालपुर नहर | ५० | हरीनगर |
| | ५१ | हिम्मतपुर |
| | ५१ | हिम्मतपुर नायक |
| | ५३ | कुसुमखेड़ा मेहता |
| | ५४ | छड़ायल नयाबाद, नायक, सुवाल |
| | ५५ | जयदेवपुर |
| | ५६ | प्रेमपुर लसानी |
| | ५७ | गोविन्दपुर |
| | ५८ | लालपुर नायक |
| | ५९ | उदयलालपुर |
| बड़ीनगर नहर | ६० | बड़ीनगर |
| | ६१ | बड़ीनगर नं० १ |
| | ६२ | बीहपुर निगल्टिया |
| गुनीपुर नहर | ६३ | पीपल पोखरा नं० १ |
| | ६४ | पीपल पोखरा गजेसिंह |
| | ६५ | कुरियागांव पश्चिमी, पूर्वी |

| नहर का नाम | क्र० सं० | ग्राम का नाम |
|---|---|---|
| | ६६ | गुनीपुर जीवानन्द |
| | ६७ | गुनीपुर नोना |
| फतेहपुर नहर | ६८ | रामड़ी जमुवा |
| | ६९ | रामड़ी आनासिंह |
| | ७० | रामड़ी छोटी |
| | ७१ | गुलजारपुर |
| | ७२ | पीपल पोखरा |
| | ७३ | पीपल पोखरा नं० २ |
| | ७४ | गुजरौड़ा |
| | ७५ | जैपुर पांड़ली |
| | ७६ | मुनीपुर जीवानन्द |
| | ७७ | रतनपुर इसाई |
| | ७८ | देवपुर कुटिया |
| | ७९ | पूरनपुर कुमरिया |
| | ८० | नाथूपुर पैडलिया |
| ईसाई नहर | ८१ | खड़कपुर इसाई |
| | ८२ | रतनपुर इसाई |
| | ८३ | इसाई नगर |
| नोलापार नहर | ८४ | खेड़ा डी० क्लास |
| | ८५ | खेड़ा पूर्व व पश्चिम |
| ईस्ट खेड़ा नहर | ८६ | पूर्व खेड़ा |
| | ८७ | किशन नगरी |
| | ८८ | नवाब खेड़ा |
| | ८९ | देवलां मल्ला बंगर |
| | ९० | देवला तल्ला |
| | ९१ | नयागांव गवैसुर |
| | ९२ | नयागांव सम्बल |
| वस्ट खेड़ा नहर | ९३ | पश्चिमी खेड़ा |
| | ९४ | नवाड़ खेड़ा |
| | ९५ | देवलां मल्ला |
| मदनपुर नहर | ९६ | कुंवरपुर |
| | ९७ | जगतपुर |
| | ९८ | बसन्तपुर |
| | ९९ | जसपुर खोलिया |
| | १०० | मदनपुर |
| किसनपुर नहर | १०१ | सेलाभावर त्रिलोक सिंह |
| | १०२ | कुंवरपुर |
| | १०३ | सेलाभावर, हर सिंह |
| | | ३ गहपुर |
| | १०४ | सुन्दरपुर रेकवाल |
| | १०५ | जगतपुर |
| | १०६ | बांसखेड़ा |
| | १०७ | रतनपुर नेगी |
| | १०८ | कल्यानपुर ईस्ट |
| | | कल्यानपुर वेस्ट |
| | १०९ | किसनपुर गोडिया |
| | ११० | सीतापुर बुर्गादस्त |
| | १११ | जसपुर सोलिया |
| | ११२ | सीतापुर लखमणी |
| | ११३ | त्रिलोक सिंह दानी |
| | ११४ | हरिपुर डडोला |
| झटपुर नहर | ११५ | सीलपुर |
| | ११६ | झूटपुर ईस्ट |
| | | झूटपुर वेस्ट |
| | ११७ | कालू पोखरिया |
| सेला भावर नहर | ११८ | कुंवरपुर |
| | ११९ | नयागांव महरा |
| | | नयागांव हिम्मतपुर |
| | १२० | लक्ष्मनपुर ईस्ट |
| | | लछमनपुर वेस्ट |
| | १२१ | रतनपुर नेगी |
| | १२२ | लखनपुर |
| | १२३ | सुन्दरपुर देलवाल |
| | १२४ | भगवतपुर |
| ज्वाला पोखरी नहर | १२५ | उदयपुर रेकवाल |
| | १२६ | ज्वालापुर पोखरी |
| | १२७ | किशनपुर रेकवाल |
| | १२८ | हिम्मतपुर |
| | १२९ | गंगापुर |
| | १३० | जीतपुर रेकवाल |
| | १३१ | हरीपुर |

| नहर का नाम | क्र० सं० | ग्राम का नाम |
|---|---|---|
| सुन्दरपुर नहर | १३२ | सुन्दरपुर रेकवाल |
| | १३३ | भगवतपुर |
| | १३४ | दौलतपुर वेस्ट व ईस्ट |
| | १३५ | उदयपुर रेकवाल |
| | १३६ | वदपुर रेकवाल |
| | १३७ | देवपुर पूर्व व पश्चिम |
| | १३८ | रूपपुर |
| चोरगलिया बर-सातो नहर | १३९ | सुवेलावेस गंगापुर |
| | १४० | लखनमंडी |
| | १४१ | लखनमंडी पूर्व |
| | १४२ | कटान नया गांव |
| | १४३ | कटान सनवाल |
| | १४४ | जयपुर |
| चोरगलिया नहर | १४५ | लखनमंडी |
| | १४६ | कटान नया गांव |
| | १४७ | देवपुर दवाई |
| | १४८ | विचपुरी |
| | १४९ | विचपुरी परगाईं |
| | १५० | पचेलिया तल्ला |
| | १५१ | उमेदपुर नं० १ |
| | १५२ | परसरामपुर |
| | १५३ | पचौलिया, तल्ला |
| | १५४ | उमेदपुर नं० २ |
| | १५५ | हरिपुर गोविन्दपुर, मतोलिया |
| | १५६ | देवपुर सनवाल |
| | १५७ | पचवा खेड़ा |
| | १५८ | दौलतावांदपुर |
| | १५९ | पुखानी सड़का जोगा |
| ईस्ट चोरगलिया नहर | १६० | मचोनिया अल्ला |
| | १६१ | मचोनिया भल्ला |
| | १६२ | ओरे लिया भल्ला |
| | १६३ | आमखेड़ा |
| | १६४ | चोरगलिया कुटलिया |
| गोलावार नहर | १६५ | दमुवादूनां |
| | १६६ | दमुवादूगां ईस्ट |
| | १६७ | दमुवादूंगा वेस्ट |
| | १६८ | दमुवा दूगां खाम |
| देवलपौड़ नहर | १६९ | भोटिया पड़ाव वमोरी मल्ली ईस्ट |
| | १७० | वमोरी मल्ली वेस्ट |
| | १७१ | वमोरी तल्ली |
| | १७२ | वमोरी तल्ला खाम |
| | १७३ | मुखानी |
| | १७४ | हरिपुर सखा |
| | १७५ | मुखानी छोटी |
| | १७६ | मुखानी हरिया |
| | १७७ | मुखानी रामप्रसाद |
| | १७८ | मानपुर उत्तर |
| | १७९ | मानपुर ईस्ट |
| | १८० | मानपुर वेस्ट |
| | १८१ | देवलचोड़ लच्छी |
| | १८२ | देवलचोड़ दोला |
| | १८३ | बजवालपुर |
| | १८४ | बेड़ा पोखरा |
| | १८५ | किसनपुर घुड़दौड़ा |
| | १८६ | हरिपुर रतन सिंह |
| | १८७ | हरिपुर फ़टकवा लालमणी |
| | १८८ | हरिपुर मोलिया |
| | १८९ | चांदना चौक परगाई |
| | १९० | हरिपुर जमुन सिंह |
| | १९१ | चांदनी चौक तल्ला |
| करापल नहर | १९२ | देवलचौड़ खाम देवलचौड़ डी क्लास |
| | १९३ | देवलचौड़ बन्दोवस्ती |
| | १९४ | पलूलचौड़ |
| | १९५ | जोलासांल |
| | १९६ | करायन चतुर सिंह |
| | १९७ | हल्दू पोखरी |
| | १९८ | हल्दू पोखरा दरवाल |
| | १९९ | हल्दू पोखरी नायक |
| | २०० | गुसाईंपुर |
| | २०१ | हिम्मतपुर बैंजनाथ |
| | २०२ | हिम्मतपुर मल्ला |
| | २०३ | पूरनपुर |

| नहर का नाम | क्र० सं० | ग्राम का नाम |
|---|---|---|
| आनन्दपुर नहर | २०४ | पांड़े नवाड़ |
| | २०५ | चांदनी चौक घुड़पौड़ा |
| | २०६ | चांदनी चौक गरवाल |
| | २०७ | चांदनी चौक सांगणी |
| | २०८ | चांदनी चौक बलूटिया |
| | २०९ | हरीपुर कुंवर सिंह |
| | २१० | धनपुरी |
| | २११ | आनन्दपुर तल्ला |
| | २१२ | आनन्दपुर पल्ला |
| लालकुआं नहर | २१२ | गोरखपुर |
| | २१३ | हल्द्वानी मल्ली, तुल्सी-खास, विचेली |
| | २१४ | गौजा जाली साउथ |
| | २१५ | गौजा जाली विचला |
| | २१६ | गौजा जाली उत्तर |
| | २१७ | गोजाली बिजली |
| | २१८ | हैडा गज्जर |
| | २१९ | हाथी खाल |
| | २२० | घोला खेड़ा |
| | २२१ | हरिपुर पूर्णनन्द |
| | २२२ | हरिपुर तुलाराम |
| | २२३ | हरिपुर, शिवदत्त, केशवदत्त |
| | २२४ | अर्जुनपुर |
| | २२५ | फ़सावंगर हरिपुर तुलाराम |
| | २२६ | हिन्नरपुर मोटा हल्दू |
| | २२७ | पदमपुर देवलिया |
| | २२८ | ककालिया |
| | २२९ | सूफी भगवानपुर किसनपुर सरकोलिया |
| | २३० | भगवानपुर दुर्गादत्त |
| | २३१ | पालीपुर |
| | २३२ | वचीपुर |
| | २३३ | तुलारामपुर |
| | २३४ | दुर्गापालपुर पूरमां |
| | २३५ | हल्दूचोड़ि डोलिया |
| | २३६ | जग्गी मंगर |
| | २३७ | दुर्गामालपुर मोतीराम |
| | २३८ | दुमका मगेर बूचीघरमा |
| | २३९ | वमेटा बंगर सीमा |
| | २४० | दुमका बंगर धरना |
| | २४१ | वनेस बंगर. |
| | २४२ | वमैटा बंगर केशव |
| | २४३ | दुमका बैगर उमापति |
| जयपुर नहर | २४४ | जैपुर सीमा ईस्ट व वेस्ट |
| | २४५ | मंगोरामपुर। |
| | २४६ | इन्द्रपुर |
| | २४७ | जयपुर बासा |
| | २४८ | तेजपुर नेगी |
| | २४९ | गंगापुर |
| हल्दू पौड़ नहर | २५० | मकनीपुर किशना |
| | २५१ | भवानीपुर हरसिंह |
| | २५२ | हल्दूचौड़ परमा, बागी, नाथूपुर, बोमवाल, हिम्मतपुर, डूंगरपुर, खड़कपुर। |
| | २५३ | हल्दूचौड़ दानां, हल्दूचौड़ जैराम, हल्दू बौड़ देवराम, भवानसिंह नवाड़। |
| धनपुर नहर | २५४ | धनपुर, दुमकाबैगर-उमापति। |
| | २५५ | राधा नवाड़ हरिपुर लच्छी हरिपुर मानदेव। |
| गोलावार नहर | २५६ | दमुआदंगा बन्दोबस्ती |
| | २५७ | कमल वार्ड हरिपुर। |

## नत्थी 'ज'

(ताराकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०० पर)

प्रश्न संख्या ३ से संबंधित नक्शा

प्रतिमास अनाज, जो जौनपुर शहर तथा शहरी क्षेत्र, मड़ियाहूं, मछलीशहर, शाहगंज, केराकत, मुंगरा बादशाहपुर और जफराबाद में राशन कार्डों पर जनता में वितरित किया गया।

| | गेहूं (क्विंटल) | चावल (क्विंटल) | आटा (क्विंटल) | योग |
|---|---|---|---|---|
| जनवरी, १९६९ .. | ५० | १,१५१ | १५३ | १,३५४ |
| फरवरी, १९६९ .. | ३० | १,३९४ | .. | १,४२४ |
| मार्च, १९६९ .. | ९० | १,०६९ | २४३ | १,४०२ |
| अप्रैल, १९६९ .. | ५२८ | १,४९३ | .. | २,०२१ |
| मई, १९६९ | ११०-९९-७०० | १,४१८.५० | .. | १,५२९-४९-७०० |
| जून, १९६९ .. | १५७ | १,५२३ | .. | १,६८० |
| योग | ९६५-९९-७०० | ८,०४८.५० | ३९६ | ९,४१०-४९.७०० |

# नत्थी 'श'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६२६ पर)

## उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन विधेयक, १९६९

ऐक्ट संख्या २, १८९९ यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९३९ संयुक्त तप्रान्तीय ऐक्ट सं० १५, १९४८ यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५

इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९, यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट ऐंण्ड डीजल आयल टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९, उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ तथा यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ को संशोधित करने के लिये

### विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

## अध्याय १

### प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन अधिनियम, १९६९ कहलाएगा।

(२) इसका प्रसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे प्रवृत्त होगा, और विभिन्न उपबन्धों के संबंध में भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

## अध्याय २

### इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ का संशोधन

ऐक्ट संख्या २, १८९९, में नयी धारा ४७—क का रखा जाना

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित, इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ४७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात—

४७—क—अवमूल्यित हस्तांतरण विलेख इत्यादि पर किस प्रकार कार्यवाही की जाएगी—

(१) यदि हस्तांतरण, विनिमय, दान, बन्दोबस्त, अभिनिर्णय या न्यास संबंधी किसी विलेख की विषय-वस्तु, किसी सम्पत्ति का उक्त विलेख में उल्लिखित बाजार-मूल्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित बाजार मूल्य से कम हो तो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ के अधीन नियुक्त निबन्धन अधिकारी ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य तथा उस पर देय उचित शुल्क को अवधारित करने के लिये उसे कलेक्टर को अभिदिष्ट करेगा।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ऐसे निबन्धन अधिकारी को हस्तांतरण, विनिमय, दान, बन्दोबस्त, अभिनिर्णय या न्यास संबंधी किसी विलेख की रजिस्ट्री करते समय यह विश्वास करने का कारण हो कि हस्तांतरण, विनिमय, दान, बन्दोबस्त

अभिनिर्णय या न्यास की विषय-वस्तु किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य विलेख में ठीक-ठीक उल्लिखित नहीं किया गया है तो वह, ऐसे विलेख की रजिस्ट्री करने के पश्चात् ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य तथा उस पर देय उचित शुल्क को अवधारित करने के लिये उसे कलेक्टर को अभिदिष्ट कर सकता है ।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन अभिदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर देने और ऐसी रीति से जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत की जाय, जांच करने के पश्चात हस्तांतरण, विनिमय, दान, बन्दोबस्त, अभिनिर्णय या न्यास की विषयवस्तु किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य तथा उपयुक्त शुल्क अवधारित करेगा । यदि शुल्क की धनराशि में कोई अन्तर हो तो उसका भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जायगा जो शुल्क का देनदार हो ।

(४) कलेक्टर, किसी ऐसे हस्तांतरण, विनिमय, दान, बन्दोस्बत, अभिनिर्णय या न्यास संबंधी विलेख के जो उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन उसे पहले से ही अभिदिष्ट न किया गया हो, रजिष्ट्रीकरण के दिनांक से दो वर्ष के भीतर स्वयं या मुख्य स्टाम्प निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के अभिदेश पर हस्तांतरण, विनिमय, दान, बन्दोबस्त, अभिनिर्णय या न्यास की विषय-वस्तु किसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य तथा उस पर देय शुल्क की सत्यता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ विलेख को मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, और यदि ऐसी जांच के पश्चात् उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि विलेख में ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य ठीक प्रकार से उल्लिखित नहीं किया गया है तो वह उपधारा (३) में व्यवस्थित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य तथा उस पर देय शुल्क अवधारित कर सकता है। यदि शुल्क की धनराशि में कोई अन्तर हो तो उसका भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जायगा जो शुल्क का देनदार हो ।"

अनुसूची १–बी का संशोधन

३–मूल अधिनियम की अनुसूची १–बी में––

(१) आर्टिकिल १ में दी हुई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाए, अर्थात्––

"४––शपथ-पत्र, जिसमें शपथ लेने के बजाय प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिये विधि द्वारा अनुमत व्यक्तियों की दशा में प्रतिज्ञान-पत्र तथा घोषणा-पत्र भी सम्मिलित है––

(क) किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने या प्रयोग किये जाने के तात्कालिक प्रयोजन के लिये .. .. एक रुपया

(ख) किसी अन्य मामले में .. चार रुपये पचास पैसे

## विमुक्तियां

शपथ-पत्र या घोषणा-पत्र यदि वह:

(क) आर्मी ऐक्ट, १९५०, एअर फोर्स ऐक्ट, १९५० या नेवी ऐक्ट, १९५७, के अधीन भर्ती की शर्त के रूप में; या

(ख) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पूर्त भत्ता पाने योग्य बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिये,

निष्पादित किया जाए,"

(२) आर्टिकिल २३ में प्रथम स्तम्भ की प्रथम प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जाये, अर्थात्:—

"यदि ऐसे हस्तांतरण के लिये उसमें उल्लिखित प्रतिफल की धनराशि या उसका मूल्य, अथवा ऐसे हस्तांतरण की विषय-वस्तु किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य, इनमें जो भी अधिक हो, ५० रुपये से अधिक न हो";

(३) आर्टिकिल ३० में प्रथम स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाए, और वह सदैव से ही रखी गयी समझी जाए, अर्थात्—

"एडवोकेट्स ऐक्ट, १९६१ की धारा २२ के अधीन स्टेट बार काउन्सिल, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया भर्ती का प्रमाण-पत्र।"

वैधीकरण

४—इस अधिनियम की धारा ३ द्वारा मूल अधिनियम की अनुसूची १—बी के आर्टिकल ३० में संशोधन के होते हुए भी, उक्त आर्टिकल के अधीन, जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व था, भारित या वसूल किया गया तात्पर्यित कोई भी स्टाम्प शुल्क, एतद्द्वारा यथा-संशोधित उक्त आर्टिकिल के अधीन वैधतः भारित या वसूल किया गया समझा जायगा, और मूल अधिनियम की धारा १३ से १७ तक की कोई बात, उक्त आर्टिकिल (एतद्द्वारा यथा-संशोधित) में अभिविष्ट तथा उक्त दिनांक के पूर्व निष्पादित भर्ती के प्रमाण-पत्रों के संबंध में लागू न समझी जाएगी।

---

## अध्याय ३

## यू० पी० सेल्स आफ मोटर स्प्रिट ऐंड डीजल आयल टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९३९ की धारा ३ का संशोधन

५—यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट ऐण्ड डीजल आयल टैक्सेशन एक्ट, १९३९ की धारा ३ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाए, अर्थात्:—

"(१) मोटर स्प्रिट और डीजल आयल की फुटकर बिक्री के लिए प्रत्येक फुटकर व्यापारी पर मोटर स्प्रिट की दशा में १० पैसे प्रति लीटर से अनधिक तथा डीजल आयल की दशा में ७ पैसे प्रति लीटर से अनधिक ऐसी दर या दरों से, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे, कर आरोपित किया जाएगा और उसे उससे ऐसी रीति से वसूल किया जाएगा जो नियत की जाए।"

---

## अध्याय ४

### यू० पी० बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई० की धारा ३ का संशोधन

६—यू० पी० बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ की उपधारा (१) में—

(१) शब्द "बो न पैसे प्रति रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन पैसे प्रति रुपया" रख दिया जाए;

(२) उसके द्वित्तीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाए, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी माल अथवा माल के वर्ग के संबंध में विक्रय-धन पर कर की दर घटा सकती है, और तदुपरान्त कर संगत विक्रय-धन पर इस प्रकार घटाई हुई दर से देय होगा।"

धारा ४-क का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ४-क की उपधारा (१) में शब्द "तीन वर्ष से कम, और" निकाल दिए जाएं।

नई धारा ४-ख का बढ़ाया जाना

८—मूल अधिनियम की धारा ४-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्—

कुछ निर्माताओं को विशेष छूट

"४-ख -(१) धारा ३, ३-क, ३-कक और ३-घ में किसी बात के होते हुये भी—

(क) यदि धारा ३-घ के अधीन कर-योग्य कोई माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा खरीदा जाए जो उक्त धारा के अधीन अपने प्रथम क्रय के विक्रय धन पर कर का देनदार हो, और उस व्यापारी के पास उसके संबंध में उपधारा (२) के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण पत्र हो तो वह ऐसे माल के सम्बन्ध में ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, अथवा कर से मुक्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञापित किया जाए,

(ख) यदि किसी अन्य धारा के अधीन कर-योग्य कोई माल किसी व्यापारी द्वारा किसी दूसरे व्यापारी को बेचा जाए और ऐसा अन्य व्यापारी विक्रेता-व्यापारी को नियत प्रपत्र में तथा रीति से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उसके पास उसके संबंध में उपधारा (२) के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र है, तो विक्रेता-व्यापारी ऐसे माल के सम्बन्ध में ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, अथवा कर से मुक्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाए।

(२) कोई व्यापारी, जिसे उपधारा (१) में अभिदिष्ट कोई माल उत्तर प्रदेश राज्य में कोई विज्ञापित माल निर्यात करने के प्रयोजनों से कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिए अपेक्षित हो और उसका ऐसे विज्ञापित माल को राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान में या भारत से निर्यात करने के

दौरान में बेचने का अभिप्राय हो, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जो नियत की जाए, उसके संबंध में मान्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कर निर्धारक अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि प्रार्थी उन अपेक्षाओं तथा शर्तों को, जो नियत की जाएं, पूरा करता हो तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसे माल के संबंध में व्यापारी को, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी शर्तों पर जो नियत की जाएं, मान्यता का प्रमाण-पत्र देगा।"

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) विज्ञापित माल के निर्माण में किसी व्यापारी द्वारा प्रयुक्त सहायक पुर्जों तथा संघटक पुर्जों को भी ऐसे विज्ञापित माल का कच्चा माल समझा जाएगा,

(ख) "विज्ञापित माल" का तात्पर्य ऐसे माल से है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाए।

(३) यदि कर निर्धारक-अधिकारी को राजस्व की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी करने की शर्त क रूप में, या समय-समय पर, एसे मान्यता के प्रमाण-पत्र को प्रभावी बनाए रखने के लिए शर्त के रूप में, ऐसी अपेक्षा आरोपित कर सकता है कि व्यापारी मान्यता क प्रमाण-पत्र की शर्तों का उचित रूप से अनुपालन करने के लिए ऐसी प्रतिभूति देगा जो वह निर्दिष्ट करे।

(४) (१) यदि कर निर्धारक अधिकारी का यह सामाधान हो जाए कि ऐसे व्यापारी ने, जिसके पक्ष में किसी माल के सम्बन्ध में उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया था—

(क) वह निर्माण-व्यापार जिसके प्रयोजन के लिए मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया था, बन्द कर दिया है; या

(ख) मान्यता के प्रमाण-पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन किया है; या

(ग) उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति नहीं दी है; या

(घ) वह ऐसा फर्म, संघ या संयुक्त हिन्दू परिवार है, जिसके संबंध में धारा १८ की उपधारा (१) के स्पष्टीकरण के अर्थ में यह समझा जाए कि उसने अपना व्यापार बन्द कर दिया है;

तो ऐसा अधिकारी, या तो स्वतः अथवा व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, मान्यता का प्रमाण-पत्र, ऐसे दिनांक से जो वह निर्दिष्ट करे, रद्द कर सकता है।

(२) कर निर्धारक अधिकारी उपधारा (२) के अधीन दिए गए मान्यता के प्रमाण-पत्र को या तो स्वतः अथवा व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उस दशा में जब व्यापारी ने अपने व्यापार के नाम या स्थान में परिवर्तन कर दिया हो अथवा किसी शाखा को बन्द कर दिया हो या कोई नई शाखा खोल ली हो, अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से संशोधित कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक अधिकारी द्वारा स्वतः मान्यता का प्रमाण-पत्र न तो रद्द किया जाएगा और न संशोधित किया जाएगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाए।

(५) यदि किसी व्यापारी ने जिसके पक्ष में उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस धारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या कर का भुगतान किए बिना, जैसी भी दशा हो, माल खरीदने के पश्चात्, माल का प्रयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो अथवा उस माल का निस्तारण अन्य रूप से कर दिया हो तो ऐसा व्यापारी दण्ड स्वरूप उस धनराशि का देनदार होगा जो—

(क) यदि रियायती दर पर कर का भुगतान करके माल खरीदा जाए तो, ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर धारा ३, धारा ३—क, धारा ३—कक या धारा ३—घ के अधीन रियायती जैसी भी दशा हो देय कर की धनराशि के और इस धारा के अधीन रियायती दर पर देय कर की धनराशि के अन्तर से कम न हो; और

(ख) यदि बिना कर दिए माल खरीदा जाए तो, धारा ३, धारा ३—क, धारा ३—कक या धारा ३—घ के अधीन, जैसी भी दशा हो, देय कर की धनराशि से कम न हो,

किन्तु ऐसे अन्तर के या कर की धनराशि के जैसी भी दशा हो, तीन गुने से अधिक न हो:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कर निर्धारक अधिकारी द्वारा कोई अर्थदंड आरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर न दिया जाए ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि उन्हें तथ्यों के सम्बन्ध में, जिनके लिए इस उपधारा के अधीन आरोपित अर्थ दण्ड का भुगतान देय कर के अतिरिक्त कर दिया गया हो, धारा १४ के अधीन कोई अभियोग नहीं चलाया जाएगा ।

(६) यदि किसी व्यापारी ने, जिसके पक्ष में उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, उत्तर प्रदेश राज्य में अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान में या भारत से निर्यात करने के दौरान में विज्ञापित माल न बेचकर अन्यथा बेचा हो अथवा ऐसे माल को राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान में या भारत से निर्यात करने के दौरान में बिक्री या खरीद के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप न भेजकर अन्यथा भेजा हो, तो ऐसा व्यापारी उस धनराशि का देनदार होगा, जो यदि रियायती दर पर कर का भुगतान करके माल खरीदा जाए तो, ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर धारा ३, धारा ३—क, धारा ३—कक या धारा ३—घ के अधीन, जैसी भी दशा हो, देय कर की धनराशि और इस धारा के अधीन रियायती दर पर देय कर की धनराशि के अन्तर के बराबर हो, अथवा जो, यदि बिना कर दिए माल खरीदा जाए तो धारा ३, धारा ३—क, धारा ३—कक या धारा ३—घ के अधीन, जैसी भी दशा हो, देय कर के बराबर हो।

(७) यह निर्धारण करने के लिये कि कोई विशिष्ट बिक्री या खरीद अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान में या भारत से निर्यात करने के दौरान में हुई है या नहीं, सन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ की धाराएं ३, ४ और ५ लागू होंगी ।"

ऐक्ट ७४, १९५६

धारा ८-क का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा ८-क में उपधारा (६) के प्रतिबन्धात्मक खण्डों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिए जाएं, अर्थात्—

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन प्रतिभूति मांगने की आज्ञा के विरुद्ध धारा ९ के अधीन अपील की जा सकेगी;

प्रतिबन्ध यह भी है कि अपील सुनने वाले अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध व्यक्ति, उस पर आज्ञा तामील किए जाने के तीस दिन के भीतर, किन्तु प्रतिभूति दे देने के पश्चात्, पुनरीक्षण अधिकारी के पास पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है जो ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे;

धारा ९ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा ९ में—

(क) उप धारा (१) में शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा १५-क के अधीन अर्थ-दंड लगाने वाली आज्ञा" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए, अर्थात्—

"धारा ४-ख की उपधारा (५) के अधीन या धारा १३-क के अधीन या धारा १५-क के अधीन अर्थ-दंण्ड लगाने वाली आज्ञा अथवा धारा ४-ख की उपधारा (३) के अधीन या धारा ८-क की उपधारा (६) के अधीन प्रतिभूति मांगने की आज्ञा या धारा ४-ख की उपधारा (४) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र रद्द करने या उसमें संशोधन करने की आज्ञा";

(ख) उपधारा (३) में, खण्ड (घ) के उपखण्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिए जाएं, अर्थात्—

"(१-क) धारा ४-ख की उपधारा (३) क अधीन या धारा ८-क की उपधारा (६) के अधीन प्रतिभूति मांगने की आज्ञा का समर्थन कर सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं अथवा उसमें परिष्कार कर सकते हैं; अथवा

(१-ख) धारा ४-ख की उपधारा (४) के अधीन किसी मान्यता के प्रमाण-पत्र को रद्द करने या उसमें संशोधन करने की आज्ञा का समर्थन कर सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं अथवा उसमें परिष्कार कर सकते हैं; अथवा

(ग) उपधारा (६) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्—

'(७) अपील सुनने वाला अधिकारी बिक्री-कर कमिश्नर के अधीक्षण और नियन्त्रण में रहेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अधीक्षण और नियंत्रण के प्रयोग में बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा ऐसे कोई आदेश, अनुदेश या निदेश नहीं दिये जाएंगे जिनसे अपील सुनने वाले अधिकारी के अपीली कृत्यों के प्रयोग विषयक विवेक में हस्तक्षेप हो।"

धारा १० का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) निकाल दी जाए।

धारा १३ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा १३ में—

(क) उपधारा (२) में शब्द "अधिकारियों द्वारा" के पश्चात् शब्द "जो कर निर्धारक अधिकारी से निम्न श्रेणी के न हों" रख दिए जाए;

(ख) उपधारा (३) में शब्द "जो सहायक बिक्री-कर अधिकारी (Assistant Sales Tax Officer) या उससे निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो" निकाल दिए जाएं, और

(ग) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जाएं अर्थात्—

"(४–क) उपधारा (२) के अधीन कार्य करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी—

(१) किसी ऐसे कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान–पात्र या गाड़ी को अथवा ऐसे कार्यालय, दूकान, गोदाम यान–पात्र या गाड़ी में पाए गए किसी सन्दूक, अलमारी या अन्य पात्र को, जिसके बारे में उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि उसमें कोई लेखा, रजिस्टर या अन्य लेख्य या माल रखे जाते हैं या हैं, मुहरबन्द करने का अधिकार रखेगा, यदि ऐसे कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी अथवा सन्दूक, अलमारी या अन्य पात्र का स्वामी अथवा अध्यासी या प्रभारी व्यक्ति उस स्थान को छोड़ दे या उपलब्ध न हो या जब उस से खोलन को कहा जाय तो उसे न खोल या खोलने से इंकार करे,

(२) यदि ऐसा स्वामी या अन्य व्यक्ति, जिसके अध्यासन या प्रभार में कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी अथवा कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी में पाए गए सन्दूक, अलमारी या अन्य पात्र हों, उपस्थित हो किन्तु उस स्थान से चला जाए या ऐसा करने के लिए अवसर दिए जाने के पश्चात् वह, जैसी भी दशा हो, ऐसे कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान-पात्र, गाड़ी अथवा सन्दूक, अलमारी या अन्य पात्र को न खोले तो, उसे तोड़कर खोल सकता है और उसमें पाए गए माल तथा लेख्यों की एक सूची तैयार कर सकता है।

(४–ख) उपधारा (४–क) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने वाला अधिकारी राज्य के किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है।

(४-ग) कोई भी व्यक्ति उपधारा (४-क) के अधीन लगाई गई किसी मुहर से अन्तःक्षेप नहीं करेगा।"

नई धारा १३–क का बढ़ाया जाना

१३—मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्—

अभिग्रहण तथा जब्त करने का अधिकार

"१३–क (१) धारा १३ की उपधारा (२) के अधीन अधिकृत किसी अधिकारी को किसी ऐसे माल का अभिग्रहण करने का अधिकार होगा—

(१) जो किसी व्यापारी के कार्यालय, दूकान, गोदाम, गाड़ी, यान-पात्र या किसी अन्य भवन में या स्थान पर पाया जाए; या

(२) जिसके सम्बन्ध में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यापारी का है और जो किसी कार्यालय, दूकान गोदाम, गाड़ी, यान-पात्र अथवा भवन में या स्थान पर पाया जाए;

किन्तु जिसका लेखा व्यापारी द्वारा अपने व्यापार के दौरान में रखे गए लेखों, रजिस्टरों या अन्य लेख्यों में न रखा गया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन अभिगृहीत सभी माल की सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और उस पर उक्त अधिकारी तथा कम से कम दो सम्माननीय साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(२) व्यापारी, जिसका माल उपधारा (१) के अधीन अभिगृहीत किया गया हो, उक्त माल के संबंध में कर के रूप में देय धनराशि के तीन गुने से अनधिक ऐसे अर्थ-दंड का देनदार होगा जो कर निर्धारक अधिकारी द्वारा आरोपित किया जाए:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई अर्थ-दंड तब तक आरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाए;

प्रतिबन्ध यह भी है कि उन्हीं तथ्यों के संबंध में जिनके लिए इस उपधारा के अधीन आरोपित अर्थ-दंड का भुगतान देय कर के अतिरिक्त कर दिया गया हो, धारा १४ के अधीन कोई अभियोग नहीं चलाया जाएगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन अभिगृहीत माल उक्त उपधारा के अधीन उसका अभिग्रहण करने वाले अधिकारी या कर निर्धारक अधिकारी द्वारा उस अर्थदंड का भुगतान करने के लिए, जो उपधारा (२) के अधीन आरोपित किया जाए, ऐसी प्रतिभूति देने पर जो, ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, छोड़ दिया जाएगा।

(४) उपधारा (१) के अधीन अभिगृहीत माल कर निर्धारक अधिकारी द्वारा जब्त किया जा सकता है यदि व्यापारी नियत अवधि के भीतर उसके सम्बन्ध में आरोपित अर्थ-दंड का भुगतान न कर दे।"

धारा १४ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा १४ में—

(क) उपधारा (१) में—

(१) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाए अर्थात:—

"(ग) इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होते हुए, धारा ८—क के अधीन और उसके अनुसार रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र दिये बिना व्यापारी के रूप में व्यापार करें; अथवा";

(२) शब्द 'एक हजार रुपये" के स्थान पर "दो हजार रुपये" रख दिए जायं; और

(३) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के खंड (क) के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती बार सिद्धदोष ठहराए जाने पर न्यूनतम दंड जो दिया जायगा, वह पांच सौ रुपये की धनराशि का या अपराध में अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि का, जो भी कम हो, अर्थदण्ड होगा";

(ङ) उपधारा (२) में—

(१) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिए जाएं, अर्थात्:—

"(कक) धारा ४—ख के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या बिना कर दिए खरीदे गए किसी माल का प्रयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिये उक्त धारा के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए करे अथवा ऐसे माल का अन्यथा निस्तारण करे ; या

(ककक) इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होते हुए भी इस अधिनियम या तद्धीन नियमों के उपबन्धों के अधीन अपने विक्रय धन का विवरण-पत्र बिना पर्याप्त कारण के प्रस्तुत न करे अथवा विवरण-पत्र के पूर्व या साथ, जैसा कि धारा ७ की उपधारा (१—क) में व्यवस्थित है, कर जमा न करे, या";

(२) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाए, अर्थात्:—

"(च) धारा १३ के अधीन अधिकृत किसी अधिकारी को, धारा १३ की उपधारा (२), (३), (४), (४—क) और उप धारा (५) के खंड (क) में और धारा १३—क की उपधारा (१) में उल्लिखित किन्हीं कृत्यों को करने से रोकने या उसमें बाधा डाले, अथवा" ;

(३) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाए, अर्थात्:—

"(चच) धारा १३ की उपधारा (४—क) के अधीन लगाई गई किसी मुहर से अन्तःक्षेप करें; अथवा" ;

(४) शब्द "छः (६) मास" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जाएं ; और

(५) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि द्वितीय या अनुवर्ती बार सिद्ध दोष ठहराए जाने पर न्यूनतम दण्ड जो दिया जाएगा वह तीन माह की अवधि के लिये साधारण कारावास होगा ।"

१५—मूल अधिनियम की धारा १५—क की उपधारा (५) निकाल दी जाए। धारा १५-क का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) के खंड (छ) के अन्त में आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिए जाएं, अर्थात्:— धारा २४ का संशोधन

"(छछ) धारा १३ की उपधारा (४—क) के अधीन मुहर लगाने की रीति और वह रीति जिसमें और वह व्यक्ति जिसके द्वारा उसे हटाया जाएगा और उक्त उपधारा में अभिदिष्ट मुहरबन्द सम्पत्ति और अन्य माल तथा लेख्यों की अभिरक्षा के लिये ;

(छछछ) धारा १३—क के अधीन अभिगृहीत माल की अभिरक्षा; और"।

१७—मूल अधिनियम की धारा २९ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्— नई धारा २९-क का बढ़ाया जाना

विशेष मामले में रुपये की वापसी

"२९—क—इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि अथवा किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा ८—क की उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन किसी व्यापारी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा कोई धनराशि जमा की जाय अथवा उसका भुगतान किया जाय तो ऐसी धनराशि या उसके किसी भाग का, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, तदर्थ दावा किए जाने पर उसे ऐसे व्यक्ति को, जिससे ऐसे व्यापारी या अन्य व्यक्ति ने उस धनराशि या उसके भाग को वास्तव में वसूल किया था, और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, वापस कर दी जाएगी।'

१८—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९६८ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ११, १९६८ का निरसन

## अध्याय ५

## यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ का संशोधन

१९—यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में:— यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा २ का संशोधन

(१) खंड (ए), (डी), (ई), (एफ एफ), (जी) तथा (के) निकाल दिये जाएं;

(२) खंड (जे) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(जेजे) अन्य शब्दों तथा पदावलियों के वही अर्थ हैं जो क्रमशः उन्हें समय-समय पर यथा-संशोधित, मोटर वेहिकिल्स एक्ट, १९३९ में दिए गए हैं।"

धारा ४ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(१) उपधारा (१) का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय ;

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाए, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा ५–ए में प्रथम अनुसूची" का तात्पर्य—

(ए) उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६२, जिसे आगे १९६२ का अधिनियम कहा गया है, के प्रारंभ होने के पूर्व किसी अवधि के संबंध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये १९६२ के अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व की प्रथम अनुसूची से है ;

(बी) १९६२ के अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से या उसके पश्चात्, किन्तु उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन अधिनियम, १९६९ के अध्याय ५ के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी अवधि के संबंध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए १९६२ के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई प्रथम अनुसूची से है ; तथा

(सी) उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन अधिनियम, १९६९ के अध्याय ५ के प्रारम्भ होने के दिनांक से तथा उसके पश्चात् किसी भी अवधि के संबंध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित प्रथम अनुसूची से है ।

धारा ५ का संशोधन

२१—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि धारा ४ के अधीन किसी अवधि के लिये देय कर और उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन अधिनियम, १९६९ द्वारा संशोधित किए जाने के पूर्व के इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उस अवधि के लिए पहले ही भुगतान किए गए कर की धनराशि के अन्तर का भुगतान उक्त अधिनियम के अध्याय ५ के प्रारम्भ होने के दिनांक से चार महीने के भीतर किया जायेगा । "

धारा २० का संशोधन

२२—मूल अधिनियम की धारा २० में उपधारा (३) तथा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जाएंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत

हों, किन्तु ऐसा कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

२३—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाए, अर्थात्— प्रथम अनुसूची के स्थान पर नयी-अनुसूची की प्रति स्थापन

"प्रथम अनुसूची

(धारा ४ देखिए)

| अनुच्छेद संख्या | गाड़ी का विवरण | कर की वार्षिक दर |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | **भाग 'क'** | |
| | **परिवहन गाड़ियों से भिन्न अन्य गाड़ियां** | रु० |
| १ | भारविहीन ४०६ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली मोटर साइकिलें (जिसमें स्कूटर तथा आटो साइकिलें सम्मिलित हैं)— | |
| | (क) मोटर बाइसिकिलें— | |
| | (१) ९१ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार विहीन .. | २५ |
| | (२) ९१ किलोग्राम से अधिक वजनवाली, भारविहीन .. | ४० |
| | (ख) तीन पहियें वाली मोटर साइकिलें .. | ४० |
| | (ग) किसी ट्रेलर या पार्श्व गाड़ी (साइडकार) को खींचने के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर बाईसिकिलें या तीन पहिये वाली मोटर साइकिलें—उपर्युक्त दरों के अतिरिक्त .. | ४ |
| २ | केवल यात्रियों और हल्का वैयक्तिक सामान ले जाने के लिए बनायी गयी और प्रयोग में लायी गयी गाड़ियां, जिनमें ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो (मोटर साइकिलों सहित) और जिनका भारविहीन वजन ४०६ किलोग्राम से अधिक हो— | |
| | (१) (क) १,०१६ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भारविहीन | ९० |
| | (ख) १,०१६ किलोग्राम से अधिक किन्तु १,२७० किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भारविहीन .. | १२० |
| | (ग) १,२७० किलोग्राम से अधिक किन्तु १,७७८ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भारविहीन .. | १५० |
| | (घ) १,७७८ किलोग्राम से अधिक वजन वाली, भारविहीन .. | १८० |
| | (२) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर .. | २० |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| | | ६० |
| ३ | ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने वाले के लिए बनाई गई या प्रयोग के लिए अपनाई गई ४०६ किलोग्राम से अधिक वजन (भारविहीन) वाली गाड़ियों, जिनमें मोटर साइकिलें भी सम्मिलित हैं-- | |
| | (१) यदि उसमें पूर्णरूप से वायवीय (न्यूमैटिक) टायर लगाये गये हों, और | |
| | (क) १,०१६ किलोग्राम से अनधिक वजन (भार विहीन) वाली | १३८ |
| | (ख) १,०१६ किलोग्राम से अधिक किन्तु १,७७८ किलोग्राम से अनधिक वजन (भारविहीन) वाली .. .. | २२८ |
| | (ग) १,७७८ किलोग्राम से अधिक किन्तु २,५४० किलोग्राम से अनधिक वजन (भारविहीन) वाली .. .. | ३०० |
| | (घ) २,५४० किलोग्राम से अधिक किन्तु ३,५५६ किलोग्राम से अनधिक वजन (भारविहीन) वाली .. .. | ४३८ |
| | (ङ) ३,५५६ किलोग्राम से अधिक किन्तु ५,०८० किलोग्राम से अनधिक वजन (भारविहीन) वाली .. .. | ५६४ |
| | (च) (भार विहीन) ५,०८० किलोग्राम वजन से अधिक, ५,०८० किलोग्राम से अधिक प्रत्येक १,०१६ किलोग्राम या उसके किसी भाग के लिए .. .. .. | २३४ |
| | (छ) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आनेवाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर-- | |
| | क--१,०१६ किलोग्राम से अनधिक भार ले जाने के लिए .. | १५६ |
| | ख--१,०१६ किलोग्राम से अधिक भार ले जाने के लिए .. | ३०० |
| | (२) यदि लचकीले टायर (रेजीलियेन्ट टायर) लगाये गए हों-- वायवीय टायर सहित उसी वजन (भार विहीन) की गाड़ी के लिए देय समुपयुक्त कर तथा उस पर ३३ १/३ प्रतिशत अतिरिक्त कर ; | |
| | (३) यदि लचकीले टायर न लगाए गए हों--वायवीय टायर सहित उसी वजन (भारविहीन) की गाड़ी के लिये देय समुपयुक्त कर तथा उस पर ६६-२/३ प्रतिशत अतिरिक्त कर। | |

भाग 'ख'

परिवहन गाड़ियां

| | | |
|---|---|---|
| ४ | यात्रियों तथा यात्रियों के हलके वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिए किराये पर चलने वाली गाड़ियां-- | |
| | (१) ड्राइवर को छोड़कर तीन से अधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली .. .. .. .. | २०० |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| ८८ | | ६० |
| | (२) ड्राइवर को छोड़कर चार व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली .. | ३०० |
| | (३) ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली .. .. .. | ४०० |
| | (४) ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अधिक किन्तु बीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली— | |
| | प्रथम छः स्थानों के लिये .. .. .. | ४५२ |
| | छः से अधिक प्रत्येक स्थान के लिये और बीस स्थानों तक इसके अतिरिक्त— | |
| | (क) यदि क—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हों .. | ३६ |
| | (ख) यदि ख—श्रेणी के मार्गपर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हों .. | २४ |
| | (ग) यदि ग—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हों .. | २० |
| | (५) ड्राइवर को छोड़ कर बीस से अधिक किन्तु बत्तीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली— | |
| | (क) यदि क—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो— | |
| | प्रथम बीस स्थानों के लिए .. .. | १,०३२ |
| | प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए .. .. | ४४ |
| | (ख) यदि ख—श्रेणी के मार्ग पर प्र ोग के लिये अभिप्रेत हो— | |
| | प्रथम बीस स्थानों के लिए .. .. | ८२८ |
| | प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए .. .. | ३६ |
| | (ग) यदि ग—श्रेणी के मार्ग पर प्र ोग के लिये अभिप्रेत हो— | |
| | प्रथम बीस स्थानों के लिए .. .. | ७०८ |
| | प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए .. .. | २४ |
| | (६) ड्राइवर को छोड़ कर ३२ से अधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली, अंतिम पूर्वोक्त खण्ड के अधीन प्रथम २० स्थानों के लिये देय कर— | |
| | तथा ३२ से अधिक प्रत्येक स्थान के लिए इसके अतिरिक्त— | |
| | (क) यदि क—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो .. | ८४ |
| | (ख) यदि ख—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो .. | ६० |
| | (ग) यदि ग—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हों .. | ३६ |
| ५ | सीमित संख्या में यात्रि ों को ले जाने तथा सीमित परिमाण में माल के परिवहन के लिये किरा ेपर चलने वाली गाड़ियां— | |
| | प्राधिकृत संख्या में यात्रियों के बैठने के स्थानों के संबंध में अनुच्छेद ४ के अधीन देय कर, तथा माल के प्राधिकृत भार के प्रत्येक ५१ किलोग्राम के लि ेअतिरिक्त कर— | |
| | (क) यदि क—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हों | १२ |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| | | रु० |
| | (ख) यदि ख—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हों .. | ८ |
| | (ग) यदि ग—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हों .. | ४ |
| ६ | केवल माल के परिवहन के लिए चलने वाली गाड़ियां— | |
| | (ए) यदि उसमें पूर्ण रूप से वायवीय टायर लगाए गए हों, और— | |
| | (क) यदि क श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो— | |
| | (१) प्राधिकृत भार के प्रथम ७६२ किलोग्राम के लिए .. | २८० |
| | (२) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त ५१ किलोग्राम के लिए | १० |
| | (ख) यदि ख–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो— | |
| | (१) प्राधिकृत भार के प्रथम ७६२ किलोग्राम के लिए .. | २५२ |
| | (२) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त ५१ किलोग्राम के लिए | ८ |
| | (ग) यदि ग-श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो— | |
| | (१) प्राधिकृत भार के प्रथम ७६२ किलोग्राम के लिए .. | २२८ |
| | (२) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त ५१ किलोग्राम के लिए | ६ |
| | (बी) यदि लचकीले टायर लगाए गए हों—इस अनुच्छेद के अधीन उसी प्रकार की प्राधिकृत भार क्षमता वाली वायवीय टायर लगी गाड़ी के लिए देय कर और साथ ही उस पर ३३-१/३ प्रतिशत अतिरिक्त कर। | |
| | (सी) यदि लचकीले टायर न लगाए गए हों—इस अनुच्छेद के अधीन उसी प्रकार की प्राधिकृत भार क्षमता वाली वायवीय टायर लगी गाड़ी के लिये देय कर, और साथ ही उस पर ६६-२/३ प्रतिशत अतिरिक्त कर । | |
| | ६—क—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अध्याय ४ के अधीन चार या अधिक रीजनों में चलाई जानेके लिए अनुज्ञेय माल गाड़ियां— अनुच्छेद ६ तथा ७ के अधीन देय समुपयुक्त कर और उस पर ४०० रुपये वार्षिक का अतिरिक्त कर । | |
| | ७—किसी विशेष मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत गाड़ियां— क-श्रेणी के मार्गों के संबंध में अनुच्छेद ४, ५ या ६ के अधीन देय समुपयुक्त कर, और साथ ही ऐसे समुपयुक्त कर के ५० प्रतिशत से अनधिक या ऐसा अतिरिक्त कर जो नियत किया जाए । | |
| | ८—किराये पर चलने वाली गाड़ियां, जिनके संबंध में अनुच्छेद ४, ५, ६ तथा ७ में से किसी के अधीन कर का भुगतान किया जा चुका हो, जब विशेष या अस्थायी परिस्थितियों में और सीमित अवधि के लिए उन मार्गों, जिन पर वे अन्यथा चलती हैं, से भिन्न अन्य मार्ग या मार्गों पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो—पूर्वोक्त किसी भी अनुच्छेद के अधीन भुगतान किए गए किसी कर के अतिरिक्त प्रत्येक ऐसे दिन या उसके किसी भाग के लिए, जिसमें किसी ऐसी गाड़ी को ऐसी | |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| | बिशेष या अस्थायी परिस्थितियों में प्रयोग करने का अभिप्राय हो— ३ रुपये की दर से कर: | |
| | प्रतिबन्ध यह है कि इस अनुच्छेद में दी गई कोई बात किसी ऐसी मोटरगाड़ी पर लागू नहीं होगी जो किसी विशेष यात्रा के प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से किसी निजी किराया करार के अधीन हो, | |
| | प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई मोटर गाड़ी उस अवधि में जब उसे उन मार्गों के अतिरिक्त, जिनके संबंध में उसे स्थायी लाइसेंस दिया गया है, अन्य मार्ग या मार्गों पर अस्थायी रूप से चलने की अनुमति दी गई हो, उन सड़कों का प्रयोग न करे जिनके लिए उसे अस्थायी लाइसेंस दिया गया है, तो अतिरिक्त कर देय न होगा। | |
| ९ | (निकाल दिया गया) | |
| १० | ट्रैक्टर जिसके साथ ट्रेलर खींचा जाता हो और जो कृषि प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता हो जब तक कि उसकी संयुक्त इकाई से कोई सन्धिबद्ध (आर्टिकुलेटेड) गाड़ी न बने— उसके द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या ट्रेलरों के संबंध में भुगतान किये जाने वाले कर के अतिरिक्त १०० रुपया प्रतिवर्ष की समान दर से कर।" | |

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित खर्चा लगभग ६५१ करोड़ रुपये का है। नियोजन आयोग ने इस आकार की योजना को इस शर्त पर अनुमोदित किया था कि राज्य सरकार इस पंचवर्षीय अवधि के लिए १७५ करोड़ रुपये तक अतिरिक्त साधन जुटाये। वर्ष १९६९-७० के लिए वार्षिक योजना का आकार १६० करोड़ रुपये निश्चित किया गया है। इसमें भी वर्ष के दौरान २० करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त साधन जुटाने की परिकल्पना है। इससे कतिपय करारोपण के उपायों को अपनाना आवश्यक हो गया है। इस उद्देश्य से कुछ कर विधियों में निम्नलिखित संशोधन करना अपेक्षित है—

### (क) इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९

इस समय राज्य में स्टाम्प शुल्क (ड्यूटी) का इस प्रकार अपवंचन हो रहा है कि सम्बन्धित पक्ष सामान्यतया हस्तान्तरण विलेख में बेची गयी, विनियमित, दान दी गई या बंदोबस्त, इत्यादि की गयी सम्पत्ति का सही मूल्य नहीं देते हैं। अतएव, यह प्रस्ताव है कि हस्तान्तरण -विलेख आदि के अवमूल्यन को रोकने के लिए नयी धारा ४७-क बढ़ा दी जाए और राज्य सरकार को धारा ७५ के अधीन बाजार मूल्य अवधारित करने के संबंध में नियम बनाने के अधिकार दिए जाएं और साथ ही कलेक्टर को भी, यदि आवश्यक हो, ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य तथा उस पर देय उचित शुल्क अवधारित करने के लिए अधिकृत किया जाय। इसी उद्देश्य से ऐक्ट की अनुसूची १-बी में भी कुछ संशोधन किए जा रहे हैं।

यह भी प्रस्तावित है कि न्यायालय में दाखिल करने के संबंध में, सभी शपथपत्रों पर, जो इस समय स्टाम्प शुल्क के भुगतान से विमुक्त हैं, केवल एक रुपये का शुल्क लगाया जाए। इस अवसर का लाभ हाल ही में उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान पाई गयी विधिक कठिनाई को दूर करने के संबंध में ऐक्ट की अनुसूची १-बी के अनुच्छेद ३० को संशोधित करने के लिए भी उठाया जा रहा है।

### (ख) यू०पी० सेल्स आफ मोटर स्प्रिट ऐंड डीजल आयल टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९

यह प्रस्ताव है कि मोटर स्प्रिट की फुटकर बिक्री पर आदेय कर की अधिकतम सीमा ९ पैसे प्रति लीटर से बढ़ा कर १० पैसे प्रति लीटर कर दी जाए।

### (ग) यू० पी० बिक्री कर ऐक्ट, १९४८

(१) बिक्रीकर की वर्तमान सामान्य दर, अर्थात ऐक्ट की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन नियत २ पैसे प्रति रुपये की दर, बढ़ा कर तीन पैसे प्रति रुपया करने का प्रस्ताव है। उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में एक आनुषंगिक संशोधन भी किया जा रहा है।

(२) धारा ८-क की उपधाराएं (४) तथा (५), जिनमें यह व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति या व्यापारी द्वारा अधिनियम के अधीन देय कर से अधिक वसूल किया गया कर कोषागार में जमा किया जाएगा, न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित की गयी है। इस निर्णय का आधार यह है कि राज्य केवल देय कर ही ले सकता है न कि देय कर से अधिक जिसे व्यापारियों ने गलत ढंग से वसूल कर लिया हो। चूंकि उक्त उपबन्धों के अधीन व्यापारियों द्वारा जमा की गयी धनराशि क्रेताओं से वसूल की गयी थी, न व्यापारियों को इस प्रकार जमा की गयी धनराशि को वापस मांगने का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और न्यायतः यह वापस होने वाली धनराशि उन्हीं व्यक्तियों को मिलनी चाहिए जिनसे जमा कर्त्ताओं ने इसे वसूल किया था। तदनुसार एक नई धारा २९-क के बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है जिसमें यह व्यवस्था है कि उक्त उपधाराओं के अधीन जमा की गई कोई भी धनराशि उसी व्यक्ति को लौटाई जाए जिससे कि उसे वस्तुतः वसूल किया गया हो।

(३) इस अवसर पर धारा ४-क में भी, तदधीन नियत तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि को हटाने के उद्देश्य से थोड़ा संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि उक्त धारा के अधीन जब कभी आवश्यक हो, अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए छूट दी जा सके।

(४) वर्तमान विधेयक के खण्ड ८ से १६, दिनांक ६ अप्रैल, १९६८ को राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित उत्तर प्रदेश विक्री कर (संशोधन) अधिनियम, १९६८ (अधिनियम संख्या ११, १९६८) को प्रतिस्थापित करते हैं।

## (घ) यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३५

(१) यह प्रस्ताव है कि जिन यात्री गाड़ियों की वहन क्षमता ४० यात्री हो उनकी वर्तमान कर की दर 'क' श्रेणी क मार्ग के लिए १,४७२ पये से बढ़ा कर १,८०० रुपये कर ी जाय और इसी अनुपात से इसी प्रकार की भिन्न-भिन्न क्षमता वाली गाड़ियों के लिए तथा भिन्न-भिन्न श्रेणी के मार्गों के संबंध में कर की दर में वृद्धि की जाए।

(२) इस समय राज्य में निजी वाहनों से लिया जाने वाला कर सार्वजनिक वाहनों से लिए जाने वाल कर की अपेक्षा १० प्रतिशत कम है। पड़ोसी राज्यों में इस प्रकार का कोई विभेद नहीं है। वहां निजी और सार्वजनिक वाहन समान धनराशि अदा करते हैं। अतएव यह प्रस्ताव है कि इस राज्य में भी यह विभेद समाप्त कर दिया जाए।

(३) हाल ही में सार्वजनिक वाहनों को बढ़ाए गए क्षेत्र में गाड़ी चलाने की अनुमति दी गयी है, जिसके अन्तर्गत, पर्वतीय सड़कों को छोड़ कर, सम्पूर्ण राज्य आता है। यह प्रस्ताव है कि इस प्रकार बढ़ाये ग क्षेत्र में गाड़ी चलाने के लिए, सामान्य कर की दरों के अलावा ४०० रुपये प्रतिवर्ष का एक अतिरिक्त कर लगाया जाए।

(४) छोटे मोटे कुछ अन्य संशोधन करने के लिए भी इस अवसर का लाभ उठाया जा रहा है। तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

लक्ष्मी रमण आचार्य,

वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० ी०—ए० पी०—७९ एल० ए०—१९६९—७०।